षष्ठम् माला, खंड 2, अंक 10, बुधवार 22 जून, 1977/1 आषाढ़, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. II, No. 10, Wednesday, June 22, 1977/1 Asadha 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. ...1.05.(4)
Date 18-10-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/ CONTENTS

अंक 10, बुधवार 22 जून, 1977/1 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 10, *Wednesday June* 22, 1977/*Asadha* **1**, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 142, 144, 146 और 150-153	Starred Questions No. 142, 144, 146 and 150-153	1—15
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3	Short Notice Question No. 3	15—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 143, 145, 147 से 149, 154 से 163	Starred Questions Nos. 143, 145, 147 to 149, 154 to 163	17—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 1293 से 1309, 1312 से 1324, 1326 से 1364, 1366 से 1435, 1437 से 1475 और 1477 से 1484	Unstarred Question Nos. 1293 to 1309, 1312 to 1324, 1326 to 1364, 1366 to 1435, 1437 to 1475 and 1477 to 1484	24—118
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	118—126
राजनैतिक बंदियों की रिहाई के बारे में याचिका	Petition *Re*. release of Political Prisoners	127
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	127
समितियों के लिए निर्वाचन	Elections to Committees	127
(1) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	(1) National Shipping Board	127
(2) राजभाषाओं सम्बन्धी समिति	(2) Committee on official language	127
(3) नारियल जटा बोर्ड	(3) Core Board	128
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee	128
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	128
विधेयक पुरःस्थापित :	Bills introduced	128
इलायची (संशोधन) विधेयक	Cardamom (Admendment) Bill	128
योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Yoga Undertakings (Taking over of Management) Bill	129
योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश 1977 के बारे में वक्तव्य	Satement *Re*. Yoga Undertaking (Taking over of Management) Ordinance, 1977	129

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री राजनारायण	Shri Raj Narain	129
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में—	*R e.* Calling Attention	129—130
सामान्य बजट, 1977-78	General Budget, 1977-78	130—149
(1) श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	130—131
(2) श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	131—132
(3) श्री विजय कुमार मल्होत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	132—134
(4) श्री वेणु गोपाल गौंडर	Shri Venugopal Gounder	134
(5) श्री यू० एस० पाटिल	Shri U. S. Patil	135
(6) श्री लक्ष्मण राव मनकर	Shri Laxman Rao Mankar	135—136 139—140
(7) श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	140—141
(8) श्री बी० सी० काम्बले	Shri B. C. Kamble	141
(9) श्री आर० वेंकटारमन	Shri R. Venketaraman	142
(10) श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	142—144
(11) श्री नवाब सिंह चौहान	Shri Nawab Singh Chawhan	144
(12) श्री पी० एस० रामलिंगम	Shri P. S. Ramalingam	144—145
(13) श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O. V. Alagesan	145—147
(14) श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman	147
(15) श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandravati	147—148
(16) श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhaketa	148—149
(17) श्री शिव नारायण	Shri Sheo narain	149
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	136—139
जम्मू तथा कश्मीर में चुनाव से पूर्व की राजनीतिक स्थिति तथा विधान सभा चुनावों के स्थगित किए जाने का समाचार	Pre-Election Political situation in Jammu and Kashmir and reported postponment of the Assembly election	136
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	136—137
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	137—138
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	138—139
दिल्ली में बिजली बन्द रखने और बदरपुर तापिय बिजली घर के यूनिट संख्या 1 के बन्द किए जाने के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Power shedding in Delhi and the Closure of Unit No. 1 in Badarpur Thermal Power Station	150
श्री पी० रामाचन्द्रन	Shri P. Ramachandran	150—151

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 22 जून, 1977/1 आषाढ़ 1899 (शक)

Wednesday, June 22, 1977/Asadha 1, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

WOMEN MEMBERS OF PARLIAMENT DETAINED UNDER MISA AND DISIR

*142. SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of women Members of Parliament detained under MISA or DISIR during emergency; and

(b) the jails in which they were detained and the facilities provided to them?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) According to information received from State Governments and Union Territory Administrations, two women Members of Parliament were detained under MISA and one was arrested under DISIR.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

FACILITIES PROVIDED TO WOMEN MEMBERS OF PARLIAMENT WHO WERE DETAINED DURING THE EMERGENCY

1. *Smt. Vijaya Raje Scindia*

She was detained at Baisan Lodge Complex Panchmarhi, Hoshangabad District from 9-7-1975 to 2-9-1975. She was provided with following facilities :

(a) Own cook, bedding, clothing, laundry etc.
(b) Newspapers and periodicals at own cost.
(c) One lady Warden.

(d) Medical Attendance.

(e) Permitted to keep lady attendant on her own cost.

On 2-9-75 she was transferred to Central Jail, Tihar, New Delhi where she was admitted on 3-9-75. She was provided with 'A' Class facilities. She was released on parole from 22-11-75 to 30-11-75 and again on 23-1-76. The period of her parole was extended from time to time and order of her detention was revoked on 12-2-77.

2. *Smt. Shakuntala Nayar*

She was detained in District Jail Lucknow on 9-10-75. She was treated as superior class prisoner and was given all facilities permissible under the Uttar Pradesh Security Prisoners Rules, 1972. She was allotted a room for living. She was allowed a separate kitchen. A female prisoner was made available for cooking food. She was also given utensils for this purpose. She was given the facility of a separate bathroom which was provided with a door.

Smt. Nayar was allowed to use her own bedding and was given clothes whenever required. She was permitted to sleep outside her room. On a complaint that mentally unbalanced female prisoners caused her disturbance in the night, immediate steps were taken to shift such prisoners from the jail. Senior officers of jail contacted her about facilities and she had no complaint.

Smt. Nayar was examined by Senior Medical Superintendent, Women Hospital Lucknow on 17-10-75. On medical advice, she was released on parole on 1-11-75. The period of parole was extended from time to time. The order of detentoin was revoked on 21-1-77.

3. *Km. Maniben Vallabhbhai Patel*

She was arrested under DISIR and admitted in Ahmedabad Central Prison in the evening of 15-8-76 and was released on 16-8-76. She was provided with a cot and mattress in the jail.

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : May I know whether it is a fact that Maharani Gayatri Devi ex-M.P. was kept with lunatic women in Jaipur Jail and was meted out very shabby treatment ? She was not allowed to sleep and no cot was provided to her.

SHRI CHARAN SINGH : Maharani Gayatri Devi was kept in women ward of Tihar Jail. Women's ward is meant for 'C' class prisoners. So naturally she was put lot of difficulties but we used to provide her with meals from our barrack.

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : I want to know whether it is a fact that she was kept with lunatic women ?

SHRI CHARAN SINGH : You cannot call them fully lunatic otherwise they would have been sent to the lunatic asylum.

SHRI SHEO NARAIN : Maharani Gayatri Devi was not the only one to receive such treatment in jail, other Maharanis were also there. The brother of George Fernandes also received similar treatment. May I know if any action is proposed to be taken against the officers responsible for all this.

SHRI CHARAN SINGH : The Shah Commission will take note of all the excesses committed during the emergency.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It was a matter of satisfaction that the hon'ble Minister was with us in Tihar Jail of Delhi. I want to know whether it is a fact that there is only one women ward and semi-lunatic females, prostitutes and female pickpockets were kept in the same ward along with Maharani Gayatri Devi and Maharani Scindia and whether it is also a fact that there was no arrangement for them to cook their food and food was sent to them from your ward ? If so, whether separate arrangement will

be made for female political prisoners in future. Although the Janata Party does not think that any woman will be made prisoner during its tenure yet what steps do you propose to take to improve the position?

SHRI CHARAN SINGH : Maharani Gayatri Devi was arrested under COFEPOSA. Maharani Scindia was also detained there for some time. Although it is a fact that all sorts of women were kept there yet lunatic females could not have been detained there Mentally unbalanced or semi-lunatic women were there.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Since there is only one women ward in Tihar Jail, what steps do you propose to take for female political prisoners in future ?

SHRI CHARAN SINGH : We have not as yet taken the decision in this regard. The Home Ministry is discussing the matter of jail reforms at the all India level.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Sir, May I know the number of other ladies who were ex-M.Ps detained in different jails of the country in addition to the present lady M.Ps ? I also want to know the names of places where they were detained.

SHRI CHARAN SINGH : The question is not about lady M.Ps. I require separate notice for this.

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR : Sir, I hope the hon'ble Minister is aware that I was also detained in the Tihar Jail. The lunatic female prisoners kept there are given shock treatment. This is the only Jail where lunatic women are kept.

SHRI CHARAN SINGH : I can't disagree with your experience.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, many women were detained under D.I.R. and were prosecuted. These cases are still pending. May I know if the Government will make an announcement to withdraw them.

SHRI CHARAN SINGH : Such announcement has already been made and no case is pending under D.I.R. and no female prisoner is detained under D.I.R. This question related to the lady M.Ps. There were only three such ladies in jail namely Maharani of Gwalior, Shakuntalaji of Uttar Pradesh and Kumari Maniben Patel daughter of Sardar Patel. Kumari Patel was detained only for one day and I have told about the other two.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : During emergency many women were taken prisoner under D.I.R. and cases are still pending against them. You have stated that all have been released but I may tell you that many cases have not been withdrawan. So it will be better to make another announcement.

SHRI CHARAN SINGH : Sir, the hon'ble Member is saying it with much force so I will request him to give me specific cases and the orders will be issued today itself.

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ भूतपूर्व नरेशों ने अभी भी धन, जवाहरात और बहुत सा काला धन छुपा कर रखा हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। हमें आप उकसाइए नहीं। आप छिपे धन के बारे में अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : महारानी गायत्री देवी के विरुद्ध धन की जमाखोरी, काला बाजारी, अत्यधिक धन होने के बहुत से मामले विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण कानून के अन्तर्गत चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे लोगों को उकसाइए नहीं। इस समय हम यह चर्चा नहीं कर रहे कि श्रीमती गायत्री देवी ने कोई गलत कार्य किया है या नहीं। इस प्रश्न से उसका कोई मतलब नहीं।

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : केवल संगत अनुपूरक प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। इस अवसर का लाभ दूसरों को अपमानित करने के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए।

SHRI ANANT DAVE : May I know if the Government have received the report regarding atrocities committed on the women in jails ?

SHRI CHARAN SINGH : It has no connection with this question. I have already said that the Shah Commission will take care of this matter.

PRIME MINISTER'S RELIEF FUND

*144. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total amount in the Prime Minister's Relief Fund at present;

(b) the amount of the said Fund at the end of each financial year during the last three years and the main sources of the Fund;

(c) the names of persons and institutions which contributed money in the fund during the last three years along with the amount they contributed; and

(d) the amounts out of the Fund; spent during the last three years and the purposes for which these were spent ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The balance in the Prime Minister's National Relief Fund as on 31st May, 1977 was Rs. 11,89,63,994.83.

(b) The balance in the said Fund at the end of each accounting year (i.e. July to June) during the lst three years was as under :—

1973-74	Rs. 87,51,977.57
1974-75	Rs. 89,87,145.00
1975-76	Rs. 10,77,59,940.99

The main sources of the Fund are voluntary public contributions and interest on Bank Deposits.

(c) Contributions received during the last three years total :

1973-74	Rs. 22,19,153.82
1974-75	Rs. 32,12,853.72
1975-76	Rs. 11,61,01,768.55

Statements of the names of substantial contributors and the amount of their contribution are laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* Lt. 472/77]

(d) The amounts spent out of the Fund during the last three years are :—

1973-74	Rs. 20,95,243.44
1974-75	Rs. 36,08,207.84
1975-76	Rs. 2,00,12,810.00

The money was disbursed for providing relief to persons affected by natural calamities like, floods, drought, cyclones, earthquakes, mine disaster, fire accidents, etc., through the State Governments. Grants were also given to a few institutions engaged in relief work and individuals facing financial hardship mainly connected with educational or medical problems, in order to enable them to tide over their immediate difficulties; also to one or two benevolent funds.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : May I know whether the Central Government as well as the Prime Minister are aware that head of the R.A.W. Organisation Shri R. L. Kaw's family was given a big amount on his own advice in 1975-76 ?

SHRI MORARJI DESAI : I am not aware of it.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Central Government hold an enquiry by an Enquiry Committee consisting of five or seven Members of both the Houses ?

SHRI MORARJI DESAI : There is no need of it. I shall enquire into it.

SHRI BALBIR SINGH : If it is found on enquiry that the amount was spent in an illegal manner, will they take any action against him ?

SHRI MORARJI DESAI : Everything necessary will be done.

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिए मकानों की कमी

***146. श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा उसकी किसी एजेन्सी ने दिल्ली में अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए मकानों की कमी का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में दिल्ली में अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि इस प्रकार का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है फिर भी गत तीन वर्षों से निम्नलिखित दो योजनाएं चल रही हैं :—

(1) दिल्ली प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना : 3492 अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षण के जरिए फ्लैटों का आबंटन : 3165 फ्लैट अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जन-जाति के परिवारों को आबंटित किए गए हैं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Hon. Minister will admit that Delhi requires about 2 lakh dwelling units and majority of scheduled castes are without houses. The former Government made very inadequate provision for the same. Will the hon. minister make a survey about the number of houses required for scheduled castes. Is there any scheme to provide them houses in the current or next year after necessary survey ?

SHRI CHARAN SINGH : I do not agree about the requirement of 2 lakh houses. Population in 1971 was 40,70,700 out of which 6,35,700 were harijans. One dwelling unit is required for 5 persons. In this way 1,25,000 dwelling units are required. Now population has increased. Requirement must now be 1,50,000 dwelling units. They must not be on the roads. 50,000 units are required. Our scheme depends on the amount sanctioned by the house. I hope Guptaji will help us in this behalf.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : How much amount was given to 3,492 families and what amount has been demanded in the budget.

SHRI CHARAN SINGH : Your question relates to the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77. Rs. 12 lakh was sanctioned for 1974-75, Rs. 18 lakh for 1975-76 and Rs. 10 lakh for 1976-77 and a provision of Rs. 24.50 lakh has been kept for the current year and total sanctioned amount comes to Rs. 64.50 lakh.

श्री पी० के० कोडियन : दिल्ली में अनुसूचित जाति के लोगों को मकान दिए जाने के अतिरिक्त क्या उन्हें विकसित जमीन दिए जाने का प्रस्ताव भी है ताकि सरकार से अनुदान के रूप में मिली राशि से वे अपने मकान बना सकें?

श्री चरण सिंह : योजना के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने 500 रुपए लगाए तो दिल्ली विकास प्राधिकरण तीन किश्तों में 1500 रुपए देगा लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति के पास 60 वर्ग गज का प्लाट होना चाहिए। उसी दशा में 1500 रुपए उसे दिए जाएंगे।

SHRI SAMMAR GUHA : In addition to Delhi, this problem is also faced by other big cities where a number of people are without houses and live on the roads. Majority of such people from scheduled castes. Will you make any provision to rehabilitate the homeless people in big cities like Delhi, Calcutta and Bombay etc. ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत लम्बा है। इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य प्रश्नों पर भी पड़ेगा। यदि आप बम्बई तथा कलकत्ता के बारे में प्रश्न करेंगे तो अन्य सदस्य भी हैदराबाद तथा बम्बई के बारे में करेंगे।

श्री समर गुह : मैंने इत्यादि शब्द का उपयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रतिकूल प्रभाव सदस्यों पर पड़ेगा। अन्य प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। यदि आप बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद तथा लखनऊ के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो कोई ग्वालियर के बारें में भी पूछेगा। प्रश्न काल यूं ही समाप्त हो जाएगा।

विद्युत् उत्पादन के लिए नई परियोजनाएं

***150. श्री के० लकप्पा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् उत्पादन के लिए देश के विभिन्न भागों में कोई नई परियोजना स्थापित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस स्थानों पर स्थापित किया गया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी हां, पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में कई नई परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं। 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में प्रतिष्ठापित की गई कुल जल-विद्युत् तथा ताप-विद्युत् क्षमता 5326.4 मेगावाट है। ये यूनिटें देश के विभिन्न भागों में अर्थात् जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दामोदर घाटी निगम क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठापित की गई हैं।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने देश के विभिन्न भागों में चालू की गई नई परियोजनाओं का जिक्र किया है। क्या उन्होंने 7000 करोड़ रुपए की परिव्ययी वाली पांचवीं योजना का ध्यान रखा है जो इन परियोजनाओं के धन तथा तापीय क्षमता पैदा करने के उद्देश्य से है। लेकिन इससे पहले देश के औद्योगिक उत्पादन में अवरोध आ गया है। औद्योगीकरण में पीछे रहने की ही बात नहीं बल्कि महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों में उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी प्रश्न है। बिजली की बहुत कमी है। इसका कारण राष्ट्रीय स्तर तथा विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के बीच नीति सम्बन्धी तालमेल का अभाव है। क्या मंत्री महोदय देश के विभिन्न भागों में नई परियोजनाएं चालू करने में राष्ट्रीय स्तर पर नीति सम्बन्धी तालमेल की आवश्यकता अनुभव करते हैं। गत दो महीनों में उनके कार्यकाल के दौरान········

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में सम्बद्ध है?

श्री पी० रामचन्द्रन : माननीय सदस्य उद्योग तथा बिजली की बात कर रहे हैं। मेरे विचार में मैं उद्योग मंत्री की ओर से नहीं बोल सकता। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, यह सरकार बिजली की कमी के बारे में विभिन्न राज्यों की जरूरतों में तालमेल लाएगी। वास्तव में हम विभिन्न राज्यों की विभिन्न योजनाओं का पता लगा रहे हैं और जब कभी भी कोई स्कीम केन्द्रीय सरकार के पास आए, उसे हम कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं। यह जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य बिजली बोर्डों की है। जब कभी भी वे योजना बनाते हैं और केन्द्रीय सरकार के सामने लाते हैं तो सारी योजना की छानबीन होती है और जहां जरूरत पड़े तो उसे स्वीकृति दी जाती है। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालय के बीच तालमेल न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि देश में विद्युत् पैदा करने और देश भर में उसका वितरण करने के मामले में वर्तमान सरकार का नेशनल इन्वाल्वमेंट क्या है?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक नेशनल इन्वाल मेंट की बात का सम्बन्ध है, कई सुपर ताप बिजली घर लगाये जाने पर विचार किया जा रहा है। नई विद्युत् को भी राष्ट्रीय ग्रिड में शामिल कर दिया जाएगा। वास्तव में सदस्य महोदय क्या कहना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। पता नहीं वह क्या जानना चाहते हैं?

श्री के० लकप्पा : ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी सरकार का 'नेशनल इन्वालमेंट' ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। जब अनुदानों की मांगें आयेंगी तो नीतियों पर चर्चा होगी। प्रश्न काल में मंत्री जी नीतियों सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। मांगों के समय सदस्य नीति सम्बन्धी प्रश्न उठा सकते हैं और सरकार उनका उत्तर देने को तत्पर रहेगी।

श्री के० लकप्पा : दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में बिजली की अत्यधिक कमी के बारे में मंत्रालय की चिन्ता को देखते हुए क्या सरकार अल्पकालिक उपाय के रूप में कर्नाटक

ताप परियोजना को, जिस पर विचार हो रहा है, आरम्भ कर रही है और वह किस समय तक देश में बिजली की अत्यधिक कमी को दूर करके उसका औद्योगीकरण कर देगी ?

श्री पी० रामचन्द्रन : माननीय सदस्य सम्भवतया मंगलौर ताप बिजली केन्द्र की बात कर रहे हैं। अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। सी० ई० ए० ने अभी तकनीकी-आर्थिक आधार पर इसकी मंजूरी नहीं दी है क्योंकि अभी पता नहीं कि बिजली की मांग कितनी होगी।

कर्नाटक में विशेष रूप से काकीनाडा परियोजना के पूरा होने और दक्षिणी क्षेत्र में सुपर ताप केन्द्र स्थापित हो जाने के बाद, जो कमी हो गई है, उसे पूरा किया जा सकेगा। इसीलिए सी० ई० ए० की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए इसे रखा हुआ है।

जहां तक दक्षिणी क्षेत्र में कमी के प्रश्न का उल्लेख किए जाने का सम्बन्ध है, उसको पूरा करने के लिए विभाग द्वारा सभी उपाय किए जा रहे हैं। हमारे पास कई परियोजनाएं हैं और वे पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जायेंगी।

SHRI ISHWAR CHOUDHARY : Certain vital programmes are lagging behind due to shortage of power. Many projects for the generation of power are going on since a long time. May I know the time by which we will become self-sufficient in the matter of power and what are the details of projects likely to be undertaken by the Government ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का प्रश्न है, आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम आत्म-निर्भर हो जाएंगे जब कि बहुत सी चल रही परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि तूतीकोरन संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है और वह कब तक पूरा हो जाएगा।

श्री पी० रामचन्द्रन : तूतीकोरन ताप संयंत्र के दो एकक अगले वर्ष अर्थात् 1978-79 तक पूरे हो जाएंगे और बिजली पैदा करने लगेंगे। तीसरा एकक भी विचाराधीन है। संयंत्र की कुल क्षमता 400 मेगावाट है।

श्री बशीर अहमद : माननीय मंत्री जी यह बतायें कि बिजली और तापीय संस्थापन केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जायेंगे या राज्य सरकारों द्वारा।

श्री पी० रामचन्द्रन : कुछ परियोजनाएं राज्य सरारों द्वारा और कुछ केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू की जायेंगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी से औद्योगिक उत्पादन कम होने से उद्योगों को हानि हो रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि रानीगंज में एक सुपर तापीय बिजली घर स्थापित करने पर क्या सरकार विचार विचार कर रही है? पश्चिमी बंगाल को बिजली के संकट से बचाने के लिए सरकार के क्या ठोस प्रस्ताव हैं ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इस समय रानीगंज में सुपर तापीय बिजली घर स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

SHRI BIRENDRA PRASAD : There is shortage of power for agriculture and crops are being spoiled. I would like to know the full requirements of power for agriculture, the time by which these will be met and the details of proposed projects in this regard ?

श्री पी० रामचन्द्रन : कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध की जायगी और हम इसी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री के० ए० राजन : जैसा हम सभी को मालूम है, देश भर में बिजली का संकट है। केरल में पन-बिजली पैदा करने की अच्छी सम्भावनाएं हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पन-बिजली शक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी और अधिक योजनाओं के लिए मंजूरी दी जाएगी ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके।

श्री पी० रामचन्द्रन : केन्द्रीय सरकार को जांच के लिये प्राप्त सभी योजनाओं की जांच की जा रही है और अंतिम रिपोर्ट के मिलते ही योजनाओं के लिये मंजूरी दे दी जाती है।

SHRI CHANDAN SINGH : Sir, In view of the fact that the available power is not enough to meet the needs of agriculture will be tried to reduce the amount of revenue ?

श्री पी० रामचन्द्रन : दरों को घटाना या न घटाना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है उन्हें ही इस दिशा में कदम उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्य इस प्रश्न पर अनुकूल प्रश्न उठाना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि हम इस प्रश्न काल का शेष समय भी इस प्रश्न पर लगा दें। लेकिन मेरा विचार है कि मांगों के समय हम इस पर अधिक समय दे सकते हैं। हम एक ही प्रश्न पर इतना समय नहीं लगा सकते। अब हम अगले प्रश्न पर चलें। आन्ध्र-प्रदेश के सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री पी० रामचन्द्रन : उनकी मांगों पर भी विचार किया जायेगा।

विधान सभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण

*151. **श्री विजय मण्डल**
श्री धर्म वीर वशिष्ट : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की अनेक विधान सभाओं के लिये हाल में हुए चुनावों के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रेडियो और टेलीवीज़न पर प्रसारण के एक समान अवसर और समान समय दिये जाने के बारे में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस पद्धति की ओर आने वाले सभी चुनावों में नियमित रूप से आपनाने का है; और

(ख) रेडियो और टेलीवीज़न पर प्रसारणों के समय क्या कठिनाई और कमी अनुभव की गई तथा उन्हें दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

आकाशवाणी

आकाशवाणी के संबंधित केन्द्रों द्वारा जो कठिनाइयां महसूस की गई वे ये थी : (1) राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के नाम समय पर प्राप्त होने में देरी ; (2) राज्यों की यूनिटों द्वारा नामांकित प्रवक्ताओं का उन्हीं दलों के केन्द्रीय कार्यालयों द्वारा नामांकित प्रवक्ताओं से भिन्न होना ; (3) एक या अन्य कारणों से प्रवक्ताओं का बदला जाना ; और (4) स्क्रिप्टों और रिकार्डिंग में देरी । इन कठिनाईयों को आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा राज्यों की यूनिटों और/या संबंधित राजनीतिक दलों के केन्द्रीय कार्यालयों से संपर्क करके दूर किया गया ।

दूरदर्शन

कुल मिलाकर संबंधित दूरदर्शन केन्द्रों को कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई । जहां तक कमियों का संबंध है, इसके बारे में यह महसूस किया जाता है कि एक ही वक्ता 15 मिनट के प्रसारण से अच्छा प्रसारण नहीं बनता और दर्शकों की दिलचस्पी लगातार कायम नहीं रह सकती। अंतिम रूप से यह महसूस किया जाता है कि एक ही व्यक्ति के प्रसारण की अवधि 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिये । विकल्प के तौर पर, इंटरव्यू के प्रकार के प्रसारण का परीक्षण किया जा सकता है, जिसमें एक राजनीतिक दल के प्रसारण कर्त्ता का उसकी या उसके दल के पसंद के प्रश्नकर्त्ता द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है । इन सभी बातों पर दलों के प्रसारणों का सही मूल्यांकन किये जाने के बाद विचार किया जायेगा ।

डा० बिजय मंडल : रेडियो प्रसारण और टेलीवीज़न पर प्रसारण के समय सत्ताधारी दल को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल सत्ताधारी दल पर प्रायः अस्पष्ट और बिना सोचे समझे आरोप लगाते हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ देते हैं । मैं जानाना जाहता हूं कि क्या केन्द्र या राज्यों में सत्ताधारी दल को इन आरोपों का उत्तर देने, प्रर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण करने के लिये समय दिया जायेगा ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मुझे खुशी है कि इस बार के अनुभव से सभी राजनीतिक दलों ने इस बात के लिये सहयोग किया है कि इस माध्यम का उचित ढंग से प्रयोग किया जाये । कई मामलों में जहां संबंधित व्यक्ति को यह बताया गया कि अमुक बात सभी दलों द्वारा सहमति प्राप्त आचार संहिता के विरुद्ध जाती है तो उसमें तुंरत परिवर्तन कर दिया गया । अतः उपरोक्त प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री बिजय मंडल : क्या सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री लालकृष्ण अडवानी : इस समय व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है । प्रारम्भिक सर्वेक्षण से पता चला है कि विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों पर इस नये प्रयोग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा । जहां तक शहरी क्षेत्रों और प्रैस का संबंध है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है ।

SHRI DHARAM VIR VASISHT : It is true that equal opportunity was given but will the Government consider the suggestion to give more time to those political parties which have secured more seats ?

SHRI L. K. ADVANI : I think we have enough discussion on this subject and it had been decided in the meeting of Representatives of all Political Parties that equal opportunity be given to all parties recognised by the Election Commission.

श्री पी० जी० मावलंकर : पिछले 30 वर्षों के दौरान देश में पहली बार चुनाव के समय राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिये समय देने के लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं परन्तु क्या उन्होंने तथा विभिन्न राजनीतिक दलों ने ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में हुए अनुभव का लाभ उठाया है कि बड़े राजनीतिक दलों को अधिक और छोटे दलों को कम समय दिया जाये ताकि अपना दृष्टिकोण समझाने का उनका उद्देश्य पूरा हो सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन प्रसारणों तथा वार्ताओं के लिये नियत समय पर जाकर बोलना होता है या जो बोलना है उसे लिखकर पहले अधिकारियों को देना होता है ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : सभी देशों का अनुभव संगत होता है । पर हमारे देश का अनुभव अधिक संगत है । अतः यदि उस पर दोबारा विचार किया जाना है तो देश में प्राप्त अनुभव के आधार पर ही किया जाना चाहिये । मूल लेख को सेंसर नहीं किया जाता न ही कोई और परिवर्तन किया जाता है । केवल यह देखते हैं कि वह मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप है या नहीं । जहां-कहीं भी संबंधित व्यक्ति को कुछ बताया गया, उसने परिवर्तन कर दिया ।

दूसरे दूरदर्शन विभाग ने स्वंय सुझाव दिया है कि टेलीवीज़न पर 15 मिनट का प्रसारण होने के बजाए 10 मिनट का होना चाहिये । अतः समूची योजना पर या सीधे वार्ता के स्थान पर इंटरव्यू रखा जाये ; सभ दलों के साथ परामर्श करके विचार किया जायेगा ।

SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI : May I know if the Government propose to formulate any code of conduct so that the political parties may not make wild allegations.

SHRI L. K. ADVANI : It has no bearing on the main question and guidelines were accepted in regard to radio broadcasts and telecast and all the speeches were made in confirmity with those guidelines.

मैसर्स अलकाक एशडाऊन एण्ड कम्पनी, बम्बई के कर्मचारियों में असन्तोष

***152. डा० बापू कालदते :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रा मैसर्स अलकाक एशडाऊन एण्ड कंपनी, बम्बई के कर्मचारियों में वहां के कार्मिक अधिकारी की ज्यादतियों के कारण बहुत असंतोष है ;

(ख) क्रा बहुत से कर्मचारियों को स्थायी रोज़गार उपलब्ध कराने वाले रोज़गार-पत्र वापस ले लिये गये हैं ; और

(ग) क्या मजगांव गोदी अधिकारियों ने मैसर्स अलकाक एशडाऊन में घोषित किये गये फालतू कर्मचारियों के बजाय नये कर्मचारी लेने का निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :(क) जी नहीं । मैसर्स अलकाक एशडाऊन एण्ड कंपनी की बम्बई यूनिट में औद्योगिक संबंध इस समय बिल्कुल सामान्य हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मजगांव डाक लिमिटेड की यह नीति है कि नौकरी देने के मामले में अलकाक एशडाऊन एण्ड कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाये बशर्ते कि वे इस पद के उपयुक्त योग्यता रखते हों तथा वहां वह रिक्त स्थान उपलब्ध हों ? शिपयार्ड द्वारा मैसर्स अलकाक एशडाऊन के भूतपूर्व कर्मचारियों के दावों की उपेक्षा करते हुए नए कर्मचारियों को नियुक्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

DR. BAPU KALDATY : There was a lock-out in the company in 1970 and it was acquired in 1971. Since 1971 till today, how many employees of the former company have been absorbed in the Mazagon Dock ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस कंपनी ने अधिग्रहण से समय मजगांव गोदी ने महाराष्ट्र सरकार को यह आश्वासन दिया था कि रिक्त पदों की उपलब्धता और नौकरियों के लिये योग्यता को ध्यान में रखते हुए मैसर्स अलकाक एशडाऊन के भूतपूर्व कर्मचारियों को यथासंभव अधिक संख्या में पुन: भर्ती करने का प्रयास किया जायेगा । माननीय सदस्य ने मुझे यह बताने को कहा है कि मजगांव गोदी में उनमें से कितने कर्मचारी खपाये जा चूके हैं । इस समय स्थिति यह है कि 932 भूतपूर्व कर्मचारियों में से 760 ने मजगांव गोदी द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर नौकरी के लिये आवेदन किया था । उन 760 में से 522 को मजगांव गोदी में पहले ही भर्ती किया जा चुका है । यह स्थिति 31-5-77 को थी । जैसा कि मैंने पहले कहा मजगांव गोदी उन्हें खपाने का हर प्रयास करेगी । स्थिति यह है कि शेष में से 67 तो परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिये आये ही नहीं । 87 ने मजगांव गोदी में नौकरी करना स्वीकार नहीं किया । दो को शारीरिक अयोग्यता के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था । 38 को आयु सीमा पार कर लेने के कारण खपाने के अयोग्य ठहराया गया था और 44 को बारे में खपाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मजगांव गोदी द्वारा किये गये आश्वासन के अनुसार उन्हें फिर से भर्ती करने के हर प्रयास किये जा रहे हैं ।

DR. BAPU KALDATY : It is true that efforts are made to absorb but as far as I know, when a store supervisor went to them for job, they offered him the job of a porter. If such are the ways to absorb them, it is quite possible that people would not go to them for jobs. Have they come to know about such cases ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : हमारी जानकारी में ऐसे कोई मामले नहीं लाये गये हैं । परन्तु यदि माननीय सदस्य ऐसें मामलों की हमें जानकारी देते हैं तो उन पर विचार किया जायेगा क्योंकि मजगांव गोदी को काम की विशिष्टता के हिसाब से उपयुक्तता देखनी होगी ।

SHRIMATI MRINAL GORE : In 1971, when this company was acquired, the then hon. Minister Shri T. A. Pai had stated in this House the dues of the workers would be paid to them. But their dues have not been paid to them.

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं माननीय सदस्या की बात सुनकर चकित हुआ हूँ । मैंने उस समय की चर्चाओं अथवा वक्तव्य की अक्षरश: रिपोर्ट नहीं पढ़ी है परन्तु रिकार्ड बताते हैं कि सरकार ने अधिग्रहण करते समय यह काफी स्पष्ट कर दिया था कि सरकार मैसर्स अलकाक एशडाऊन कंपनी के कर्मचारियों की बकाया राशि का दायित्व नहीं ले रही है । उस कंपनी की देनदारियों का अधिग्रहण नहीं किया गया था । केवल आस्तियों का ही अधिग्रहण किया गया था ।

यह कतई स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार पहले की देनदारियों की अदायगियों की जिम्मेवार नहीं है, जिसके लिये कि वह कम्पनी जिम्मेवार है ।

SHRIMATI MRINAL GORE : This responsibility is being put on the company. At the time of acquisition it was stated that the Mazagon Dock and the Government have taken it on them to pay the dues.

श्री रवीन्द्र वर्मा : अधिग्रहण करते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार बकाया राशि की अदायगी की जिम्मेवार नहीं होगी । क्योंकि माननीय सदस्या स्थिति को जानने को बहुत ही उत्सुक हैं तो मैं इसका जिक्र कर दूं कि टर्नर मोरिशन ने आस्तियों के प्रश्न पर उच्च-न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में यह दावा किया है कि उनके लिये निश्चित किया गया मुआवजा भ्रामक था और शायद यही कारणा था कि वे अदायगियां नहीं कर सके। जैसा कि माननीय सदस्या शायद जानती हैं यह अलकाक एशडाऊन अधिग्रहण अधिनियम उस समय की सरकार द्वारा सर्वग्राही नवीं सूची में शामिल किया गया था ।

यह मामला भी उच्चतम-न्यायालय में विचाराधीन है ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मंत्री महोदय भी बंबई शहर से उसी प्रकार परिचित हैं जितना कि मैं । उन्हें पता होना चाहियें कि मैसर्स अलकाक एशडाऊन एण्ड कंपनी भौतिक रूप से मजगांव गोदी से अगली है । मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें कर्मचारी संघों से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि मजगांव गोदी इस कंपनी को अधिग्राही करले तथा अपने में खपा ले और वह उन मुख्य घटनाओं के संबंध में उचित कर्यवाही करेंगे जिनके बारे में कर्मचारी संघों ने सरकार को अवगत कराया है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ऐसे कोई अभ्यावेदन नहीं मिले हैं जिनका हवाला माननीय सदस्य ने दिया है । बकाया राशि की अदायगी, जिनका जिक्र श्रीमती मृणाल गोरे ने किया है, के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं ।

माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न कर्मचारियों संघ द्वारा सामान्य रूप से उठाये गये कतिपय मामलों के बारे में और मजगांव गोदी यार्ड में कर्मचारियों के दो श्रमिक संघों के साथ प्रबंधकों द्वारा उन पर विचार करने के बारे में है । हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जिसके आधार पर हम यह संदेह कर सकें कि कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

COMMISSION TO PROBE INTO THE DEATHS OF DETENUS IN POLICE CUSTODY

*153. SHRI MRITUNJAY PRASAD VARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether Government propose to appoint separate enquiry commission or a single commission to probe into the deaths of detenus during the last three years in police custody or in prisons with a view to ascertain whether all the deaths were natural deaths caused by diseases or some of the detenus were murdered and whether only those detenus, who tried to escape, were killed in the firing resorted to by the security guards ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : Government have no such proposal under consideration. It would be primarily for the State Governments concerned to institute inquiries into the cases of deaths of detenus wherever any mala fides are suspected. The terms of reference of the Commission of Inquiry appointed under the

chairmanship of Justice J. C. Shah would cover the cases of deaths of detenus during the emergency and the period immediately preceding the same and the aggrieved persons can make representations to the Commission in this regard.

SHRI MRITUNJAY PRASAD VERMA : As has been stated in the answer, I would point out that those who could give such representations are no more alive; they are dead. Those who have survived have no evidence. About those who dic in jails are declared dead either on account of illness or are killed for escaping whereas they are murdered in cold blood. Witnesses of such victims are there and they are present in this House also. They know in what circumstances those people died or were killed. Formerly none was aware that Rajan was murdered in Kerala and that Sunder dacoit was murdered in Delhi. We only knew that he had drowned. But now it is suspected that he was killed. Many such cases would come out before the Government. I want to know whether the Government propose to set up inquiry and also ask or suggest to the State Governments to investigate these matters. Would the Government undertake investigations ?

SHRI CHARAN SINGH : There is no need of giving any suggestions to the State Governments. If any injustice has been done in their area they are free to investigate or take any other steps as deemed necessary. There too exist the representatives of the people and elected Governments. Such cases, if any, can be and should be raised there only.

Secondly, I have already stated that cases of injustice during emergency could be referred to Shah Commission. In case there is no evidence, then no Government can do anything. If you have got any complaint you send it to the Commission even if you do not have evidence. We have appointed most capable police officers on this job. No Government machinery is spared from Shah Commission. There is no difference if such complaints are looked into by the Shah Commission or any other Government agency.

SHRI MRITUNJAY PRASAD VARMA : Many persons have been done to death in the name of illness but there is suspicion that they did not die of their own but were killed. Jai Prakashji is also ill. About him also it was said that his kidneys had gone out of order, but now it is suspected that the kidneys did not get spoiled on their own but were damaged deliberately. Therefore I want the Government should investigate the cases of those prisoners who died of illness due to mal-nutrition and bad living conditions. Do the Government intend to investigate such cases so that some improvement could be made and such incidents could be minimised.

अध्यक्ष महोदय : यह एक अनुरोध है । इसमें कोई प्रश्न नहीं ।

SHRI LAXMAN RAO MANKAR : The Maharashtra Government has set up a Commission of Inquiry on Dr. Gabde who was killed in Nagpur Medical College. People who appeared before the Commission at Nagpur, were not allowed to give their evidences properly. The people who wanted to give evidences have, therefore boycotted the Commission. If that is so, what are you going to do in this behalf ? The Congress Government in Maharashtra would like to conceal the facts. I want to know the course of action to be adopted by the Janta Government.

SHRI CHARAN SINGH : This matter can be referred to the Shah Commission in case Congress Government in Maharashtra do not set up a Commission.

SHRI LAXMAN RAO MANKAR : A Commission has been set up. People are not allowed to give their evidences properly. What are you going to do in this behalf ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने उत्तर दे दिये हैं कि इसे आयोग के सामने लाया जाये । आप कृपया बैठ जाये ।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : You have set up a Commission to go into the excesses during emergency. The records dealing with the excesses during emergency has been started to be destroyed by the officers in States and Union Territories, immediately after the setting up of Commission. What measures have been taken to check it ?

SHRI CHARAN SINGH : No special measures are required to be taken. It is the responsibility of the officers to protect the record in their custody. If it is destroyed somewhere, I would like to say that truth can not be suppressed, not even murder. Police will investigate such incidents and find out the truth inspite of destruction of the record. I do not want to go into details. The news have appeared in the press. Four F.I.Rs have been lodged in Delhi. I have knowledge about one such case but the police has found out the truth. In another case, some officers tried to temper with the record. Record might have been destroyed in some cases but C.B.I. and investigator successfully traced out the truth. The Government has no alternative but to ask the officers to protect the record and to issue another order in this behalf but it is meaningless. They are already supposed to protect the record.

SHRI LAXMAN RAO MANKAR : Dr. Gobde died of heart attack in Medical College Nagpur. He was kept in the surgical ward with the police order whereas he should have been kept in the Intensive Care Unit. People who wanted to give evidence were not allowed to do so and they have boycotted the Commission. What are you going to do about all such things ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । इन्होंने उत्तर दे दिया है ।

अल्प सूचना प्रश्न

फिल्म 'किस्सा कुर्सी का'

अल्प सूचना प्रश्न

3. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'किस्सा कुर्सी का' फिल्म को सरकारी कार्यालय से चुरा लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या फिल्म को जला दिया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) से (ग) 'किस्सा कुर्सी का' नामक फिल्म भारतीय रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 51(1) के अंतर्गत 14-7-1975 को जारी किये गये एक आदेश के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जब्त की गई थी । इस फिल्म के नेगेटिवों और प्रिंटों को कब्जे में लेकर उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग में रख दिया गया था । प्रिंटों की वापसी के लिये फिल्म निर्माता की हाल ही की प्रार्थना पर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रारंभिक जांच की गई । इस जांच से यह पता चला कि प्रिंटों और नेगेटिवों का कोई पता नहीं है और उनके गुम होने में गड़बड़ घोटाला किये जाने का शुबा हुआ । मंत्रालय के अनुरोध पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय दण्ड सहिता के खंड 120-बी० आर०/डब्लयू-380 के अंतर्गत 13-4-77 को एक मुकद्दमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी । उनकी जांच के दौरान 25 मई, 1977 को

गुड़गांव स्थित मारूती फैक्ट्री के अहाते की तलाशी के बाद खाली डिब्बे, उन डिब्बों में इस फिल्म के रोल रखे जाने का संकेत करने वाले लेबलों सहित बरामद किये गये । उपलब्ध साक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि फिल्म को जला कर नष्ट कर दिया गया है । जांच अंतिम चरण में है ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : This is an important question. The film deals with the power hungry and corrupt politicians who suppress the public with a view to keep on powers and this is a first film forfeited under D.I.R. but inspite of that they retained the chair. As far as I know this film was taken into custody for screening and kept in the Ministry. I want to know the objections raised against screening of this film ?

The Film Producer approached the Supreme Court which directed the Government to screen the film twice so that Supreme Court could give its judgement. What was the reaction of the Government thereto ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : It was not taken into custody under D.I.R. This film was taken into custody under Cinematograph Act. It was forefeited under D.I.R.

So far as second question of the Hon. Member is concerned, it is correct that the Producer through various petitions requested the Supreme Court to see the picture itself and deliver the judgment and the Supreme Court directed the Government to screen the film on 11th November, 1975. The Government informed the Supreme Court a week in advance before 11th November that there are some difficulties in screening the film. Thereafter Supreme Court provided one or two chances to the Government but the Court was informed that that film got mingled with other films that came for International Film Festival and it can not be made available. Then the Supreme Court asked the Government to prepare a fresh film from the negatives and screen the same and here also the Government informed that negative is also missing and it is not possible to screen the same. This is the position.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What was the objection of the Government ?

SHRI L. K. ADVANI : Under cinematographic Act if Government about a particular film—thinks :—

"यह जन प्रर्दशन के योग्य नहीं है क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध तथा जन-व्यवस्था के अहित में है और इससे आयोग का विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में उकसाये जाने की संभावना है ।"

it can be forfeited.

Accordingly this film was forfeited under sub-section (1) (B) of Cinematographic Act. 1952.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : No security of state was involved in this film but security of certain person and certain chair was definitely involved. I think one of the objection was exhibition of a man wearing gandhi cap. Now C.B.I. is inquiring into it. According to my information enquiries were also made from some officers of Information and Broadcasting Ministry. C.B.I. also made enquiries from Shri Shukla and some officers of Maruti Ltd. Maruti Officers have admitted that Shri Shukla ordered for giving this film and they have also admitted that it was burnt in the premises of Maruti Ltd. These things have been admitted in a statement before a Magistrate. Mr Ghandhi was present at that time. I want to know whether some letters from the Film producer Shri Amrit Nahata has been received ? If so, what are the contents thereof and the reply given to him ?

The partisan attitude adopted by the Congress party and forfeiture of 'Andhi' film and suspending playing of Kishore Kumar's songs will not be repeated by this Government. What is the censor policy of the Government in respect of political films and what is the policy about educating the people about political issues ?

SHRI L. K. ADVANI : I have already stated about the possibility of destroying the film by burning. C.B.I. is conducting a thorough investigation. Enuqiries are being made from all the officers including officers of Maruti Ltd. and investigations are at its final stages. I do not want to say more at this stage.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What is your policy ?

SHRI L. K. ADVANI : There are other occasions to discuss policy matters. Now there will be no difficulties on account of political considerations. Over all policy of censorship is being reviewed and overall guidelines are also being reviewed.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : What action has been taken on the letter of Shri Nahta ?

श्री राम जेठमलानी : यह एक गंभीर मामला है । जनता इस अपराध से बहुत दुखी है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि जांच ठीक ढंग से चल रही है और इसे पूरे वेग तथा ईमानदारी से पूरा किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर दे चुके हैं । इन्होंने कहा है कि जांच संतोषजनक ढंग से हो रही है । **(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी : मैं तो केवल उस बात के साक्ष्यों के बारे में जानना चाहता हूं जो कुछ इन्होंने कहा है ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : जहां तक साक्ष्यों का संबंध है, यह जांच अंतिम चरण में है **(व्यवधान)** इनकी सूचना के लिये मैं कह सकता हूं कि उस स्थान से 15 किलोमीटर दूर तक एक तालाब में फिल्म से भरे टिन मिले । इससे आप अनुमानगा सकते हैं कि सी० बी० आई० कितनी गहरायी से जांच कर रही है ।

DR. BALDEV PRAKASH : Minister in reply to a question stated that negatives and prints which were in the custody of Government, are missing. Has any case been registered and is the investigation going on and whether the Government has received any information on this subject ?

SHRI L. K. ADVANI : I stated that it applies to both negatives and prints.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

कोचीन में एक वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र की स्थापना

*143. **श्री वी० एम० सुधीरन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोचीन में एक वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता द्वारा मैसर्स एस० के० आयल एण्ड कम्पनी को बजबज स्थित भूमि पट्टे पर देना

*145. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट अथारिटी ने निर्धारित दर से कम दर के किराये पर मैसर्स एस० के० आयल एण्ड कंपनी को बजबज स्थित भूमि पट्टे पर दी है जिसके परिणाम-स्वरूप प्रति वर्ष एक लाख रूपये की हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कलकत्ता पत्तन न्यास ने बताया है कि प्रश्नगत भूमि, अनुसूची के अन्तर्गत स्वीकार्य रियायती दर से पट्टे पर दी गयी थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

MANUFACTURE OF POWER TILLERS IN COLLABORATION WITH JAPANESE COMPANY

*147. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Mitsubishi Tractor and Tillers Ltd., Bangalore is manufacturing power tillers in collaboration with a Japanese company;

(b) if so, the terms of contract and the reasons for granting licence to the company; and

(c) whether Government propose to bring down the price of power tillers ?

MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA) : (a) Yes, Sir. M/s V. S. T. Tillers Tractors Ltd., Bangalore are manufacturing power tillers in collaboration with M/s. Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Tokyo, Japan.

(b) The agreement between the two firms was approved on the following terms :—

(i) Royalty—3% on power tillers and spares.

(ii) Technical know-how fee—Rs. 2,08,350/-.

(iii) Investment by the Japanese company to the extent of Rs. 15 lakhs partly by way of supply of plant and machinery and partly by investing the know-how fee.

The firm was granted industrial licence on 6-4-1966 in view of substantial demand for power tillers.

(c). Yes, Sir.

जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आयोगों की नियुक्ति

*148. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में जनता दल के सत्ता में आने के पश्चात् जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत कितने आयोग नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) आयोगों के क्या नाम हैं ; और

(ग) नियुक्त किये गये विभिन्न आयोगों के निदेशपद क्या हैं और आयोग कितने समय तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद केन्द्र में छः आयोग नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) तथा (ग) आयोग नियुक्त करने की तत्संबंधी अधिसूचनायें सदन के पटल पर रख दी गई हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-473/77.**]

पिछड़े जिलों के लिए योजनाएं

149. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पिछड़े जिले के लिये जिला योजनायें बनाने के बारे में प्राक्कलन समिति के उनहत्तरवें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) के पैरा 2, 109-2, 110 में की गई सिफारिश के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) कितने जिलों को, विशेष रूप से तमिलनाडू ने इसके अन्तर्गत लाया गया है ;

(ग) ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किन स्थितियों में है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी योजनाओं को यथार्थवादी और व्यवस्थित क्रियान्वयन क योग्य बनाने की दृष्टि से उनका पुर्नविलोकन करने का है ;

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को जिला योजनायें तैयार करने के लिये कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया था ।

(ख) इस संबंध में मार्च, 1976 की स्थिति को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के भाग (ख) के उत्तर में दिनांक 24 मार्च, 1976 को सदन को सूचित किया गया था । तमिलनाडू ने तब भी 13 जिला आयोजन कक्षों के माध्यम से 23 विकास जिलों के लिये जिला भावी योजनायें तैयार की थीं और औद्योगिक दृष्टि से अधिक पिछड़े जिलों अर्थात रामनाथपुरम्, धर्मपुरी, तंजौर और दक्षिणी अरकाट के लिये तकनीकी–आर्थिक संभाव्यता अध्ययन पूरे कर लिये गये थे । इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में रिपोर्ट उक्त राज्य से मंगवाई गई है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) राज्य योजना के संसाधनों से योजना के विभिन्न भागों के लिये निर्धारित किय जा सकने वाले संसाधनों पर इन योजनाओं का कार्यान्वयन निर्भर होगा । इनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में सूचना मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(घ) किसी जिला योजना का मुख्य परिमापक यह है कि वह वास्तविक हो और उपयुक्त समयावधि में निष्पादित किया जा सकता हो । एकीकृत ग्रामीण विकास और रोजगार बल की दृष्टि से जिला योजनाओं की समीक्षा की जायेगी और छठी योजना कार्यक्रम के आरंभिक प्रयत्न के रूप में यह कार्य शुरू किया जायेगा ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षुग्रों में बदलना

*154. **श्री रोबिन सेन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1974 में भर्ती किये गये प्रशिक्षणार्थीयों को आपात स्थिति के दौरान जबरदस्ती प्रशिक्षु योजना 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षु बना दिया गया जिससे प्रशिक्षणार्थी के रूप में उनकी सेवा शर्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ; और

(ख) क्या मंत्रालय का उन्हें फिर से प्रशिक्षणार्थी बनाने और प्रशिक्षणार्थी के रूप में सभी सुविधायें देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ईस्टर्न कोल-फील्डस् लि० द्वारा 1974 में भर्ती किये गये प्रशिक्षणार्थियों को सितम्बर, 1974 तथा अक्तूबर, 1975 के बीच प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत लाया गया । इससे प्रशिक्षणार्थियों के रूप में उनकी सेवा शर्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ख) उन्हें पुन: प्रशिक्षणार्थी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से उनको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा ।

RURAL ELECTRIFICATION IN RAJASTHAN AND MADHYA PRADESH

+*155. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether schemes received from Rajasthan and Madhya Pradesh under the rural electrification scheme are still under consideration; and

(b) if so, reasons for delay ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) As on 31-5-1977, 34 rural electrification schemes sponsored by the Rajasthan State Electricity Board and 52 schemes sponsored by the Madhya Pradesh Electricity Board to the Rural Electrification Corporation Ltd. were pending consideration. Of these, 13 schemes of Rajasthan and 27 schemes of Madhya Pradesh had ben returned by the Corporation, after preliminary scrutiny and/or field appraisal, to the respective Boards for revision. The remaining schemes are under consideration with the Corporation.

(b) Of the 21 schemes of Rajasthan State Electricity Board pending with the Corporation, 20 have been received during the last 5 months. One scheme has been pending for more than 5 months. This could not be considered during 1976-77 as the funds allocated for the State under Minimum Needs Programme were fully utilised for sanctioning other schemes on the basis of the priorities indicated by the Board. The area of the scheme has since been appraised and it will be taken up for approval during the current financial year.

Of the 25 schemes of Madhya Pradesh Electricity Board pending with the Corporation, 22 have been received during the last 5 months. 3 schemes have been pending for more than 5 months. One of these is Special Transmission scheme and will be considered on receipt of back-up area schemes to be served by it, which are awaited from the Board One scheme is not included in the priorities indicated by the Board. The third scheme could not be sanctioned in 1976-77 due to non-availability of the funds by the State under Minimum Needs Programme. This is being considered for sanction during the current financial year.

अनुसन्धान और विश्लेषण उपभाग

***156. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पुत्र तथा सरकार ने अनुसंधान और विश्लेष्ण उपभाग का देश में कांग्रेस-विरोधी राजनैनित दलों तथा उनके नेताओं और स्वयं कांग्रेस-जनों के विरुद्ध किस सीमा तक उपयोग किया ;

(ख) उक्त उद्देश्यों के लिये कितना सरकारी धन उपयोग किया गया ;

(ग) यह संगठन इन कार्यवाहियों के लिये बजट के किस शीर्षक के अन्तर्गत धन प्राप्त करता रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का इस संगठन की गतिविधियों के बारे में, यथासंभव ब्यौरों सहित, एक श्वेत पत्र प्रकाशित करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) अनुसंधान और विश्लेषण उपभाग को, सिवाय इसके कि जहां बाहरी आसूचना को एकत्र करने संबंधी इसको सौंपे गये कार्य को पूरा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक था, देश में प्रचालन करने का कोई प्राधिकार नहीं दिया गया है । इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अनुसंधान और विश्लेपण उपभाग ने अपनी सीमाओं का उल्लघंन किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा संगणकों का निर्माण

***157. श्री एम० कल्याण सुन्दरम्**
श्री के० ए० राजन } : क्या इलैक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, जिनकी भारत में अपनी शाखायें हैं, संगणकों का निर्माण आरम्भ करने के लिये सरकार की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ही एक मात्र बहुराष्ट्रीय कम्प्यूटर कंपनी है जिसकी इस समय भारत में शाखा है । तथापि, ब्रिटेन की इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड नामक कंपनी की यहां दो सहायक कंपनियां ह, पहली आई० सी० एल० (इंडिया) जिस पर आई० सी० एल० (ब्रिटेन) का शत-प्रतिशत स्वामित्व है, तथा दूसरी इंटरनेशनल कम्प्यूटर इंडियन मैन्यूफैक्चर जिसमें आई० सी० एल० (ब्रिटेन) के 60 प्रतिशत शेयर हैं । इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स् ने कम्प्यूटर बनाने के किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं किया है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की आवश्यकताओं को देखते हुए, इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड ने आई० सी० एल० (इंडिया) के कारोबार को बन्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और आई० सी०

ग्राई० एम० लि० में विदेशी ईक्विटी की पूंजी को घटा कर 40 प्रतिशत करना भी स्वीकार कर लिया है । उन्होंने 40 प्रतिशत विदेशी ईक्विटी पूंजी के साथ ग्रपने वर्तमान 2900 ग्रनुक्रम के ग्राई० सी० एल० 2903/2904 कम्प्यूटरों के नये रेंज ग्रौर साथ ही ग्राई० सी० ग्राई० एम० लिमिटेड द्वारा कतिपय रेंज के कम्प्यूटर पेरीफेरल यूनिट के निर्माण का प्रस्ताव किया है । इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड के इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

जन समितियां

*158. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री जयप्रकाश नारायण के इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि जन-समितियों का गठन किया जाना चाहिये, जिनके माध्यम से जनता ग्रपनी मांगों ग्रौर विचारों को ग्रभिव्यक्त कर सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जन-समितियों का प्रारूप तैयार हो गया है ; ग्रौर

(ग) इन समितियों के साथ सरकार किस सीमा तक सहयोग करेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) ग्रौर (ग) 'जन-समितियों' के गठन के बारे में 25 मार्च, 1977 को इंटरव्यू प्रसारण में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा दिये गये सुझावों की ग्रोर सरकार का ध्यान ग्राकर्षित किया गया है। सरकार प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों की ग्रोर से पूरी सतर्कता बरतने की ग्रावश्यकता को पूर्णतया मानती है ग्रौर प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके पूर्ण सहयोग को प्राप्त करना चाहती है । इस उद्देश्य को किसी ग्रच्छे ढंग से प्राप्त किया जा सकता है इसके लिये पूर्ण तथा ग्रधिक विस्तृत जांच की ग्रावश्यकता होगी ।

श्री राजीव गांधी के दौरे

*159. **श्री ग्रार० डी० गट्टानी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्र श्री राजीव गांधी ग्रौर उनके श्वसुर ग्रौर सास ने पिछले दिसम्बर ग्रौर इस वर्ष जनवरी मास में भारत में कितने दिन तक यात्रा की ;

(ख) क्या इन व्यक्तियों को सरकारी खर्च पर ग्रति विशिष्ट व्यक्ति की भांति व्यवहार दिया गया ग्रौर यदि हां, तो किन राज्यों में ;

(ग) उनकी यात्रा के प्रबन्धों पर राजकोष से कुल कितना व्यय किया गया ; ग्रौर

(घ) सरकार का सरकारी संसाधनों तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ख) तक सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसन्धान तथा विश्लेषण उपभाग के विरुद्ध शिकायतें

***160. श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में अनुसंधान तथा विश्लेषण उपभाग के कार्यकरण के बारे में गत दो महीनों में समाचार-पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों और लेखों का पता है ;

(ख) गत दो महीनों में अनुसंधान तथा विश्लेषण उपभाग के विरुद्ध सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों तथा अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) शिकायतों तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) इसके कार्यकरण में परिवर्तन लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) से (घ) अनुसंधान तथा विश्लेषण उपभाग के विषय में जो रिपोर्टें हाल ही में समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, सरकार को उनका पता है । इस संगठन के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि इसका प्रयोग देश में राजनैतिक उद्देश्यों के लिये किया गया था । बहरहाल, इसको सिद्ध करने के लिये कोई सबूत नहीं है कि अनुसंधान तथा विश्लेषण उपभाग ने बाहरी आसूचना एकत्र करने के लिये उनको दिये गये प्राधिकारों का उल्लंघन किया है ।

इस संगठन के कार्य का पुनरीक्षण करने तथा उसका पुनर्गठन करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

गंगाखेड़ महाराष्ट्र में तापीय बिजली घर का विस्तार

***161. श्रीमती मृणाल गोरे**
श्री आर० के० महालगी } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गंगाखेड़ (जिला परभणी) के तापीय बिजली घर का विस्तार करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या सर्वेक्षण में कहा गया है कि तापीय बिजली घर लगाने के लिये गंगाखेड़ सबसे उपयुक्त स्थान है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अंतमि निर्णय कर लिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

बम सम्बन्धी वस्तुएं बनाने के लिए मारुति लिमिटेड को ठेका

*162. श्री जी० एम० बनतवाला / श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भूतपूर्व रक्षा मंत्री के हस्तक्षेप पर बम संबंधी वस्तुयें बनाने के लिये मारूति लिमिटेड को एक ठेका दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय प्राइवेट फर्मों को ऐसा लाइसेंस देने के लिये सहमत नहीं हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच कराने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं । लेकिन मारूति और दो अन्य प्राइवेट फर्मों को हथगोले (ग्रेनेड) के एक छोटे से संघटक के लिए 15-10-75 को, अर्थात् पूर्ववर्ती रक्षा मंत्री द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आर्डर दिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

SECOND PAY COMMISSION'S RECOMMENDATIONS REGARDING DISPARITY IN PAY SCALES OF EMPLOYEES OF J.C.B. AND GOVERNMENT OF INDIA PRESS

*163. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Second Pay Commission had recommended identical scales of pay for the employees working in Reading Branch of J.C.B. and the employees working in Reading Branch of the Government India Press;

(b) If so, the reasons for disparity in pay scales of the employees working in Reading Branches of both these departments as per recommendations of the Third Pay Commission; and

(c) whether employees working in the Reading Branch of JCB were given lower pay scales as compared to the pay scales given to their counterparts in Government of India, Press and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) There is no disparity in the case of Reader Grade II but it exists in case of Reader Grade I and Copy Holder. In 1968, the Pay Scales of Reader Grade I and Copy Holder were revised upwards in the Government of India Press on the basis of the recommendations of a Committee appointed for categorisation of various posts in that Press. No such revision was made in the case of the Reading Branch of the JCB. This created a disparity in the pre-revised scales of pay of Reader Grade I and Copy Holder as between the Government of India Press and the JCB. Evidently, because the pre-revised scales of Reader Grade I and Copy Holder in the Reading Branch of the JCB were lower, the revised pay scales recommended by the Pay Commission for these posts were also lower.

FIVE YEAR PLAN

1293. SHRI UGGRASEN : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Five Year Plans have so far helped the development of cities only and villages have remained totally untouched and neglected; and

(b) if so, whether Government are considering to scrap Five Year Plans and adopt fresh measures by bringing about changes in the structure and functioning of the present plan with a view to achieve the desired aim ?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) The Planning Commission, which has been reconstituted recently, is reviewing the existing investment plans in the light of the policies of the new Government, with greater emphasis on employment especially through programmes of agricultural and rural development. The Government objectives and priorities will be more fully reflected in the formulation of the Sixth Five Year Plan.

ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को बहाल करना जिनकी सेवाएं 'मीसा' और 'भारत रक्षा नियमों' के अधीन समाप्त कर दी गई थीं

1294. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की, राज्यवार और श्रेणीवार, संख्या कितनी है, जिनकी सेवायें आपात-स्थिति के दौरान मीसा और भारत रक्षा नियमों के अधीन समाप्त कर दी गई थीं ; और

(ख) 31 मई, 1977 तक कितने व्यक्तियों की सेवायें बहाल की जा चुकी थीं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम और भारत रक्षा नियमों में किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

THERMAL POWER STATIONS AT KOTA, RAJASTHAN

+1295. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of ENERGY be to state the quantum of electricity which would be generated after completion of the new Thermal Power Station at Kota, Rajasthan ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : The installed capacity of the Kota Thermal Power Station, after completion will be 220 MW of electricity.

आल जम्मू एण्ड कश्मीर लो पेड एम्प्लाइज फेडरेशन द्वारा दिया गया ज्ञापन

1296. **श्री आर० पी० दास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल जम्मू एण्ड काश्मीर लो पेड एम्पलाइज़ फेडरेशन ने सोमवार, 2 मई, 1977 को एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें मांग की गई थी कि सभी निलम्बित कर्मचारियों को बहाल किया जाये और मीसा बंदियों को रिहा किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो फेडरेशन के मीसा बंदियों को रिहा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या फेडरेशन के महामंत्री को मीसा के अन्तर्गत नजरबंदी से छोड़ दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्य में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना, अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये फेडरेशन के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया गया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

मिनी बसों में किराया-सूची लगाना

1297. **श्री कर्पूरी ठाकुर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मिनी बसों में किरायों की कोई सूची नहीं लगायी जाती;

(ख) क्या विभिन्न मिनी बसों के कंडक्टर समान दूरी के लिये एक ही मार्ग से भिन्न भिन्न किराया लेते हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ऐसे यात्रियों को प्रायः परेशान किया जाता है जिनको विभिन्न मिनी बसों पर समान दूरी के लिये अलग-अलग किराया देने पर मजबूर किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो यात्रियों को इस परेशानी से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या मिनी बस मालिकों को इस आशय का अनुदेश देने का कोई प्रस्ताव है कि वे मिनी बसों में किसी प्रमुख स्थान पर सभी चरणों के लिये किराये की दरों की सूची अनिवार्य रूप से लगायें ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत परिचालित मिनी बसों के मालिकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे बसों में किराया-सारणी लगायें । इन परिचालकों के ऐसे अनुदेशों का पालन न करने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) (ग) तथा (घ) मिनी बसों के संवाहकों को एक ही मार्ग पर एक ही दूरी के लिये अलग-अलग किराये वसूल करने की अनुमति नहीं है । परन्तु इस संबंध में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । जब कभी ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो करार की शर्तों के अनुसार बस मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और जुर्माना किया जाता है अथवा करार भी समाप्त किया जाता है ।

DEVELOPMENT PLAN FOR JHALAWAR DISTRICT IN RAJASTHAN

1298. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether a programme for special development plan for Jhalawar district in Rajasthan has been prepared; and

(b) if so, the main features thereof ?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b) The State Government is reported to have taken a decision to prepare 10-year (1979-80 to 1988-89) integrated comprehensive district plans on a pilot basis for four districts in the State, in including Jhalawar.

The programme envisages the preparation of Special Development Plan taking into comprehensive district plans on a pilot basis for four districts in the State, including the area. Association of the local people in the preparation of the plan is also envisaged.

कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण को हुई राजस्व की हानि

1299. श्री समर मुखर्जी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण को पत्तन संपदा संबंधी किराया सूची के पुनरीक्षण में विलम्ब के कारण 20 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी है ;

(ख) क्या लोक लेखा समिति ने अपने 175वें प्रतिवेदन में उसके लिये जिम्मेवारी निश्चित करने और जिम्मेवार अधिकारी को दण्ड देने के लिये जांच करने का सुझाव दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पैरा 1.76 में यह सुझाव दिया था कि किरायों की अनुसूची के संशोधन में विलम्ब एक गंभीर मामला है और कलकत्ता पत्तन न्यास को राजस्व की हानि पहुंचाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिये उत्तरदायित्व निश्चित करने की मांग करता है ।

इस संबंध में, कलकत्ता पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि पत्तन न्यास को किराए की अनुसूची नियमित रूप से संशोधित की जाती है और 1955 से अब तक ऐसे चार संशोधन हो चुके हैं । किराया अनुसूची का संशोधन केवल एक बार अप्रल, 1972 से अप्रैल, 1973 तक स्थगित किया गया । किराया-प्रभारों के संशोधन का प्रस्ताव, जो 1972 में बनाया गया था, की विस्तृत जांच अन्य पत्तनों से ब्यौरे प्राप्त करने के बाद की जानी थी और इससे अनिवार्य रूप से मामले को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ ।

यह उल्लेखनीय है कि मूल प्रस्ताव में किराये से प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख रु० की अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया गया था । संशोधित प्रस्ताव, जिसे विस्तृत जांच के बाद स्वीकार किया गया था, से प्रति वर्ष 21 लाख रु० की अतिरिक्त आय हुई ।

इस प्रकार विलम्ब से तैयार किये गये संशोधित प्रस्तावों के परिणामस्वरूप किराये से अपेक्षाकृत अधिक धन की प्राप्ति हुई और समग्रत: किराये के विलंबित संशोधन के कारण वस्तुत: कोई हानि नहीं हुई है ।

परन्तु कलकत्ता पत्तन न्यास से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब न हों और किराया अनुसूची की वर्तमान अवधि समाप्त होने से

काफी समय पूर्व संशोधित प्रस्ताव बना लिये जायें और उनकी गहराई से जांच कर ली जाये। ताकि पुरानी अनुसूचियों के समाप्त होते ही नई दरें लागू की जा सकें ।

उपर्युक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक नोट लोक लेखा समिति को भेजा गया है ।

SURVEY OF NATURAL RESOURCES IN M. P.

1300. SHRI KALYAN JAIN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to conduct a comprehensive and scientific survey of abundant natural resources of Madhya Pradesh; and

(b) outlines of the scheme to be worked out for the exploitation of natural resources and setting up of industries based thereon in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House, when received.

POWER REQUIREMENT OF BIHAR

+1301. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the total power requirement (in megawatt) of Bihar and power being supplied; and

(b) the requirement and supply position of power in respect of Nalanda District in particular ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Total peak demand in Bihar including areas served by Damodar Valley Corporation is about 900 MW and actual availability to meet such peak is about 800 MW.

(b) Peak requirement of Nalanda District is about 45 MW against which the availability during peak is about 35 MW.

दिल्ली दूरदर्शन के स्टूडियो में आग

1302. **श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आपात-स्थिति की घोषणा के तुरंत बाद दिल्ली दूरदर्शन के स्टूडियों में रहस्यपूर्ण ढंग से आग लगी थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अग्निकांड के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है और यदि उस जांच के कोई निष्कर्ष निकले हैं तो वे क्या हैं ;

(ग) क्या इसके लिये दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ; और

(घ) इस अग्निकांड के कारण कितने रूपये की हानि हुई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवानी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की गई थी । उन्होंने बतलाया कि भरसक प्रयत्नों के बावजूद मामले का कोई सुराग नहीं मिला और उन्होंने मामले को ट्रेस न हुआ मामला माना ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) लगभग 19,62,620/- रुपये ।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों की मांगें

1303. **श्री बयालार रवि :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा स्थित विक्रमसाराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिये प्रबन्धकों के सामने कुछ मांगें पेश की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी हाल ही में जो मांगें प्राप्त हुई हैं, वे मुख्यता सेवा संबंधी मामलों, प्रगति के अवसरों, स्टाफ कल्याण तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित हैं । इनकी जांच की जा रही है ।

भारी इंजीनियरी निगम को हुई हानि

1304. **श्री शिव सम्पत :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरी निगम रांची को आरम्भ से लेकर अब तक कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची को आरम्भ से लेकर 31 मार्च, 1976 तक 115.29 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई थी । वर्ष 1976-77 का लेखा संकलित किया जा रहा है ।

(ख) धीमी गति से उत्पादन होना उन मुख्य कारणों में से है जिससे भारी इंजीनियरी निगम को 1974-75 तक हानि उठानी पड़ी । अनेक उपाय शुरू करने से जिनमें व्यवस्थित उत्पादन आयोजन और नियंत्रण, उपकरणों का निवारक रख-रखाव और संतुलन उपकरणों की स्थापना सम्मिलित है, कंपनी के उत्पादन में सुधार हुआ है। 1975-76 में कंपनी को पहली बार 2.14 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इस रुख के 1976-77 में भी बने रहने की संभावना है । भारी इंजीनियरी निगम के कार्य में और आगे सुधार करने के लिये सरकार भारी इंजीनियरी निगम के प्रबंधकीय ढांचे को पुनर्गठित और सुदृढ़ करने के लिये कदम उठा रही है ।

पीपावव में नए पत्तन का विकास

1305. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने सौराष्ट्र तट पर पीपावाव में आधुनिक सुविधाओं सहित नये पतन के विकास की संभावना के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार किया है ;

(ख) क्या तट दूर खोज के लिये तट पर पीपावव पत्तन एक आदर्श पत्तन होगा ; और

(ग) यदि हां, तो तट-दूर खोज के लिये और नमक पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये पीपावव पत्तन का विकास करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। रिपोर्ट गुजरात सरकार को प्रस्तुत की गयी थी ।

(ख) यह विदित हुआ है कि रिपोर्ट में अपतट खोज के लिये एक आदर्श तटवर्ती अड्डे के रूप में पत्तन की उपयुक्तता अथवा अन्यथा की खोज शामिल नहीं थी, क्योंकि यह उनका विचारणीय विषय नहीं था ।

(ग) बड़े पत्तनों से भिन्न अन्य पत्तनों के विकास के लिये कार्यकारी उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । इस समय पत्तन के विकास के लिये भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री जयप्रकाश नारायण को मिल रहे विशेषाधिकार

1306. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को व्यापक रूप से फैली इस आशय की आलोचना की जानकारी है कि श्री जय प्रकाश नारायण को मिल रहे असाधारण विशेषाधिकार धीरे-धीरे उन्हें संविधान से बाहर का एक शक्ति-बिंदु बना रहे हैं ;

(ख) क्या श्री नारायण को आकाशवाणी या दूरदर्शन के माध्यम से अपने संदेश प्रसारित करने की बार-बार अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या श्री नारायण के बीमार होने पर, उन्हें बम्बई जाने के लिये भारतीय वायु सेना का विमान उपलब्ध कराया गया था ; और

(घ) एक सामान्य नागरिक को दिये गये इन विभिन्न तथा संविधान के बाहर के विशेषाधिकारों के बारे में सरकार अपना क्या स्पष्टीकरण देना चाहेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) श्री जयप्रकाश नारायण को कोई असाधारण विशेषाधिकार नहीं दिये गये, न ही सरकार इस संबंध में किसी व्यापक आलोचना से

वाकिफ है लेकिन उनके स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए उन्हें कुछ सुविधायें दी गई और उनके प्रति शिष्ठा दिखाई गई। बाकी प्रश्न नहीं उठता।

(ख) इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो ऐसे व्यक्ति के लिये असाधारण हो, जिन्हें सार्वजनिक जीवन में इतनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धी मिली हो और इस देश में उनके विचारों को इतना व्यापक समर्थन मिला हो।

(ग) जी हां, 25 मार्च, 1977 को श्री जयप्रकाश नारायण को भारतीय वायु-सेना के विमान से पटना से बंबई ले जाया गया था, क्योंकि उनकी स्थिति नाजुक थी और बंबई के उनके अस्पताल में उन्हें पहुंचाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था।

भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे उपराष्ट्रपति की राज्य विधान सभाओं के विघटन के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ बातचीत

1307. **श्री यू० एस० पाटिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे उप-राष्ट्रपति की भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 9 राज्यों में विधान सभाओं के विघटन के संबंध में, जब वह मामला उनके विचाराधीन पड़ा था, बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ के मामले में न्यायाधीश गोस्वामी ने अपने 6 मई, 1977 के फैसले में जो विचार व्यक्त किये थे और उससे संबंधित लिखित याचिकाओं और भारत के मुख्य न्यायधीश द्वारा दिये गये उस प्रेस वक्तव्य की ओर भी जो 7 मई, 1977 को सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में छपा था भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है। इस बारे में संविधान की व्यवस्थाओं और सदन के व्यवहार तथा अभिसमयों को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिये इस विषय में कुछ करना उपयुक्त नहीं होगा।

किसी अन्य देश को जानकारी देना

1308. **श्री पी० के० देव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिसर्च एण्ड एनेलेसिस विंग का एक वरिष्ठ आसूचना अधिकारी अन्य देशों को जनकारी देता था और उसका पता लग गया है ;

(ख) क्या वह परिवार सहित, विमान से कनाडा पहुँच गया है और वहीं बस गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किन की साठगांठ से यह संभव हुआ और इस दुःखद घटना में अन्तर्ग्रस्त उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री सचिवालय का नाम बदलना

1309. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने प्रधान मंत्री सचिवालय का पुनर्गठन किया है और उसका नया नाम रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार के परिवर्तनों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न आसूचना सेवाएं सम्बद्ध मंत्रालयों को अन्तरित कर दी गई है और क्या कुछ सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है;

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री सचिवालाय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया है । वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या में कमी की गई है । वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर मंत्रालयवार कार्य-वितरण प्रणाली खत्म कर दी गई है । यह परिवर्तन लाने का कारण यह है कि इस कार्यालय का काम प्रधान मंत्री को सचिवालयिक सहायता देने तक सीमित रहे ।

(घ) और (ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवा-लय से वित्त मंत्रालय में वापस स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ।

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा क्षमता से अधिक उत्पादन

1312. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम कर रहे कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों ने गत तीन वर्षों में अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया और उससे भारी लाभ कमाया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बहुराष्ट्रीय निगमों के, जिन्होंने अधिक उत्पादन किया, नाम क्या हैं और इस उत्पादन से प्रत्येक निगम ने कितना लाभ कमाया ; और

(ग) इन निगमों को सरकारी प्रतिबन्धों और विनियमों का उल्लंघन करने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) से (ग) बहुराष्ट्रिक कंपनियां भारत में अपनी शाखाओं और/अथवा अपनी भारतीय सहायक कंपनियों अर्थात भारतीय कंपनियां जिनमें विदेशी कंपनियों की चुकता इक्विटी पूंजी 50% से अधिक होती है के माध्यम से कार्य करती हैं । 31-3-77 को बहुराष्ट्रिक कंपनियों की 482 शाखायें भारत में कार्य कर रही थीं । 31-3-76 अर्थात वह नवीनतम् तिथि जिस तक की सूचना उपलब्ध है, देश में कार्य कर रही बहुराष्ट्रिक कंपनियों की सहायक कंपनियों की संख्या 171 थी । इस प्रकार की

विदेशी कंपनियों की सहयोगी कंपनियों/शाखाओं की जो लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही थीं और इस प्रकार के अधिक उत्पादन से लाभ उठा रही थीं, विशद सूची उपलब्ध नहीं है ।

विदेशी कम्पनियों के औद्योगिक उद्यमों के बारे में सरकार की नीति उन क्षेत्रों को भी औद्योगिक लाइसेंस क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की है जिसमें अन्य वर्गों के उपक्रमों को छूट मिली हुई है । प्रशासनिक मंत्रालयों को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि क्षमता से अधिक के मामलों में से प्रत्येक मामले पर अलग-अलग निर्णय लेने के लिये लाइसेंसिंग कमेटी के सामने पेश किया जाये । जिन मामलों में यह सिद्ध हो जाता है कि किसी पार्टी द्वारा अधिष्ठापित क्षमता लाइसेंस दी गई क्षमता से अधिक रही है और उसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का उत्पादन लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक हुआ है उनमें कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

बहुराष्ट्रीय निगम

1313. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1977 को भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की कौन-कौन सी शाखाएं काम कर रही थीं ;

(ख) उनके कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उनके कार्यों का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) 31 मार्च, 1977 को भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की 482 शाखायें थीं ।

(ख) यह शाखायें निम्नलिखित कार्यों में लगी हुई थीं :—

कार्य-कलाप की प्रकृति	शाखाओं की संख्या
1. कृषि तथा उससे संबंधित कार्य-कलाप	112
2. खनन और उत्खनन	8
3. परिष्करण और निर्माण .	78
4. निर्माण और उपयोगिता . .	30
5. वाणिज्य (व्यवसाय और वित्त) . .	120
6. परिवहन संचार और स्टोरेज . . .	39
7. सामुदायक एवम् व्यवसायिक सेवायें . .	82
8. वैयक्तिक तथा अन्य सेवायें .	13
योग	482

(ग) और (घ) भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यों के बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई भी अध्ययन नहीं किया गया है ।

PRICES OF TYRES AND TUBES

1314. SHRI LAXMI NARAYAN NAYAK : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the prices of cycle, motor, scooter, truck and tractor tubes and tyres in the country separately as also the prices in Indian currency thereof abroad when exported; and

(b) the selling prices in India of the cycles manufactured by different companies in the country as also the selling prices thereof in Indian currency abroad ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) The prices of automotive/cycle tyres and tubes in the country vary from company to company, according to their sizes and the material content of respective tyres, such as fabric, ply rating, applicable design, etc. Similarly, their export prices vary from country to country and manufacturer to manufacturer. However, a statement showing the average price of a representative size in each category of automotive/bicycle tyres and tubes and the average f.o.b. export price thereof is attached (Annexure I).

(b) A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 474/77]

ANNEXURE-I

Item	Local selling price including Excise Duty		(Price per tyre & tube) Export price-fob value of export	
	Tyres (Rs.)	Tubes (Rs.)	Tyres (Rs.)	Tubes (Rs.)
CYCLE				
28×1·34	10-14	4-5	6-8	2-3
CAR				
5·20-31 6 Ply	190-195	30-35	100-120	15-20
5·90-15 6 ply	210-215	35	100-120	15-20
SCOOTER				
3·50×8 4 ply	65-70	10-12	40-50	5-7
3·50×10 4 ply	70-75	10-12	40-50	5-7
TRUCK				
900×20 12 PR (Rayon)	1300-1500	45-50	500	20-25
900×20 12 PR (Nylon)	1700-1900	—	—	—
TRACTOR				
550×16 6PR (Front)	210-250	32	120	15-20
11·2×28 6 PR (Rear)	860-870	120	300-400	70

IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS MADE BY KAKA KALELKAR COMMISSION

1315. SHRI ROOP NATH SINGH YADAVA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a memorandum was received on 1st April, 1977 for implementing the recommendations of Kaka Kalelkar Commission, 1955;

(b) if so, whether the memorandum would be laid on the Table of the House;

(c) whether Government are considering the question of issuing a direction regarding reservation in services for the uplift of the backward class; and

(d) if so, the time by which the direction is to be issued ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a), (b), (c) & (d) Government have received the memorandum in question and are examining the demands made therein. There is no proposal as yet to lay it on the Table of the House.

आगरा में टेलिविजन केन्द्र स्थापित करना

1316. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में, जो देश में एक प्रमुख शैक्षणिक, सांस्कृतिक और पर्यटक केन्द्र है, एक टेलीविज़न केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इसके न होने से पर्यटकों को मनोरंजन की सुविधायें देने में बहुत बाधा पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त केंन्द्र कब तक स्थापत किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है । आगरा में दूरदर्शन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर ऐसी सुविधाओं को समूचे देश में उपलब्ध करने की आवश्यकता तथा इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा ।

TOURS OF SHRI SANJAY GANDHI TO PUNJAB

1317. SHRI G. S. TOHRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total amount spent by Punjab Government during the last two years on each tour of Punjab by Shri Sanjay Gandhi;

(b) whether Shri Sanjay Gandhi was accorded reception with full official honour during his Punjab visits and was treated as a distinguished Official guest; and if so, in what capacity such an official honour was accorded to him;

(c) whether Government propose to take action against the former Ministers or high officers in this regard; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) to (d) All the relevant information is being collected from Punjab Government and will be laid on the Table of the House in due course.

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में "झोंपड़ी" निवासी

1318. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि ।

(क) क्या सरकार का विचार अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अनधिकृत "झोंपड़ी" निवासियों को हटाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने झौंपड़ी निवासियों के गरीब परिवार इससे प्रभावित होंगें ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनधिकृत "झोंपड़ियां" तत्काल हटाने की सरकार की कोई योजना नहीं है । किन्तु, सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने के कारण इन झोंपड़ियों को अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह भूमि सुधार विनियम, 1966 के उपबन्धों के अधीन किसी भी समय हटाया जा सकता है । कानूनी प्रावधान होने के बावजूद, उपयुक्त मामलों में जब अनधिकृत निवासियों को हटाया जायेगा तो उन्हें आवास स्थल आवंटित करने की कोशिश की जायेगी बशर्ते कि भूमि उपलब्ध हो।

(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने ऐसी झोंपड़ियों की संख्या के बारे में कोई सांख्यिकीय रिकार्ड नहीं रखा है ।

शाहदरा डिपो से दिल्ली परिवहन की बस का गायब होना

1319. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1977 के प्रथम सप्ताह में शाहदरा डिपो, दिल्ली से दिल्ली परिवहन की एक बस गायब हो गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बस को ढूंढ लिया गया है, और

(ग) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारी की गयी है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी; हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

कलपक्कम स्थित अणुशक्ति अनुसन्धान केन्द्र में अनुसन्धान

1320. **श्री ए० बाला पजनौर :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणुशक्ति अनुसंधान केन्द्र कलपक्कम में किये जा रहे अनुसंधान किस प्रकार के हैं ;

(ख) क्या इसी प्रकार के अनुसंधान भारत के अन्य भागों में भी किये जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में एक जैसे प्रयास एक से अधिक स्थानों पर न किये जायें, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस अनुसंधान केन्द्र की अब तक की उपलब्धि क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तमिलनाडु में कलपक्कम नामक स्थान पर निर्माणाधीन रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र, जहां फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर तथा अनुसंधान करने के लिये अन्य सहायक सुविधायें भी उपलब्ध होंगीं, की स्थापना फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों वाले परमाणु बिजलीघर लगाने के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास करने एवं अनुसंधान करने के उद्देश्य से की जा रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर निर्माणाधीन है ।

दिल्ली परिवहन निगम की मासिक आय

1321. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान प्रत्येक माह दिल्ली परिवहन निगम को मासिक आय कितनी हुई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में प्रत्येक माह औसतन कितनी बसें चल रही थीं ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक माह औसतन कितनी बसें अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चल रही थीं और प्रत्येक बस से औसतन कितनी आय हुई ; और

(घ) उक्त तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष दिल्ली परिवहन निगम को सरकार द्वारा कितना ऋण/अनुदान दिया गया ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी०-475/77]

(घ) तीन वर्षों के दौरान कोई अनुदान नहीं दिया गया । स्वीकृत ऋण का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	1974-75	1975-76	1976-77
(i) मुख्य व्यय के लिये ऋण	792	730	180
(ii) अर्थोपाय सहायतार्थ ऋण . .	685	590	80

DISPENSING OF SERVICE OF EMPLOYEES AND CORRESPONDENTS CONSEQUENT OF MERGER OF 'HINDUSTAN SAMACHAR' WITH 'SAMACHAR'

1322. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of employees and correspondents (both paid and honorary) whose services were dispensed with after the merger of 'Hindustan Samachar' with 'Samachar' during the emergency;

(b) the reasons for their services being dispensed with; and

(e) the policy of Government in regard to reinstatement of such persons whose services were dispensed with ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI : (a), (b) and (c) The services of none of the permanent employees of 'Hindustan Samachar' were terminated. However, services of 385 part-time unpaid correspondents in the districts were terminated by Samachar. Government have advised the Samachar to review all these cases.

बाटा तथा जूते बनाने वाली अन्य कम्पनियों का विस्तार

1323. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जूते बनाने वाली बड़ी कंपनियां लाखों जूते बनाने वालों का रोजगार ठप्प करती जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार बाटा और जूते बनाने वाली अन्य कंपनीयों के और आगे विस्तार को रोकने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग (श्री बृजलाल वर्मा) : (क), (ख) और (ग) सरकार की विद्यमान नीति के अंतर्गत चमड़े के जूते बनाने वाले उद्योगों का विकास केवल लघु क्षेत्र के लिए ही आरक्षित है। निर्यात विकास के लिये विद्यमान एककों के विस्तार तथा संगठित क्षेत्र में नये एकक स्थापित करने के आवेदन-पत्रों पर अलग से विचार किया जाता है। संगठित क्षेत्र में विस्तार तथा नए एककों के बारे में पहले 75% का निर्यात दायित्व रखने पर विचार किया जा रहा था। फिर भी, इस समय 100% निर्यात दायित्व के आधार पर स्वीकृतियां (इस शर्त पर कि रद्द किया गया माल जो देश में ही बेचा जा रहा हो 5% से अधिक न हों) दी जाती हैं।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

1324. **श्री के० मालप्पा**
श्री डी० बी० चन्द्रगोंडा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या कन्नड़ साहित्य परिषद् ने कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद का सदैव के लिये समाधान करने की दृष्टि से महाजन आयोग के पंचाट को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल मंत्री के इस आशय के वक्तव्य से, कि सभी सीमा विवादों का समाधान करने के लिये एक समान फार्मूला तैयार किया जाना चाहिये, कन्नड़ भाषी लोगों में बैचेनी उत्पन्न हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) राज्यों के बीच सीमा विवाद के बारे में सारे मामले पर पुनरीक्षण इस सरकार द्वारा अभी किया जाना है ।

मारुति लि० के कार्यों में जांच करने के लिए आयोग

1326. **श्री हरि विष्णु कामथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लि० के कार्यों की जांच करने के लिये गठित जांच आयोग के कार्य के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उसके निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) क्या सुनवाई सार्वजनिक रूप से की जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) आयोग का कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। कुछ जरूरी स्टाफ आ गया है और आवश्यक प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ।

(ख) आयोग के निर्देश-पद की अधिसूचना की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिएं संख्या एल० टी०-476/77]

(ग) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अनुसार आयोग अपनी कार्य-विधि स्वंय नियमित करेगा जिसमें सार्वजनिक अथवा निजी रूप से बैठक करने का फैसला शामिल होगा ।

कांग्रेस शासन के दौरान गिरफ्तार किए गए नक्सलपंथी

1327. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांग्रेस के शासन के दौरान गिरफ्तार किये गये नक्सलपंथियों की संख्या का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनमें से कितने नक्सलपंथियों को अब तक रिहा किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का बन्द होना

1328. **श्री दीनेन भट्टाचार्य**
श्री मुकुन्द मण्डल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसूर टूल्स लि० बंगलौर लगभग एक साल से बन्द है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की कितनी क्षति हुई और कारखाने को दुबारा खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स मैसूर टूल्स लि० द्वारा बनाये जाने वाले माइक्रोमीटरों की मांग आंशिक रूप में आयात के द्वारा पूरी की जाती है; परन्तु इस कंपनी के बन्द किये जाने के परिणाम-स्वरूप माइक्रोमीटरों के आयात से विदेशी मुद्रा बाहर जाने में हुई, यदि कोई वृद्धि हुई है, तो उसे बता सकना संभव नहीं है ।

कारखाने के पुन: खोले जाने के संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता लेने के बारे में न तो राज्य सरकार और न प्रबन्धकों और न कर्मचारियों की ओर से कोई पहल की गई है, अत: सरकार द्वारा कारखाने को पुन: चालू करने के लिये कदम उठाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्युत् प्रजनन की अधिष्ठापित क्षमता का लक्ष्य

1329. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में विद्युत प्रजनन की अधिष्ठापित क्षमता के लक्ष्य में कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना को 1976 में अंतिम रूप दिया गया था और लगभग 12,500 मैगावाट क्षमता प्रतिष्ठापित किये जाने कीर परिकल्पना की गई थी । 1976-77 तक कुल 5232 मैगावाट क्षमता प्रति-ष्ठापित की जा चुकी है औ आशा है कि पांचवीं योजना के अन्तिम दो वर्षों में, निर्माणा-धीन स्कीमों के पूरा हो जाने पर, लगभग 900 मैगावाट की कमी रह जायेगी ।

(ग) राज्यों की और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मानीटरिंग एजेन्सियों द्वारा परियो-जनाओं के निर्माण कार्य की भली-भांति मानीटरिंग की जा रही है । नई क्षमता को चालू किये जाने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये बेहतर कार्य संचालन में इससे सहायता मिलेगी ।

प्रेस परिषद् को फिर से बनाया जाना

1330. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रेस परिषद् की पुनः स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रेस परिषद की संरचना और कार्यकरण में कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी): (क) जी, हां ।

(ख) व्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

उपभोक्ता वस्तुओं और हल्के उद्योग (लाइट इन्डस्ट्री) के लिए एक मंत्रालय बनाना

श्री वसन्त सांठे: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपभोक्ता वस्तुओं और हल्के उद्योग के लिये एक मंत्रालय बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि जनता की इन वस्तुओं की मांग पूरी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ सहयोग करार

1332. **श्री पी० के० कोडियन:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में किसी भारतीय कम्पनी को बहुराष्ट्रीय नियमों के साथ सहयोग करार करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहयोग करारों की संख्या क्या है ;

(ग) किन भारतीय कंपनीयों और विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच करार हुयें हैं; और

(घ) करारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): (क) से (घ) वर्ष 1975 और 1976 के दौरान विदेशी कंपनियों के साथ अनुमति दिये गये विदेशी करारों की संख्या नीचे दी गई है :—

1975	271
1976	277

अनुमोदित किये गये सहयोगों की विस्तृत तिमाही सूचियां संसद के पुस्तकालय मे उपलब्ध हैं । इन सूचियों में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम तथा निर्माण की जाने वाली वस्तु की जानकारी दी गई है । वर्ष 1975 में अनुमोदित किये गये 271 मामलों में से तथा वर्ष 1976 में अनुमोदित किये गये 277 मामलों में से क्रमशः 40 और 39 मामलों में विदेशी इक्विटी में साझे की अनुमति दी गई थी । बाकी मामलों में केवल तकनीकी सहयोग के लिये ही अनुमति दी गई थी ।

केरल को सीमेन्ट की सप्लाई

1333. **श्री स्कारिया थामस :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में सीमेंट की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) केरल राज्य को सीमेंट का त्रैमासिक कितना कोटा आवंटित है और इस समय उसे वास्तव में कितना स्पलाई किया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उस राज्य के लिये सीमेंट का कोटा बढ़ाने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) बिजली में कटौतियों तथा एकाएक मांग बढ़ जाने के कारण और अपर्याप्त उत्पादन होने के फलस्वरूप केरल राज्य सहित देश के विभिन्न भागों से सीमेंट न मिलने की रिपोर्टें मिली हैं । उत्पादन में हुई कमी को बराबरी से बांटने हेतु राज्यों के कोटे में भी कटौती करनी पड़ी थी ।

(ग) और (घ) केरल राज्य को सीमेन्ट का किया गया तिमाही आबंटन तथा 1976 की अवधि में वास्तव में भेजी गई मात्रा एवम् 1977 की पहली तिमाही में किया गया आवंटन निम्न प्रकार है :—

(ला० मी० टनों में)

तिमाही	आवंटन	भेजी गई मात्रा
वर्ष 1976 की पहली तिमाही	1.50	1.78
वर्ष 1976 की दूसरी तिमाही	1.50	2.13
वर्ष 1976 की तीसरी तिमाही	2.25	1.52
वर्ष 1976 की चौथी तिमाही	2.00	1.90
वर्ष 1977 की प्रथम तिमाही	1.75	1.82

राज्य सरकार से तमिलनाडु राज्य सरकार के सीमेंट कारखानों को इस शर्त पर अधिक बिजली देने के लिये अनुरोध किया गया है कि ऐसे कारखानों में सीमेंट के अतिरिक्त उत्पादन

के 70% सीमेंट का आवंटन केरल राज्य को किया जायेगा जिसके फलस्वरूप केरल सरकार को 2 लाख मी० टन का अतिरिक्त आवंटन किया जा सकेगा ।

मैसूर टूल्स कर्मचारी एसोसिएशन, बंगलोर से प्राप्त ज्ञापन

श्री आर० दास : क्या उद्योग मंत्री

1334. **श्री मुकुन्द मण्डल :**
श्री आर० पी० दास : } क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर टूल्स कर्मचारी एसोसिएशन, बंगलौर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या मैसूर टूल्स लि० बंगलौर के प्रबंधकों ने लगभग 11 महीने से अपने श्रमिकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयोजन प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन

1335. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयोजन प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या संसद सदस्य श्री सुब्रह्मनियम स्वामी ने उन्हें इस बारे में कोई प्रस्ताव दिये हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) वे वर्तमान नीति से वास्तविक रूप में किस प्रकार भिन्न हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) योजना आयोग से छठी पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण और नीति तैयार करने और आयोजन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

छपाई के कागज का मूल्य

1336. **श्री दिनेश चन्द्र जोरदार**
श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपाई के सफेद कागज की कीमत में 30 प्रतिशत वृद्धि के लिये कागज उद्योग ने मांग की है ।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कीमत में इस वृद्धि से छात्र समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) से (ग) : कागज निर्माण संघ द्वारा छपाई में काम आने वाले सफेद कागज के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने की मांग की गई थी किन्तु सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया । शिक्षा क्षेत्र और सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के लिये कागज उद्योग 2,750/- रु० प्रति मी० टन के भाव पर छपाई के सफेद कागज का सम्भरण करता रहा है । उद्योग ने निविष्ट साधनों की लागत बढ़ जाने और अन्य प्रकार के कागजों का बाजार मन्दा हो जाने के कारण कागज के मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया था ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजदूत, राज्यपाल और उप-कुलपति

1337. **श्री भगत राम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के राजदूतों, राज्यपालों और उप-कुलपतियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : भारतीय राजदूतों में से दो अनुसूचित जातियों के हैं और दो अनुसूचित जनजातियों के । राज्यपालों में से कोई भी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का नहीं है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उप-कुलपतियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए गांवों का सर्वेक्षण

1338. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोड़ी पूंजी से ग्रामोद्योग स्थापित करने में सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से और ग्रामोद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिये सरकारी नीतियों के बनाये जाने में सहायता देने के उद्देश्य से ग्रामों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) यद्यपि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित दृष्टि से ग्रामोद्योगों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामोद्योगों का सम्भाव्यता सर्वेक्षण और औद्योगिक सम्भाव्यता अध्ययन ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और राज्य ग्रामोद्योग बोर्डों और उसकी विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जब कभी और जहां कभी आवश्यक होता है समय-समय पर किया जाता है । हाल ही में निम्नलिखित अध्ययन किये गये हैं ।

1. हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण ।
2. उत्तरी-पूर्वी राज्यों का औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण ।

3. गोवा का औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण ।

4. गांवों में अलग-2 कारीगरों का त्वरित सर्वेक्षण और

5. पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में खादी और ग्रोमोद्योग संबंधी कार्यकलाप का अध्ययन।

1339. SHRI ISHWAR CHOUDHARY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of candidates appeared in U.P.S.C. examinations during the last three years and the number of those declared successful, year-wise;

(b) whether 97.3 per cent of the candidates appearing in these examinations do not succeed; and

(c) if so, whether Government propose to avaluate a fresh policy in this regard keeping in view the waste of labour and money of a candidate ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : The number of candidates who appeared in the Union Public Service Commission examinations during the years 1973-74, 1974-75 and 1975-76 and the numbers who were recommended for appointment are given below :—

Year	*Number Appeared*	*Number recommended for appointment*
1973-74	42,887	2,631
1974-75	47,965	2,851
1975-76	57,290	2,850

The results of the examinations held in 1976-77 have not yet been declared. It will not be correct to say that 97.3% of the candidates who appear at Union Public Service Commission examinations do not succeed. Roughly out of every 100 candidates who appear, 6 are recommended for appointment. Out of those not recommended, a large percentage actually do well in the examinations, but are not recommended for appointment because of inadequate numbers of vacancies. Government are aware of the problem arising from a large number of candidates and the inadequate number of jobs to which only the very best among them could be recommended. This matter has, in general terms, been considered by the Committee on Recruitment Policy and Selection Methods presided over by Prof. D. S. Kothari. The recommendations made by this Committee are under consideration of Government.

देश में ग्रामीण विद्युतीकरण

1340. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अब तक कुल कितनी योजनायें स्वीकृत की गयीं ;

(ख) उन योजनाओं से कितने गांवों में बिजली लगी तथा लाभान्वित हुए ;

(ग) देश में अब तक ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(घ) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लघु उद्योग एकक आरम्भ हुये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अभी तक देश में ग्राम विद्युतीकरण की 1567 स्कीमें स्वीकृत की हैं ।

(ख) स्कीमों में 1,00,298 नये ग्रामों में बिजली का विस्तार करने तथा पहले से ही विद्युतीकृत 21,495 ग्रामों का गहन विद्युतीकरण करने की परिकल्पना है ।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने देश में ग्राम विद्युतीकरण के लिये 15 जून, 1977 तक 404.28 करोड़ रुपये की ऋणराशि वितरित की है ।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत 31-12-76 तक 20,699 लघु औद्योगिक यूनिटों को बिजली प्रदान की गई है ।

APPOINTMENTS OF P.SS.†PAS./STENOGRAPHERS

1341. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to fix any ratio between English and Hindi language for appointment as Private Secretaries, Personal Assistants, Senior Stenographers and Junior Stenographers in Government service; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) No such proposal is under consideration in respect of the Central Secretariat Stenographers Service.

(b) Does not arise.

आलोक उद्योग सीमेन्ट कारखाना

1342. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट फैक्ट्री से संबन्धित आलोक उद्योग के लिये, जो घाटे पर चल रहा था, सरकार ने भारी धनराशि की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण ह और कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं । केन्द्र सरकार ने उत्पादन फिर से प्रारम्भ करने गी तारीख के बाद मैसर्स जयपुर उद्योग लि० को उत्पादन शुल्क का भुगतान किये बिना उसके कार्य शुरू करने के प्रथम वर्ष में तैयार किये गये सीमेंट की ही बिक्री की जाने के लिये सहमति दी है । इस प्रकार अस्थगित उत्पादन शुल्क की रकम अदायगी व्याज सहित पांच बराबर किश्तों में की जायेगी ।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान का कार्यकरण

1343. **श्री सुशील कुमार धारा : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारी दिल्ली में बदरपुर स्थित बिजली पैदा करने वाले संयंत्र के खराब होने तथा भाखड़ा बांध से बिजली की सप्लाई में कमी आ जाने का अनुमान पहले से नहीं लगा सके थे जिसके कारण बहुत अधिक तापमान के समय बिजली बन्द करनी पड़ी तथा वातानुकूलर और प्रशीतकों का प्रयोग बन्द करना पड़ा ;

(ख) क्या ऐसे आकस्मिक व्यवधान के समय के लिये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कोई वैकल्पिक अथवा संकटकालीन प्रबन्ध नहीं किये जाते हैं ;

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिये बदरपुर के उत्पादन यूनिटों के खराब होने तथा भाखड़ा प्रणाली से विद्युत सप्लाई में कमी का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं था ।

(ख) जी, नहीं । इतने बृहत् परिमाण के लिये स्वतन्त्र रूप से आपाती प्रबन्ध व्यवहार्य नहीं है ।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण तथा प्रबन्ध में सुधार लाने के लिये किये जाने वाले उपायों के संबंध में परामर्श देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने जून, 1976 में एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा अधिकांश सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दूरदर्शन और फिल्म प्रभागों में भर्ती सम्बन्धी नियमों का संशोधन

1344. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान से पास होकर निकलने वाले प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को रोज़गार में प्राथमिकता देने की दृष्टि से दूरदर्शन और फिल्म प्रभाग में भर्ती संबंधी नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख) जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, दूरदर्शन से संबंधित क्षेत्र में भारतीय फिल्म और टैलीवीज़न संस्थान, पुणे के डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान पहले ही है । दूरदर्शन के लिये एक नया स्टाफिंग पैटर्न सरकार के विचाराधीन है और जब भर्ती नियम बनाए जायेंगे भारतीय फिल्म और टेलीवीज़न संस्थान, पुणे और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों के डिप्लोमाधारियों के दावों को ध्यान में रखा जायेगा ।

फिल्म प्रभाग में नियमित सिविल पदों के बारे में भर्ती नियमों में, संबंधित क्षेत्र में आवश्यक या वांछनीय अर्हता के रूप में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा की पहले ही व्यवस्था है । इन नियमों में भारतीय फिल्म और टेलीवीज़न संस्थान पुणे और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों के डिप्लोमाधारियों को प्राथमिकता देने का उपबन्ध करने के लिये इन नियमों में संशोधन करने की संभावना की जांच की जा रही है ।

NAXALITES AND POLITICAL PRISONERS IN BIHAR

1345. DR RAMJI SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Naxalites and political prisoners of all categories at present in Bihar;

(b) the charges against two students of Patna Science College *viz.*, Shri B. N. Sharma and Shri Prasanna Kumar, who are still in jail; and

(c) whether Government propose to release these students soon ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a), (b) and (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ग्राकाशवाणी का गोहाटी केन्द्र

1346. **श्रीमती रेणुकादेवी बड़कटकी :** क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि ग्राकाशवाणी का गोहाटी केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने वाला मुख्य ग्राकाशवाणी केन्द्र है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के हित तथा लाभ की दृष्टि से गोहाटी केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाने का है ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण ग्रडवानी) : (क) ग्राकाशवाणी का गोहाटी केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने वाला एक मुख्य प्रसारण केन्द्र है । इस क्षेत्र के ग्रन्तर्गत 7 राज्य/संघ-शासित क्षेत्र ग्रर्थात ग्रसम, मेघालय, ग्ररुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ग्रौर त्रिपुरा ग्राते हैं । इन राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों में से प्रत्येक में नीचे दिये गये स्थानों पर ग्राकाशवाणी के प्रसारण केन्द्र हैं :—

ग्रसम : गोहाटी, डिब्रुगढ़, सिल्चर ।

मेघालय : शिलांग ।

ग्ररूणाचल प्रदेश : तेजू, पस्सीघाट, तवांग ।

मणिपुर : इम्फाल ।

नागालैंड : कोहिमा ।

मिजोरम : ऐजवाल ।

त्रिपुरा : ग्रगरतला ।

(ख) गोहाटी के ट्रांसमीटरों की प्रसारण क्षमता बढ़ाने के फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

ALLOTMENT OF CEMENT TO GUJARAT

1347. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the quantity of cement (in tonnes) allotted to Gujarat State during the quarter April, May and June 1977;

(b) the quantity of cement out of it actually received by Gujarat upto 31st May, 1977:

(c) whether there is shortage of cement in Gujarat and if so, the reasons therefor; and

(d) whether it is proposed to allot additional quota of three lakh tonnes of cement to Gujarat during the current quarter ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) 3,07,500 metric tonnes.

(b) About 1,46,807 tonnes have been despatched to the State by the concerned factories up to 31-5-1977.

(c) Reports of non-availability of cement have been received from Gujarat State. The main reason for this is inadequate production due to power cuts imposed by a number of State Governments and a sudden spurt in the demand.

(d) No, Sir. But steps have been taken to ensure supply to the State of the quantity allocated by June 30, 1977.

PRODUCTION OF COAL IN 'PATHA KHERA' DURING EMERGENCY

1348. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether during emergency higher production of coal from Patha Khera coal mines (District Betul) was claimed as a result of which the pit head stock of coal was reduced by thousands of tons;

(b) whether this action was taken to please higher officers;

(c) whether as soon as the results of Lok Sabha were announced, the officers of the mine announced that the coal production has fallen by thousands of tons;

(d) whether quantity of coal mined does not tally with the quantity made public as also the number of labourers and the payment made to them does not tally with the amount shown in the account books; and

(e) whether Government propose to appoint a high level Enquiry Commission to look into it ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (d). No, Sir.

(e) Does not arise.

COMPLAINTS AGAINST THE FORMER CHIEF MINISTER OF U.P.

1349. SHRI SURENDRA VIKRAM : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the main complaints against Tiwari Ministry of Uttar Pradesh contained in the memorandum submitted to the President by the opposition party indicating the names of the Ministers including the Chief Minister against whom there are complaints and the action taken thereon so far ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : A memorandum dated the 15th April, 1977 addressed to the President, containing allegations against certain former Ministers of Uttar Pradesh, which was signed by 19 State Legislators has been referred, in accordance with the usual procedure, to the Governor for ascertaining facts. It will not be appropriate to disclose at this stage the nature of the allegations contained in the said memorandum or the names of the former Ministers against whom the allegations have been made.

WASTAGE OF FUNDS IN D.S.I.C.

1350. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Delhi State Industrial Corporation set up by the Central Government to encourage small industry in Delhi neglected its main aim and wasted funds to serve the interest of local Congress leaders and Youth Congress leaders, Shri Sanjay Gandhi;

(b) whether Government have investigated the charges levelled against the Corporation; and

(c) if so, the findings in this regard ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) No, Sir. (Presumable the Hon'ble Member's reference is to the Delhi State Industrial Development Corporation).

(b) Some complaints which have been received are being enquired into and inquiries are not complete.

(c) In view of (b) above, the question does not arise.

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा भूमि आगे पट्टे (सब-लीज) पर दिया जाना

1351. **श्री आर० के० ओमीन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैड बनाने के लिये उपयोग में लाई गई भूमि को आगे पट्टे पर देने के लिये दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को भूमि आवंटित करने की शर्तों में इस प्रकार का संशोधन किया जाना है जिससे भूमि आवंटित किया जाने वाला उप-पट्टेदार बन जाये ।

(ग) यह मामला निर्माण तथा आवास मंत्रालय के विचाराधीन है ।

राजनैतिक नेताओं की डाक का खोला जाना और टेलीफोनों का चुपचाप सुना जाना

1352. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार को पता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार तथा दल के राजनैतिक हित साधन के लिये भारतीय राजनैतिक नेताओं की डाक खोली जाती थी और उनके टेलीफोनों को अत्यधिक मात्रा में चुपचाप सुना जाता था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का काम अब बन्द कर दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) और (ग) यह बताने के लिये कोई रिकार्ड नहीं है कि राजनैतिक नेताओं के टेलीफोन चुपचाप सुने जाते थे और डाक खोली जाती थी ।

तथापि, सरकार यह सुनिश्चत करने के लिये सभी संबंधित व्यक्तियों को विस्तृत अनुदेश जारी कर रही है कि भविष्य में राजनैतिक प्रयोजनों के लिये टेलीफोनों को चुपचाप न सुना जाय और डाक को सेंसर नहीं किया जाये ।

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन सम्बन्धी कन्नड़ की एक फिल्म के प्रोड्यूसर का अभ्यावेदन

1343. श्री आर० के० महालगी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1977 में सरकार को 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन से सम्बन्धित श्री बासराज कट्टिमणि के उपन्यास पर आधारित कन्नड़ की एक फिल्म के प्रोड्यूसर की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म के मालिक से 'माडी मडिदावरु' नामक फीचर फिल्म की एक 35 एम० एम० प्रिंट भेजने के लिए कहा गया है ताकि क्षेत्रीय प्रचार के लिए इसकी उपयुक्तता का पता लगाया जा सके।

सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत

1354. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 400 किलोमीटर की प्रारंभिक दूरी के लिए किराये में बिना कटौती करते हुए छुट्टी यात्रा रियायत का पूरा भुगतान करने के बारे में छूट देने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : जी नहीं, श्रीमान् ।

दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय को नया रूप दिया जाना

1355. श्री वसन्त साठे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय को नया रूप दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां ।

(ख) नया रूप देने के प्रस्तावों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :–

(1) ऐसी विज्ञापन नीति निर्धारित करना जिसमें राजनीतिक आधारों पर कोई भेदभाव न हो ।

(2) समाचारपत्रों और विज्ञापन एजेंसियों की प्रतिनिधि संस्थाओं के परामर्श से विज्ञापनों का वैज्ञानिक दर ढांचा विकसित करना।

(3) निविदाओं और कार्यों को देने की प्रक्रियाएं और प्रथाएं निर्धारित करना।

(4) व्यक्तिनिष्ठ निर्णय न हों, इसके लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के कार्यकरण के विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय समितियां गठित करना।

(5) इन समितियों के कार्य-संचालन के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित करना।

(ग) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

प्रशासनिक पदाधिकारियों के रूप में प्रौद्योगिकोविदों का शामिल किया जाना

1356. **श्री वसन्त साठे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युक्तिसंगत आधार पर केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों/अतिरिक्त तथा संयुक्त सचिवों को वर्तमान संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रमुख स्तरों पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के रूप में प्रौद्योगिकीविदों को अधिकाधिक शामिल करने के बारे में सरकार की नीति क्या है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) तथा (ख): सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इन स्तरों पर पदों को न्यूनतम अपेक्षित संख्या तक रखा जाए। सचिव/ विशेष सचिव तथा अपर सचिव के स्तरों पर आवश्यकताओं की पुनरीक्षा की जा रही है।

(ग) सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों को प्रत्येक कार्य (जांब) की अपेक्षाओं तथा चुनाव के क्षेत्र के भीतर आने वाले व्यक्तियों के अनुभव तथा अर्हता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्रोतों से योग्यता क्रम पर चयन के आधार पर भरा जाता है।

STATEHOOD FOR DELHI

1357. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people are demanding ful-fledged status of a State for Delhi; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Government have received representations from individuals demanding the status of a State and/or Legislative Assembly for Delhi. The Delhi State Unit of the Janata Party had also included the promise of a Legislative Assembly for Delhi in its Supplementary Election Manifesto issued at the time of the recent General Elections to the Lok Sabha.

(b) The present Government have not so far given consideration to this matter.

दिल्ली में रेलवे स्टेशन से विभिन्न रिहायशी कालोनियों तक दिल्ली परिवहन निगम के बस रूटों का रद्द किया जाना

2358. **श्री कर्पूरी ठाकुर : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल में दिल्ली की विभिन्न रिहायशी कालोनियों से दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक दिल्ली परिवहन निगम में बहुत से बस रुटों को रद्द किया गया था।

(ख) यदि हां, तो क्या इससे दैनिक यात्रियों को अकथनीय परेशानी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली की दूर-दूर की कालोनियों को बस द्वारा इन दो रेलवे स्टेशनों से जोड़ने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रूप नम्बर 720 और 854 पर चलने वाली डी० टी० सी० बसों का अन्तराल

1359. **श्री कर्पूरी ठाकुर : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 के दौरान बस रूट नम्बर 720 और 854 पर दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली द्वारा कितने प्रतिशत अन्तराल (फ्रीक्वैन्सी) बनाये रखा गया ;

(ख) समय-सारणी में दिखाये गये औसत दैनिक ट्रिपों की कुल संख्या क्या है और उक्त रूटों पर बसों द्वारा वस्तुतः लगाये गये औसत दैनिक ट्रिपों की कुल संख्या क्या है ; और

(ग) इन दो रूटों पर समय-सारणी का पालन सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) अप्रैल, 1977 के दौरान रूट सं० 720 और 854 पर लगाए गए फेरों का प्रतिशत फेरों की निर्धारित संख्या की तुलना मे क्रमशः 78.26 व 92.06 था।

(ख) अप्रैल, 1977 के दौरान रूट सं० 720 पर निर्धारित औसत प्रतिदिन 79 फेरों के मुकाबले 62 और रूट सं० 854 पर निर्धारित औसत प्रतिदिन 83 फेरों की तुलना में 77 फेरे लगाये गए ।

(ग) जहां रूट सं० 720 पर बसों की सेवा कुछ अनियमित है, वहां रूट सं० 854 पर स्थिति संतोषजनक है। रूट सं० 720 पर कुछ फेरे न लगने के प्रमुख कारण बसों की मशीनरी

में खराबी आ जाना, भारी मरम्मत के लिए बसों का वर्कशाप में रुके रहना तथा नांगल राय रेलवे क्रासिंग पर विलम्ब हैं। निगम बसों के रखरखाव में सुधार लाने तथा भारी मरम्मत के लिए खाली खड़ी बसों की मरम्मत में तेजी लाने का हर संभव प्रयास कर रहा है।

PENDING APPLICATIONS FOR CEMENT FACTORIES IN RAJASTHAN

1360. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of applications pending consideration before Government for setting up new cement factories in Rajasthan;

(b) the names of applicants;

(c) the date by which a decision is likely to be taken thereon; and

(d) the names of places where new factories are proposed to be set up ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) None.

(b) and (c) Do not arise.

(d) A new factory, for which a letter of Intent has already been granted by the Government, is likely to be set up at Morak in district Kota in Rajasthan.

RECRUITMENT IN ARMY FROM RAJASTHAN

1361. SHRI CHATURBHUJ
SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL } Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of persons recruited in the Army from Rajasthan during the last three years, year-wise; and

(b) the position of Rajasthan in regard to recruitment to the armed forces as compared to the recruitment made from other States ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) The number of sepoys recruited in the army from Rajasthan during the last three years are as follows :—

1974	4107
1975	3053
1976	4453

(b) The position of Rajasthan during the last three years in regard to recruitment of sepoys and equivalent to the Armed Forces vis-a-vis other States is as follows :

1974	5th position
1975	6th position
1976	5th position.

सी० आई० बी० यूनियन अहमदनगर से प्राप्त हुए अभ्यावेदन

1362. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सी० आई० बी यूनियन अहमदनगर से दिनांक 30 मार्च, 1977 और 12 अप्रैल, 1977 को दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ग) और (ग) स्थापना अध्ययन दल द्वारा कंट्रोल रेट आफ इन्सपैक्शन व्हीकल (सी० आई० बी०) अहमदनगर में मौके पर किए गये अध्ययन के परिणामस्वरूप विभिन्न ग्रेडों में 139 पदों को कम कर दिया गया है। सी० आई० बी० असैनिक कर्मचारी यूनियन ने इन पदों को कम करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। कर्मचारियों की कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं। जो 139 व्यक्ति इससे प्रभावित हुए थे, उनमें से 76 व्यक्तियों को उक्त स्थापना में वर्तमान रिक्त स्थानों पर रखा जा रहा है। शेष 63 व्यक्तियों में से 26 व्यक्तियों को उनके अपने पसन्द के अन्य स्थानों की स्थापनाओं में स्थानांतरित किए जाने के लिए पहले ही आदेश जारी कर दिए गये हैं। इनके बाद जो कर्मचारी शेष बच गए हैं उन्हें अन्य यूनिटों/स्टेशनों में काम देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

हल्दिया कम्पलेक्स, कलकत्ता में पदों का भरा जाना

1363. श्री समर मुखर्जी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण ने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले प्रत्याशियों से 1400-1700 रु० के वेतनमान में हल्दिया कम्पलैक्स में उप प्रबंधक (कार्मिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध) के पद के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे ;

(ख) क्या स्नातक प्रबन्धक (कार्मिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध) के पद के लिये 1200-1500 रु० के वेतनमान में स्नातक डिग्री तथा डी० एस० डब्ल्यू० डिपलोमाधारियों से आवेदन पत्र मांगे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) दोनों पदों के लिये निर्धारित योग्यता अलग अलग थी और इन योग्यताओं के अनुसार आवेदन पत्र मांगे गये ।

उन्नीस गोदी क्लर्कों को सेवा से निकाला जाना

1364. श्री समर मुखर्जी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्नीस गोदी क्लर्कों की सेवायें उनके नियोक्ता मसर्स खेमका एण्ड कम्पनी तथा ग्लैडस्टन ल्याल एण्ड कम्पनी के मालिकों द्वारा से समाप्त की गई थी ;

(ख) क्या उनके नाम कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के अधीन रजिस्टर 'ए' अथवा 'बी०' में नहीं लिखे गये थे जैसा कि भूतकाल में कलकत्ता गोदी क्लर्क पर्यवेक्षक कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 के उपबन्धों के उपबन्धों के अनुसार किया जाता था, और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है।?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मैसर्स ग्लैडस्टोन लायल एण्ड कम्पनी की एजेन्सी से एक नौवहन कम्पनी के हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप कम्पनी के 16 "सी०" रजिस्टर कर्मचारी मैसर्स शरत चटर्जी एण्ड कम्पनी और मसर्स ई० सी० बोस एण्ड कम्पनी द्वारा "सी०" रजिस्टर में ही इस कम्पनी के नौभरकों के रूप में ही खपा लिया गया। मसर्स खेमका एण्ड कम्पनी ने तीन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी क्योंकि उस फर्म ने, जिसने उनका कारोबार अपने हाथ में लिया था,'सी० रजिस्टर में कर्मचारियों को लेने से इन्कार कर दिया।

(ख) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के लिए यह संभव नहीं है कि वह इन कर्मचारियों को रजिस्टर 'ए' अथवा 'बी०' म अपने पास ले ले क्योंकि कलकत्ता गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षण कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) योजना, 1970 के अधीन गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षण कर्मचारियों की मौजूदा संख्या पहले ही आवश्यकता से अधिक है।

(ग) मामले का निपटान सीधे संबंधित कर्मचारियों और उनके भूतपूर्व नियोक्ताओं के बीच करना होगा।

सहायक तथा लघु उद्योगों का विकास

1366. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तथा नये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सहायक तथा लघु उद्योगों के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सहायक उद्योगों के विकास के लिये गठित बताये जाने वाले अन्तरविभागीय दल के निष्कर्ष क्या है जिसमें विकास आयुक्त (एस० एस० आई०) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो तथा प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं; और

(ग) निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान स्थिति यह है कि देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र के विद्यमान उपक्रमों के लिए 2266 सहायक एकक काम कर रहे हैं।

नये सरकार क्षेत्र के उपक्रमों/विस्तार परियोजनाओं के बारे में ब्यूरो आंफ पब्लिक एनटर प्राइज़ेज़ द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना रिपोर्ट के प्रारूप तैयार करते

समय ही विभिन्न परियोजनाओं में सहायक उद्योगों की स्थिति स्पष्ट बता दी जाये, तथा सहायक उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उचित समय पर उद्यमकर्ता/एककों का चयन करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाये, मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही जारी किए जा चुके हैं। विकास, आयुक्त, लघु उद्योग ने इस विषय में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरु करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को परामर्श भी दे दिया है।

(ख) ब्यूरो आफ पब्लिक एनटरप्राइज़ेज़, भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विकास आयुक्त, लघु उद्योग के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाए गए अन्तर विभागीय दल स्थानों का पता लगाने वाले दल नहीं थे अपितु इनकी स्थापना उपक्रमों का दौरा करने, सहायक लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु कार्य विधियां तैयार करने, चर्चा करने तथा सहायक उद्योग स्थापित करने की दिशा में निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए की गई थी।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों के विकास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में कार्यरत संस्थाओं का अध्ययन

1367. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये गुजरात और महाराष्ट्र में कार्यरत संस्थाओं का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम रहे; और

(ग) लाभदायक बातों को अन्य राज्यों में अपनाने के लिये किस सीमा तक सिफारिश की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): (क) उद्योग मंत्रालय ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिये गुजरात और महाराष्ट्र में कार्य कर रहे संस्थानों का कोई भी अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन की ट्रांसपोर्ट यूनिटों के कार्यकरण की जांच करना

1368. **श्री नवाब सिंह चौहान:**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के तीन अधिकारियों को यूनिट के ट्रांसपोर्ट सैक्शन में उनके कदाचारों के लिए निलम्बित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन के समस्त ट्रांसपोर्ट यूनिट के कार्यकरण के बारे कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां। दिल्ली दूरदर्शन की ट्रांसपोर्ट यूनिट के तीन व्यक्ति 24-1 76 से 16-5-77 तक की अवधि के बीच निलम्बित रहे तथापि, इन तीन व्यक्तियों में से दो का निलम्बन 16-5-77 से रद्द किया जा चुका है।

(ख) और (ग) ट्रांसपोर्ट यूनिट के कार्यकरण की प्रारम्भिक जांच की गई थी। उसके बाद विस्तृत जांच की गई थी। क्योंकि इन जांचों से प्रथम दृष्टया कदाचारों का पता लगा, अतः कदाचारी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमित विभागीय जांच चालू है।

SHORTAGE OF CEMENT IN U.P.

1369. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the people are finding it difficult to get cement in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken to improve the situation?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) and (b) There are reports of non-availability of cement in various parts of the country including Uttar Pradesh due to inadequate production as a result of power cuts and a sudden spurt in the demand. To equitably distribute the shortfall in production, a cut had also to be imposed on the States quota. Government have taken steps to increase the production of cement by persuading the State Governments to give more power to the cement industry. The Government Departments have also been requested to stagger their demand for this quarter to the next quarter so that more cement is available to the general public. State Governments have also been advised to take suitable measures to prevent hoarding of cement. Export of cement has also been restricted to the minimum during this quarter (April to June) so that maximum quantities are available for domestic consumption.

सताई गई बहुओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देना

1370. **डा० बापू कालदते** : क्या गृह मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारी रक्षा समिति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सासों के विरुद्ध कानूनी उपचार के लिए बहुओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की मांग की गई है :—

(ख) क्या सताई गई बहुओं को सहायता देने की सरकार की कोई योजनायें हैं और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) : फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

तीस हजारी, दिल्ली की अदालती हिरासत से हवालातियों का भाग जाना

1371. डा० बापू कालदते
श्री के० लकप्पा } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मई, 1977 को तीस हजारी, दिल्ली की अदालती हिरासत से बहुत से हवालाती भाग निकले थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) अदालती हिरासत में हवालातियों की पूरी सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) 28 मई, 1977 को 5 विचाराधीन कैदी तीस हजारी, दिल्ली की न्यायिक हिरासत से बचकर भाग गये थे, दिल्ली प्रशासन दिल्ली पुलिस ने जो तथ्य सूचित किये हैं वे इस प्रकार हैं :—

28 मई, 1977 को 9 विचारणाधीन कैदियों को तिहाड़ जेल से लाया गया था और तीस हजारी की न्यायिक हिरासत के विशेष कक्ष में रखा गया था। इनमें से 3 विचारणाधीन कैदी संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए इस कक्ष से बाहर लाये गये। अपराह्न 1-20 बजे जब ये विचारणाधीन कैदी वापस ले जाये गये और कक्ष का दरवाजा खोला गया, तो शेष 6 विचारणाधीन कैदियों में से 5 लापता पाये गये। जो लापता पाये गये वे थे सर्वश्री नसीरअली, रवीन्द्र, देविन्द्र, नासर अहमद और सीताराम। उनमें से तीन स्व० सुन्दर सिंह के साथी थे।

यह पता लगते ही कि पाँच विचारणाधीन कैदी न्यायिक हिरासत से बचकर भाग गये हैं, तलाशी दल अन्तर्राज्जीय बस अड्डे, बेरीवाला बाग, जहां उसमें से एक रहता था, और तीस हजारी न्यायालय के परिसरों में भेजे गये। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 के अधीन भी एक मामला दर्ज किया गया। इन कैदियों की तलाशी के लिए सीमा चैक पोस्टों और रेलवे पुलिस को अनुदेश दिये गये। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ पड़ोसी जिलों के अधिकारियों को भी त्वरित वायरलैस संदेश दिये गये भारत में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को भी फरारों के हुलिया के साथ तुरन्त तलाशी संदेश भेजा गया। फरारों को फिर से पकड़ने के लिए सभी सम्भव कदम उठाने के लिए एक विशेष कक्ष भी स्थापित किया गया।

बताया जाता है कि फरारों में से दो, अर्थात् नसीर अली और रविन्द्र 10/11 जून, 1977 को दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये। दूसरे फरार देविन्द्र को दिल्ली पुलिस ने 19 जून, 1977 को फिर गिरफ्तार कर लिया है।

(ग) दिल्ली के उपराज्यपाल ने उपर्युक्त विचाराणाधीन कैदियों के बचकर भाग निकल जाने की जांच का आदेश दिया है। उक्त जांच के दौरान उन परिस्थितियों; जिनमें विचारणाधीन कैदी बचकर भागे और सुरक्षा प्रबन्धों तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए न्यायिक हिरासत के कमरों के निर्माण की जांच करेगा। यदि आवश्यक हुआ, तो कैदियों। विचाराणाधीन कैदियों को न्यायालयों में पेश करने, उनको पुलिस गार्ड आदि को देने से संबंधित जेल नियम पुस्तिका में परिवर्तन करने की भी सिफारिश की जायेगी।

वर्ष 1977-78 के दौरान विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र का विस्तार

1372. **श्री बयालार रवि :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में शुरु किये जाने वाले प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ; और

(ख) इस अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) 1977-78 के दौरान विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में किए जाने वाले प्रस्तावित मुख्य विस्तार कार्यक्रम प्रमोचक राकेटों और उन से संबद्ध उप-प्रणालियों के विकास, विद्यमान सुविधाओं के विस्तार और केन्द्र में विकसित प्रौद्योगिकीके उपयोग के क्षेत्र से संबंधित है।

(ख) 152.00 लाख रुपये।

प्रधान मंत्री के सुरक्षा कार्यों पर खर्चे को कम करना

1373. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की सार्वजनिक सभाओं को आयोजित करने में सुरक्षा तथा अन्य कार्यों पर सरकारी राजकोष को भारी खर्च वहन करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस उच्च पद की सुरक्षा को बनाए रखते हुए ऐसे खर्च को कम करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं :

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री की सार्वजनिक सभाओं को आयोजित करने में सुरक्षा तथा अन्य कार्यों की व्यवस्था करने पर किया जाने वाला मुख्य खर्च सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा के लिए अनिवार्य विधि और व्यवस्था के प्रबन्धों पर होता है। ऐसे अवसरों पर प्रधान मंत्री के लिए सुरक्षा के प्रबन्धों पर खर्च पर्याप्त रूप से कम हैं। फिर भी, हाल में इन प्रबन्धों का पुनरीक्षण किया गया है और ऐसी सभाओं में जवानों की तैनाती तथा निर्माण कार्यों की संरचना पर व्यय में पर्याप्त कमी कर दी गई है।

MERGER OF INDIAN LANGUAGES UNIT OF C.S.I.R.

1374. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Indian languages unit of C.S.I.R. is being merged with English publication and Information Directorate;

(b) whether this will result in no work in relating to the Indian languages in the headquarters of C.S.I.R.; and

(c) whether this step is being taken to hush up the irregularities committed by officers of this unit during the emergency ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) & (c) The question of transfer of administrative control of Indian Languages Unit from CSIR Headquarters to its Publications and Information Directorate for reasons of convenience and economy is presently under consideration.

(b) Does not arise.

सिन्धी समुदाय के शिष्टमंडल द्वारा ज्ञापन

1375. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धी समुदाय के एक शिष्टमंडल ने प्रधान मंत्री से बम्बई में मई, 1977 के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में भेंट की थी ;

(ख) क्या उक्त शिष्टमंडल ने उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें बहुत समय से व्याप्त सिन्धी समुदाय की कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मांगे तथा अनुरोध किया गया था ;

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और कब तक ; और

(ङ) क्या उक्त ज्ञापन में की गई मांगों और अनुरोधों को स्वीकार करने में कोई कठिनाइयां हैं ; यदि हां, तो क्या ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान् ।

(ग) कुछ मुख्य मांगों का संबंध लोक सभा और राज्य विधान सभाओं, परिषदों में सीटों के आरक्षण, अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सिंधियों की घोषणा और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए योजनाओं से हैं ।

(घ) तथा (ङ) : ज्ञापन में की गई मांगों की संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से परीक्षा की जा रही है ।

5—522LSS/77

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सचिवालय तथा संस्थानों में लगाए गए उपकरण

1376. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सचिवालय तथा संस्थानों में वर्ष 1971-77 के दौरान संगठकों तथा अन्य इलैक्ट्रानिक गैजट सहित लगाये गये विभिन्न उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर कितनी लागत आयी तथा इन्हें किस उद्देश्य से प्रयोग किया गया ;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री के सचिवालय के अन्तर्गत कोई संयुक्त आसूचना समिति भी थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसका अध्यक्ष कौन था तथा इसके रख-रखाव पर कितनी लागत आयी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले लगभग तीन वर्षों से भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के सचिवालय के लिए साउथ ब्लाक और पार्लियामेंट हाउस में निम्नलिखित उपकरण दिये गये थे ;

(1) लेटारगार्ड-2

(2) पोर्टेबल एक्सरे इक्विपमेंट-2

(3) एक्सरे इक्विपमेंट के लिए पोलरायड कापीइंग अटैचमेंट-दो

(ख) उपर्यक्त उपकरणों पर जो लगभग खर्च हुये वे इस प्रकार हैं :—

(1) 5,040-00 रु०

(2) 14,481-00 रु०

(3) 279-00 रु०

मद (1) और (2) प्रधान मन्त्री जी को सम्बोधित पत्रों और पारसलों में छिपाये गये विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के लिए हैं और मद (3) एक अतिरिक्त उपकरण है। जिसका उद्देश्य संदिग्ध लिफाफों के अन्दर रखी गई चीज़ों के फोटो लेना है।

(ग) और (घ) जी नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय में एक संयुक्त आसूचना समिति काम कर रही है। इस समिति के शीर्ष पर अतिरिक्त सचिव के दरजे के एक अधिकारी हैं 1976-77 के दौरान 3,26,000-00 रु० खर्च हुये ।

1377. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास स्थान 1, सफदरजंग रोड पर लगाए गए उपकरणों तथा गैजटों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आयी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य अनुमानतः विशेष उपकरणों तथा गैंजटों, त कि सामान्य उपकरण की ओर संकेत कर रहे हैं जो सरकारी बंगलों में दिए जाते हैं। इस मामले में सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार इन उपकरणों के ब्यौरे और खर्च इस प्रकार है।

1. टू डोर-फ्रेम मेटल डिटेक्टर-56,000 रु०

2. वन हैण्ड-हेल्ड मैटल डिटेक्टर- 875 रु०

3. वन इलेक्ट्रिक एलार्म बैल सिस्टम -33,158 रु०

भूतपूर्व प्रधानमंत्री का सचिवालय

1378. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के सचिवालय में रखे गए कर्मचारियों का विवरण क्या है तथा 1 अप्रैल, 1971 से 25 मार्च, 1977 तक (आंकड़ वर्षवार) सचिवालय के रख-रखाव पर कितनी लागत आयी।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है।

(लाख रुपए में)

वष	कार्मिकों की संख्या (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक)	व्यय
1970-71	211	20.49
1971-72	225	21.30
1972-73	227	21.80
1973-74	232	23.77
1974-75	228	27.58
1975-76	227	30.39
1976-77	219 (1-3-77 तक)	30.69

कम्प्यूटरों के निर्माण के सम्बन्ध में निर्यात उद्यम

1379. श्री के० लकप्पा : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्प्यूटरों के निर्माण के सम्बन्ध में एक संयुक्त स्वामित्व वाले 100% निर्यात उद्यम के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो उसकी रूप रेखा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ALLEGED DETENTION OF TRADERS OF RABUPURA TOWN IN BULANDSAHAR DISTRICT

1380. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether some traders of Rabupura Town in Bulandshahar District were detained in December, 1976 on the basis of the report lodged by Youth Congress workers that these traders were opposed to family planning programme;

(b) if so, the names of the traders detained and of those who lodged the report; and

(c) the action proposed to be taken by Government against the persons who are guilty of harassing the people by lodging false reports ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a), (b) and (c) : The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House in due course.

केरल में ईसाई समुदाय को सुविधाएं

1381. श्री जी० एन० बनतवाला
श्री स्करिया थामस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ईसाई समुदाय के पिछड़े वर्गों को राज्य में हिन्दू जाति के पिछड़े वर्गों के समान ही सुविधायें नहीं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में इस भेदभाव को दूर करने का है और यदि नियुक्तियों के आरक्षणों के मामले हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि केरल में ईसाई समुदाय के पिछड़े वर्ग शैक्षणिक रियायतों तथा सरकारी सेवा में में हिन्दू पिछड़े वर्गों के बराबर माने जाते हैं ।

भारतीय जन संचार संस्थान में 'यूनेस्को' के महानिदेशक का अभिभाषण

1382. डा० बापू कालदते : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या 'यूनेस्को' के महानिदेशक श्री अमादो माहतर एम० वो ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान में अभिभाषण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस अभिभाषण की मुख्य बातें क्या हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) :

(क) जी, हां।

(ख) यूनेस्को के महानिदेशक श्री अमादो माहतर एम० बो के अभिभाषण की मुख्य बातें संलग्न सूची में दी गई हैं।

विवरण

भारतीय जन संचार संस्थान में यूनेस्को के महानिदेशक श्री अमादो माहतर एम० बो० के अभिभाषण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) सूचना का विषय और उसका प्रवाह विकास, शिक्षा और संस्कृति की वर्तमान समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए, अक्तूबर-नवम्बर, 1976 में नेरोबी में हुए यूनेस्को जनरल कान्फ्रेंस के समर्थन से, यूनेस्को ने हाल ही में संचार, विज्ञान और टेकनालाजी को वही उच्च प्राथमिकता दी है जो यूनेस्को के पहले के वर्षों में शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमों को दी गई थी।

(2) जन संपर्क के माध्यमों के व्यापक उपयोग के बिना शिक्षा फैल नहीं सकती। परन्तु सामान्तया शिक्षक और संचारक अलगाव में कार्य करते रहे हैं। न ही संचार माध्यमों का वैज्ञानिक प्रवृत्ति और ज्ञान फैलाने या संस्कृति के परिरक्षण जिस पर लोगों की प्रगति निर्भर करती है, के लिए पर्याप्त रूप से उपयोग किया गया है।

(3) यूनेस्को भारत का, न केवल जन संपर्क के माध्यमों के विकास के लिए उठाए गए कदमों के लिए, अपितु अन्य देशों के सूचना कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी आभारी है।

(4) इस प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग वैज्ञानिक संचार से संबंधित है। यूनेस्को और भारत इस वर्ष कलिंग फाउंडेशन जो वैज्ञानिक संचार को प्रोत्साहित करती है, की 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे।

(5) यूनेस्को, सूचना की स्वतंत्रता और इसके स्वतन्त्र प्रवाह का समर्थक है। स्वतंत्रताओं को कायम रखने के लिए, सूचना का प्रबंध करने वालों को जिम्मेवारी से कार्य करना है। दूसरे, उन व्यक्तियों को जो सूचना प्राप्त करते हैं, संचार की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य होना है। कुछ सीमा तक उत्तरदायी संचार आवश्यकताओं की सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए यूनेस्को यह चाहेगा कि माध्यम कार्मिक सरकारी या गैर-सरकारी वित्तीय और राजनीतिक दबावों से मुक्त हों।

(6) प्रौद्योगिक प्रगति में असंतुलनों के लिए धन्यवाद। विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना के मुक्त और संतुलित प्रवाह में रुकावटें हैं। यूनेस्को इस रुकावट को दूर करना चाहता है। विकासशील देशों को अन्तर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों का उपयोग करने की सुविधा होनी चाहिए।

(7) सरकार से सहायता पाने वाली समाचार एजेंसी आवश्यक रूप से वस्तु निष्ठता नहीं गवानी या उसको प्रचार का साधन बनने की आवश्यकता नहीं। समाचार एजेंसियों के विनियायक प्राधिकारियों में ऐसे लोग होने चाहिएं जो राजनीतिक या वित्तीय दबावों, जो सरकार द्वारा डाले जा सकते हैं, में न आएं।

(8) यूनेस्को विकासशील देशों में ऐसी समाचार एजेंसियों जो स्वायत्तशासी, निष्पक्ष और सूचना के स्वतंत्र प्रवाह का साधन है, के अविर्भाव को प्रोत्साहन देगा ।

(9) भारत के विकास प्रयास में ढीलेपन की विदेशों में जानकारी है, परन्तु उपलब्धियों और सफलताओं की जानकारी नहीं है ।

(10) भारत के समाचारपत्रों ने काफी प्रगति की है । फिर भी इनमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो अन्य विकासशील देशों के समाचारपत्रों में हैं । ये समाचार पत्र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों द्वारा भेजे जाने वाले समाचारों को, तथ्यों की जांच पड़ताल किए बिना छाप देते हैं । ये अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां ऐसी सूचना देती हैं जिनमें कभी-कभी विकासशील देशों के विकास संबंधी प्रयासों को कम करके बताया जाता है । सूचना माध्यमों को विकासशील देशों के लोगों की उपलब्धियों के बारे में अपना द्वेष छोड़ देना चाहिए ।

AGITATIONS LAUNCHED AGAINST THE IMPOSITION OF EMERGENCY

1383. SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of States where agitations were launched against the imposition of emergency; and

(b) the sentences and fines imposed on those who went to the various courts in appeal against the imposition of emergency along with number of those persons among them who were acquitted ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) Information is being gathered and will be laid on the table of the House in due course.

PRODUCTION IN HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED KANPUR

1384. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the figures of production in Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur during the last three years;

(b) the total number of employees working in the said unit at present;

(c) whether every employee has got adequate work; and

(d) the action taken or being taken to ensure full utilization of Services of the under-worked employees.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) The value of production in the Kanpur Division of Hindustan Aeronautics Limited, during the last three years is as follows :

1974-75	Rs. 478.49 lakhs
1975-76	Rs. 513.27 lakhs
1976-77	Rs. 476.87 lakhs

(b) 3,388.

(c) No. Sir.

(d) Action is being taken to entrust a suitable manufacturing project to the Kanpur Division to remove the under-utilisation of the employees.

INQUIRY INTO DEATH OF DR. RAM MANOHAR LOHIA AND DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJI

1385. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint two separate Inquiry Commissions to go into the causes and circumstances leading to the alleged murders of late Dr. Ram Manohar Lohia and late Dr. Shyama Prasad Mukherji;

(b) if so, the terms of reference of those Commissions; and

(c) the time by which they will be required to submit their reports ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

RURAL ELECTRIFICATION IN AGRA AND ETAWA

†1386. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the number of villages electrified as also the number of pump-sets which have been supplied electricity in the development blocks of Agra and Etawa districts which are heavily dacoit infested areas of Uttar Pradesh during the last three years, year-wise and block-wise;

(b) the number of villages, development block-wise yet to be electrified in these districts;

(c) the number of villages proposed to be electrified during the current financial year in the said districts; and

(d) whether Government propose to give special assistance to the Rural Electrification Corporation for the purpose of electrification of all villages in these districts keeping in view the backwardness of these districts ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN UTTAR PRADESH

†1387. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the district-wise number of villages in Uttar Pradesh which have been electrified and which are yet to be electrified;

(b) the district-wise number of villages in Uttar Pradesh where electricity was made available and the number of pump-sets energised during each year of the last three years; and

(c) the district-wise number of villages proposed to be electrified and the number of pump-sets proposed to be energised during the current financial year ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कलकत्ता पोर्ट अथारिटीज द्वारा सार्वजनिक सूचनाएं जारी करना

1388. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलात्ती पोर्ट अथारिटीज ने कलकत्ता की ओर स्ट्रेंड रोड पर जमीन पट्टे पर देने के लिए सार्वजनिक सूचनाएं जारी की थीं, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) पिछले 3-4 वर्षों के दौरान कलकत्ता की ओर स्ट्रेंड रोड पर जमीन पट्टे पर देने के लिए कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं थीं ।

मारुति को सीमेन्ट की सप्लाई

1389 : **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड, हरियाणा को इसके प्रारंभ होने से लेकर अब तक कुल कितना सीमेंट सप्लाई किया गया ;

(ख) संबंधित कंपनी द्वारा इस सीमेंट का उपयोग किस प्रकार किया गया ;

(ग) क्या अनियमितता और सीमेंट के दुरुपयोग संबंधी कोई आरोप सरकार के नोटिस में लाए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) 12,930.80 मीट्रीक टन ।

(ख) से (घ) : सरकार पहले ही एक आयोग नियुक्त कर चुकी है जो अन्य बातों के साथ-साथ मैसर्स मारूति प्रा० लि० को आवंटित की गई नियंत्रित वस्तुएं और अन्य सामग्री जसे सीमेंट के उपयोग अथवा अन्य किसी प्रकार से निपटान के बारे में तथ्यों और परिस्थि-तियों की जांच-पड़ताल करेगा ।

आपात स्थिति के दौरान जेलों में लाठी चार्ज की घटनाएं

1390. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान जिन जिलों में लाठी चार्ज किया गया, उन के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में लाठी चार्ज के क्या कारण थे और उनमें कितने व्यक्ति मारे गये या जख्मी हुये ;

(ग) क्या सरकार यह जानने के लिये कोई जांच करायेगी कि क्या लाठी चार्ज उचित था या नहीं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है जिन्होंने लाठी चार्ज के लिये आदेश दिये थे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने बताया है कि उनकी जेलों में आपातस्थिति के दौरान कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है :–

(1) असम, (2) हरियाणा, (3) केरल, (4) मेघालय, (5) नागालैंड, (6) राजस्थान, (7) सिक्किम, (8) त्रिपुरा, (9) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, (10) अरुणाचल प्रदेश, (11) चण्डीगढ़, (12) दादरा व नगर हवेली, (13) दिल्ली, (14) लक्षद्वीप, (15) पांडिचेरी, (16) आन्ध्र प्रदेश ।

निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा है :—

(1) बिहार, (2) गुजरात, (3) हिमाचल प्रदेश, (4) जम्मू व काश्मीर, (5) कर्नाटक, (6) मध्य प्रदेश, (7) महाराष्ट्र, (8) मणिपुर, (9) उड़ीसा, (10) तमिल नाडु, (11) पंजाब, (12) उत्तर प्रदेश, (13) पश्चिम बंगाल, (14) गोवा दमण व दीव, (16) मिज़ोरम ।

(ग) और (घ) : सरकार ने आपातस्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों, अनाचार और दुष्कर्मों की जांच करने के लिये शाह आयोग स्थापित किया है और उसके विचारार्थ विषयो के अधीन ये बातें पूरी तरह आती हैं । शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी ।

श्री संजय गांधी, मारुति लिमिटेड, मारुति टेक्नीकल्स और मारुति हैवी व्हीकल्स के विरुद्ध शिकायतें

1391. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान सरकार को श्री संजय गांधी, मारुति लिमिटेड, मारुति टेक्नीकल्स और मारुति हैवी व्हीकल्स के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन सभी शिकायतों की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा आई० बी० को सौंप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक शिकायत की जांच का क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) तक श्री संजय गांधी और उन कम्पनियों के विरुद्ध जिनसे उनका संबंध है, अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इनकी जांच यह पता लगाने के विचार से की जा रही है कि क्या कानून का कोई उल्लघन हुआ जिसके कारण सरकार को कार्यवाई करने की आवश्यकता है । ये शिकायतें सरकार द्वारा हाल में नियुक्त न्यायमूर्ति जे० सी० शाह तथा न्यायमूर्ति डी० एस० माथुर की अध्यक्षता में जांच आयोगों के कार्य क्षेत्र में आयेगी जहां उनकी पूर्णतया जांच की जायेगी । इस अवस्था में और सूचना देना लोक हित में नहीं होगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी

1392. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में गुण्डा अधिनियम की धारा 110-छ: के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार का गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी का आदेश देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन/दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के केवल दो अध्यापकों को उनकी गतिविधियों के कारण आपात स्थिति के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता की 110 (जी०) के अधीन गिरफ्तार किया गया था।

आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण

1393. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी ने आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण सुनिश्चित करने की शपथ ली है; और

(ख) इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जैसे व्यक्ति-पूजा का परित्याग किया गया है, प्रेस की आज़ादी फिर से दिलाई गई है, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता कायम रखी गई है, विधिनियम फिर स्थापित किया गया है, जिनसे सत्ता का केन्द्रीयकरण न हो सके। विकेन्द्रीयकरण एक सतत प्रक्रिया है और सरकार इस दिशा में विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में कदम उठाती रहेगी।

कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप

1394. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को कोई पत्र भेजे गए हैं, जिनमें उनसे उनके और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में अपनी टिप्पणी देने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ;

(ग) क्या उनसे कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(घ) क्या इन आरोपों के बारे में पिछली सरकार ने जांच की थी और उन्हें निराधार पाया था ;

(ङ) वह कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं, जिनके कारण पुनः जांच कराई जा रही है; और

(च) क्या सरकार मैसूर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरेंद्र पाटिल और उनके मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करायेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ग) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उन अधिसूचनाओं की प्रतियां, जिनके द्वारा कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिये क्रमशः श्री ए० एन० ग्रोवर तथा श्री जे० आर० विमादलाल की अध्यक्षता में दो जांच आयोग गठित किये गये हैं, संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं। उन मामलों को, जिन्हें जांच के लिये भेजा गया है, इन दो आयोगों के निर्देश के निर्बन्धन में, जैसाकि उपर्युक्त अधिसूचनाओं में दिया गया है, निर्दिष्ट किया गया है।

(घ) तथा (ड) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि आन्ध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध दिनांक 6-6-77 के आरोपों के ज्ञापन में उठाए गए किन्हीं मामलों पर पिछली सरकार ने पहले जांच की थी और उन्हें निराधार पाया गया था। जहां तक कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध दिनांक 11-4-77 के ज्ञापन में दिये गये 36 आरोपों का संबंध है, केवल 7 आरोप ऐसे हैं जो पहले भी प्राप्त हुये थे, और इन 7 आरोपों में से केवल एक के संबंध में ही, न कि अन्य 6 के संबंध में, पिछली सरकार द्वारा अंतिम रुख अपनाया गया प्रतीत होता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान सरकार को मैसूर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरेंद्र पाटिल तथा उनके मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कोई आरोप प्राप्त नहीं हुए हैं।

पंजाब-हरियाणा सीमा विवाद

1395. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच सीमा विवाद तथा विशेषकर चण्डीगढ़ पंजाब को देने और फ.जिलका तथा अबोहर हरियाणा को देने के बारे में पहले ही लिए गए निर्णय में कोई परिवर्तन लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) तक, संबंधित राज्यों में नई सरकारों के साथ विचार-वमर्श करने के बाद सरकार ने इस मामले में अपनी राय भी स्थापित करनी है।

औद्योगिक परियोजनाओं की निगरानी के लिए केन्द्रीय एजेंसी

1396. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले क्षेत्रों में औद्योगिक लाभ के प्रस्तावों की जांच निगरानी करने के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना की है जैसाकि प्राक्कलन समिति (पांचवी लोकसभा)

के 69 वें प्रतिवेदन के पैरा 2.55 और समिति के 95वें प्रतिवेदन के अध्याय 1 के पैरा 6 में दोहराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो एजेन्सी के सदस्यों के नाम और उनके कृत्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं और सुझावों की जांच के लिए क्या वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) से (ग) योजना आयोग विभिन्न प्राधिकरणों से परामर्श करके प्राक्कलन समिति की 69वीं रिपोर्ट के पैरा 2.55 तथा 95वीं रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैरा 6 में फिर से बताई गई सिफारिशों पर विचार कर रहा है ।

अन्तरिक्ष में उपग्रह छोड़ा जाना

1397. **श्री विजय कुमार मंडल :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष में अध्ययन तथा अन्य उद्देश्य हेतु छोड़े जाने के लिए दूसरे उपग्रह को पूरा करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) पहले उपगृह से प्राप्त अनुभव तथा एकत्रित किए गए आंकड़ों के संदर्भ में दूसरा उपग्रह छोड़े जाने के ठीक-ठीक क्या उदेश्य हैं; और

(ग) देश में आम आदमी के हितार्थ हमारे उपग्रह कब तक भारतीय कार्यक्रमों को टेलीविजन पर दिखाने लगेंगे तथा प्रारंभ में किन क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) भूमि का पर्यवेक्षण करने वाले दिव्तीय उपग्रह पर कार्य समय-अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है । इंजीनियरी माडल पूरा हो गया है, तथा आदि प्रारूप और फ्लाइट माडलों पर कार्य चालू है ।

(ख) जबकि आर्यभट ने उपग्रह प्रौद्योगिकी में मूल क्षमता स्थापित की है तथा हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अन्तरिक्ष-उपयुक्त संरचनाओं के अभिकलन, निर्माण और जांच में अनुभव प्रदान किया है, भू-प्रेक्षण उपग्रह का मुख्य उद्देश्य भारतीय भू संहति के कुल लक्षणों को फोटो-चित्रण तथा सुदूर संवेदन मौसमविज्ञानी आंकड़ों का विश्लेषण करना और सामान्यतया जल संसाधनों, वानिकी, प्रादेशिक भूविज्ञान, जलविज्ञान, हिम आच्छादन, बड़े पैमाने पर वनस्पति का मान चित्रण इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना संकलित करना है।

(ग) भू-स्थायी कक्षा में एक सामान्य उपग्रह से दूर-संचार, मौसमविज्ञान और दूरदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बहु-उद्देशीय संक्रियात्मक अन्तरिक्ष प्रणाली की स्थापना के प्रश्न

की जांच की जा रही है। इस अवस्था में, उपग्रह दूरदर्शन सेवा प्रारम्भ करने की समय-अनुसूची निर्दिष्ट करना अथवा इस सेवा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में बताना न तो सामयिक है और न ही संभव ।

आपातस्थिति के दौरान संवाददाताओं की रद्द की गई मान्यताओं को बहाल करना

1398. **डा० बापू कालदत्ते :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात स्थिति के दौरान संवाददाताओं को रद्द की गयी मान्यताओं को बहाल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो जिन संवाददाताओं की मान्यता बहाल कर दी गई है उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या केवल चुनींदे संवाददाताओं को अस्थाई मान्यता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क), (ख), (ग) और (घ) आपातस्थिति के दौरान सरकार ने 43 संवाददाताओं की मान्यता रद्द कर दी थी। इनमें से 26 संवाददाताओं को नई मान्यता देने के लिए प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं । 25 मामलों में नई मान्यता पहले ही दी जा चुकी है और एक मामला विचाराधीन है । जिन संवाददाताओं को नई मान्यता दी गई है उनके नाम संलग्न सूची में दिए गए हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	संगठन
1	2	3
1.	श्री आर० रामानुजम	न्यूजवीक, न्यूयार्क
2.	श्री एस० पी० सिन्हा	डेर स्पीगेल (हेम्बर्ग)
3.	श्री प्रकाश मीरचन्दानी	बी० बी० सी०, लन्दन
4.	श्री बी० पी० अग्रवाल	युगवार्ता फीचर सर्विस
5.	श्री एन० बी० लैंले	तरुण भारत, पूना
6.	श्री ओ० पी० पंडित	समाचार
7.	श्री आर० एस० अग्निहोत्री	समाचार
8.	श्री डी० वी० गांधी,	साक्षी, नई दिल्ली
9.	श्री इन्दर जीत	इंडिया न्यूज एंड फीचर एलायंस
10.	श्री जी० जी० मीरचन्दानी	हिन्दुस्तान सिंधी डेली, बंबई
11.	श्री एम० आर० विरमानी	एन्टरप्राइज न्यूज एंड फीचर्स
12.	श्री कृष्ण कुमार	विक्रांत न्यूज सर्विस
13.	श्री आर० सी० पंडित	आज, वाराणसी

1	2	3
14.	श्री चन्दरकांत एफ० शाह	गुजरात, समाचार, अहमदाबाद,
15.	श्री आर० सी० प्रधान	जनता वीकली, बम्बई, तरुण भारत, बेलगाम
16.	श्री जी० एस० भार्गव	सीलोन डेली मिरर, कोलम्बो
17.	श्री प्राण सभरवाल	बाल्टीमोर सन, अमरीका
18.	श्री पी० के० खन्ना	एन० बी० सी० न्यूज, न्यूयार्क
19.	श्री सी० के० अरोड़ा	समाचार
20.	श्री टी० वी० सत्यानारायण	समाचार
21.	श्री सी० राघवन	लांग एण्ड डिस्टीगुइस्ड सर्विस
22.	श्री एन० के० त्रिखा	नवभारत टाइम्स
23.	श्री के० एन० मलिक	टाइम्स आफ इंडिया
24.	श्री वी० पी० रामचन्द्रन	समाचार
25.	श्री इरिक डा कोस्टा	लांग एण्ड डिस्टिगुइस्ड सर्विस

POST OF SECRETARY OF SHAH COMMISSION

1399. SHRI MRITUNJAY PRASAD VARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether his attention has been drawn to the news item published in the 'Indian Express' dated 21st May, 1977 under the caption "Shah probe key official was for emergency" and if so, whether Shri N. S. Saksena would be removed from the post of Secretary of Shah Commission;

(b) whether some copies of the booklet "Chaos, Discord and Anarchy versus Discipline, order and stability" written by Shri Sakosena would be laid on the Table of the House and

(c) whether any departmental action would be taken against Shri Saksena keeping in view the manner in which he defended the Government, interpreted the judgment of High Court and commented upon the present political situation and if so, when and in what form ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a), (b) and (c) Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Indian Express' date 21st May, 1977, under the caption "Shah probe key official was for emergency" Although the booklet "Chaos, Discord and Anarchy versus Discipline, Order and Stability" by Shri N. S. Saksena was meant only for circulation among the personnel of the Central Reserve Police, a copy of the same is being laid on the Table of the House in view of the interest that it has aroused in public. Shri Saksena was never appointed to the post of Secretary of the Shah Commission. He has since retired from service and Government do not consider that any departmental action against him is called for.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 477/77]

USE OF I.A.F. PLANES AND PILOTS BY FORMER PRIME MINISTER

1400. SHRI MRITUNJAY PRASAD VARMA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the former Prime Minister Smt. Indira Gandhi made use of IAF planes and pilots during her election tours;

(b) if so, whether she herself or her party made payments therefor and the procedure adopted for calculating the charges for the private flights of the former Prime Minister;

(c) whether several payments in this regard are still outstanding against the former Prime Minister and her Party and the amounts of arrears flight-wise;

(d) whether the present Prime Minister also ever made use of the IAF planes during his last election tours; and

(e) if so, the dates on which such planes were used indicating the total amount of hire charges and the amount paid therefor and whether any amount is still outstanding ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) The charges in respect of the unofficial flights of the former Prime Minister are being recovered through the Prime Minister's Office who send separate bills to the parties concerned including the AICC. The procedure adopted for calculating the charges is laid down in Government Order dated 17-8-1968 as amended from time to time and a statement containing the relevant portion is attached.

(c) A bill for a sum of Rs. 13,76,762.38 Ps. towards outstanding payments for the unofficial visits of the former Prime Minister was sent to the Prime Minister's Office. Prime Minister's Office on scrutiny has found that out of this, a sum of Rs. 11,48,749.08 Ps. is recoverable from the AICC and a scrutiny apportioning the recovery of the rest of the amount is being done by the Prime Minister's Office. Flight-date wise details of these arrears of Rs. 13,76,762.38 Ps. are given in the statement attached.

(d) No. Sir.

(e) Does not arise.

STATEMENT

Procedure adopted for calculating the charges for the private flights of the former Prime Minister

The charges for unofficial flights include the following :

(i) *Fare*—It is calculated for each passenger at the Indian Airlines rate if the destination is linked by regular commercial air service. If otherwise on the following basis :—

	Rate per	*For PM & cabinet Minister*	*For others*
		RS.	*Rs.*
Aircraft	Statute Mile	0.61 P	0.61 P
Helicopter	Kilometre	0.38 P	5.60 P

Personal Staff of the Prime Minister entitled to travelling allowance are not charged.

(ii) *Detention Charges*—Detention charges are levied if the aircraft is detained at a stretch exceeding 48 hours at out-station subject to a maximum of 6 hours for every 24 hours in excess of the first 48 hours.

(iii) *Boarding and lodging charges of the VIP aircrew (pilots etc.)*—Boarding and lodging charges of the VIP aircrew are levied if detained at outstations in excess of 3 hours at the prescribed rates.

(iv) *Other Charges*—e.g. for positioning, trial landing, return to base, stand by and refuelling flights are levied as indicated under (i) above for a single passenger.

Details of arrears pertaining to charges for unofficial tours of former Prime Minister for which Bills have been sent to Prime Minister's Office for effecting recovery

S. No.	*Date of flight*	*Amount*
1.	17-2-77	9,364.44
2.	18-2-77 to 25-2-77	2,69,204.80
3.	26-2-77 to 28-2-77	1,17,495.20
4.	2-3-77 to 8-3-77	2,79,300.78
5.	9-3-77	26,886.48
6.	10-3-77	20,237.28
7.	11-3-77 to 18-3-77	6,54,273.40
	Total : Rs.	13,76,762.38 paise

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

1401. **श्री रोबिन सैन** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि

(क) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में रिक्त स्थानों को भरने तथा भर्ती करने के मामलों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है ;

(ख) यदि हां; तो क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए मंत्रालय जांच करेगा ; और

(ग) क्या सरकार ईस्टर्न कोल फील्ड्स में भर्ती के संबंध में एक नीति तैयार करेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित है, वही ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में भी लागू होती है।

PERCENTAGE OF PEOPLE LIVING BELOW POVERTY LINE

1402. DR. LAXMINARAYAN PANDEY
SHRI C. K. CHANDRAPPAN
SHRI DHARAMVIR VASHISHT : } : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the percentage of people living below poverty line in the country at present and during 1970-71, 1975-76 and 1976-77 State-wise, and

(b) steps proposed to be taken to improve their lot ?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The number of persons below the poverty line was estimated in the past from the data on household consumption expenditure provided by the National Sample Survey Organisation, after making certain assumptions on the per capita expenditure required for minimum level of living. These assumptions vary and consequently no definite and reliable figures can be given.

(b) The Planning Commission have been requested to take into account the poverty aspects in details in the formulation of the Sixth Five Year Plan. They will look into

both strategy for poverty removal and plans and programmes in this regard. In the meantime the existing plans through economic development are intended to improve the economic condition of the weaker sections of the population. The Annual Plan for 1977-78 has been recast to allocate 30% of the funds to agricultural and allied items and generate 2.5 million jobs in the rural industries sector.

Reinstatement of Employees Arrested under D.I.R. during Emergency

1403. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether those persons who were detained under MISA with the motive of political vengeance and removed from service during the emergency have been reinstated but similarly the persons who were arrested under D.I.R. have not been reinstated and the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : Instructions have been issued to the effect that Central Government employees who had been detailed under MISA and who have since been released should be reinstated in service. However, in the case of Central Government employees arrested under DIR, the authorities concerned will have to examine each such case on merits whether the employee concerned should be reinstated in service depending on the nature of offence committed by the employee. Even in the case of those who are convicted under DISIR, the authorities are competent to review the case of the employee and reinstate the person in service, if necessary.

Fall in Industrial Production due to Power Shortage

1404. DR. LAXMINARAYAN PANDEY :
SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN :
SHRI C. K. CHONDRAPPAN :
Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether reports are being received from several parts of the country that production in industrial units is going down due to power shortage;

(b) if so, steps being taken in this regard; and

(c) the number of factories which have retrenched the employees in West Bengal, Tamil Nadu, U.P. and Maharashtra ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) Yes, Sir.

(b) The following steps have been initiated in the direction of reducing the effects of power shortage.

(i) Guidelines for energy conservation have been formulated and forwarded to the State Governments for adoption.

(ii) In a number of industrial units, diesel generating sets are being used to make up the shortage of electrical energy.

(iii) Power generation through gas turbine sets has been recommended.

(iv) Power supply from surplus States to adjacent deficit areas is being arranged to the extent possible.

(c) The information for the month of January, 1977 compiled by the Labour Bureau, *inter-alia*, indicated in the manufacturing sector of industry, 10 units in West Bengal, 1 unit in UP, 22 units in Maharashtra and no unit in Tamil Nadu resorted to retrenchment. However, it is difficult to conclude that the retrenchment was solely due to power shortage. The Government of Uttar Pradesh have also confirmed that there have been no reports of retrenchment as yet due to power shortage.

6—522LSS/77

REINSTATEMENT OF EMPLOYEES

1405. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA
SHRI HARI VISHNU KAMATH
SHRI K. A. RAJAN : } Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have issued directions for reinstatement in service of such Government employees as were suspended or removed compulsorily from service;

(b) the names of the State Governments which have not reinstated the employees whose services were terminated without any reason; and

(c) the action taken by the Central Government in this regard ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) The Department of Personnel and Administrative Reforms has no information regarding the Government employees who were suspended or removed compulsorily from service. Since suspension and removal from service of a Government servant are regulated by the provisions of the disciplinary rules applicable to him and as these Rules contain provisions for appeal/review against an order of suspension/removal from service, the question of issuing any directions in this regard by the Government does not arise.

(b) This Department has no information in this regard.

(c) As the State Public Services are the exclusive concern of the State Governments *vide* Entry No. 41 in List II of the 7th Schedule to the Constitution, the Central Government cannot take any action in these matters.

शिलांग समझौते की क्रियान्विति

1406. **श्री बसन्त साठे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग समझौते की क्रियान्विति में हुई प्रगति के बारे में बातचीत करने के के लिये नागालैण्ड का एक प्रतिनिधिमंडल हाल में गृह मंत्री से मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम निकले और स्थिति को सामान्य बनाने के लिये क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है :

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उनका प्रस्ताव यह था कि प्रधान मंत्री तथा श्री फिजों की बैठक की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री लंदन के लिये अपने दौरे के दौरान श्री फिजों से भेंट करने के लिये सहमत थे परन्तु यह स्पष्ट किया गया था कि श्री फिजों को यह स्वीकार करना चाहिए कि नागालैण्ड भारत का अंग है और नागा भारत के नागरिक हैं। जब श्री फिजों प्रधान मंत्री से मिले, उन्होंने यह शर्त स्वीकार नहीं की। परिणामस्वरूप आगे कोई प्रगति नहीं हो सकी।

नक्सलवादी कैदी

1407. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विभिन्न जेलों में ऐसे राजनीतिक बन्दियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें नक्सलवादी ठहराया गया तथा दोषी पाया गया और जिन्हें आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अतर्गत बन्दी किया गया था अथवा जिन पर मकदमा चलाया गया;

(ख) लम्बित वारन्टी की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का उन सबको सामान्य राजक्षमा देने और रिहा करने का विचार ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) पश्चिम बंगाल में 57 और तमिल नाडु में 5 बन्दियों को छोड़कर जिन्हें राज्य सरकारें इस अवस्था में छोड़ना उचित नहीं समझती हैं, फिलहाल कोई अन्य नक्सलवादी बन्दी नहीं है। दोषियों तथा उन व्यक्तियों जिन पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं के बारे में, राज्य सरकारों को उन नक्सलवादियों के मामले सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए सलाह दी गई है जो हिंसा का त्याग करने के लिए सहमत हो गए हैं और अपने कुछ नेताओं द्वारा की गई अगवानी के अनुसार प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं।

विवरण

नक्सलवादियों की 31-5-1977 को जेल में संख्या

क्रम संख्या	राज्य	अब तक हिरासत में कुल संख्या	बन्दियों की संख्या	दोषी ठहराये गए व्यक्तियों की संख्या	जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है	उनकी संख्या जिनकी जांच की जा रही है
1.	असम .	18	—	3	15	—
2.	त्रिपुरा .	1	—	—	1	—
3.	तमिल नाडु .	33	5	20	3	5
4.	बिहार .	250	—	22	158	70
5.	पंजाब .	7	—	7	—	—
6.	देहली .	—	—	—	—	—
7.	आन्ध्र प्रदेश		सूचना एकत्र की जा रही है।			
8.	केरल		—तदैव—			
9.	उड़ीसा		—तदैव—			
10.	मध्य प्रदेश		—तदैव—			
11.	पश्चिम बंगाल	57	—तदैव—			

गुजरात में चमड़ा रंगने के कारखाने की स्थापना करना

1408. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में चमड़ा रंगने के विशाल कारखाने की स्थापमा करने की तात्कलिक आवश्यकता है;

(ख) क्या इस समय गुजरात के चमड़ा रंगने वालों को चमड़ा रंगों और निर्यात प्रयोजनों के लिए अपना चमड़ा और खाल मद्रास भेजना पड़ता है; और

(ग) चमड़ा रंगने का कारखाना कब तक स्थापित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) देश में कच्चे चमड़े और खालों का परिष्करण करने के लिए काफी क्षमता उपलब्ध है । गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र में चमड़ा कमाने के अनेक एकक चल रहे हैं। सरकार गुजरात एग्रो-इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन (जोकि अब गुजरात औद्योगिक वित्त निगम, अहमदाबाद को हस्तान्तरित कर दिया गया है), को गुजरात राज्य में चमड़े और खालों से प्रतिवर्ष 4.8 लाख संख्या में तैयार चमड़े का निर्माण करने के लिए एक नए उपक्रम की स्थापना हेतु एक आशयपत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1976 को भी स्वीकृत किया है।

(ख) इस समय देश में चमड़ा कमाने के उद्योग अधिकतर तमिल नाडु, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में केन्द्रित हैं । सामान्यतः अन्य राज्यों से फालतू चमड़ा और खालों को कमाने/तैयार करने के लिए इन क्षेत्रों में भेजा जाता है।

(ग) गुजरात औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, अहमदाबाद को स्वीकृत किया गया आशयपत्र 21 अक्तूबर, 1977 तक वैध है । निगम के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन अगले वर्ष हो जाने की सम्भावना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अन्तर्गत कई योजनाएं

1409. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 14 राज्यों में 1,737 गांवों के लिए 32 नई योजनाओं हेतु 12.37 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी है।

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अन्तर्गत किन राज्यों में विद्युतीकरण किया जा रहा है; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात के गांवों का विद्युतीकरण करने में कितना धन व्यय किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम के निदेशक-मंडल की 30 अप्रैल, 1977 को हुई अपनी बैठक में 32 नई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृति दी है, जिन में 10.91 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से 14 राज्यों के 1,737 गांवों को बिजली देने की परिकल्पना है । बोर्ड ने उसी बैठक में, चालू ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 1.74 करोड़ रुपए और हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए 0.06 करोड़

रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि भी स्वीकृत की है। इस बैठक में बोर्ड ने कुल 12.71 करोड़ रुपए की ऋण राशि की स्वीकृति दी है।

(ख) निगम द्वारा स्वीकृत की गई 32 स्कीमें निम्नलिखित 14 राज्यों में विद्युतीकरण के लिए हैं :–

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू और काश्मीर
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. महाराष्ट्र
11. उड़ीसा
12. पंजाब
13. तमिलनाडु
14. पश्चिम बंगाल

(ग) इन 32 स्कीमों म गुजरात की दो स्कीमें शामिल हैं जिसमें 25.55 लाख रुपए की ऋण सहायता निहित है।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें

1410. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फैसला किया है कि सेवा की शर्तों के बारे में सरकारी कर्मचारियों की राय ली जायेगी,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान पद्धति का पुनर्गठन करने और नई पद्धति अपनाने पर विचार कर रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों और उनको सेवा की शर्तों को उनकी राय से जांच की जा सके और आवश्यक परिवर्तन किया जा सके : और

(ग) यदि हां, तो इस नये प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सरकार तथा उसके कर्मचारियों को साधारण सभा के बीच अधिक से अधिक सहयोग स्थापित करने और उनके साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने अक्तूबर, 1966 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श तन्त्र तथा अनिवार्य विवाचन के लिए एक योजना लागू की थी। इस योजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले सामान्य हितों के मामलों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श और विचार विमर्श करने के लिए तीन स्तरों पर संयुक्त परिषदों की व्यवस्था है, अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिषद की, जिसके अन्तर्गत सामान्यत: केन्द्रीय सरकार

के सभी कर्मचारी आते हैं, और मन्त्रालयों/विभागों के स्तर पर विभागीय परिषदों की, जिसमें इनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और वैयक्तिक कार्यालयों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और वैयक्तिक कार्यालयों के लिए कार्यालय/क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था है। संयुक्त परिषदों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कर्मचारियों के कार्य तथा सेवा की शर्तें कर्मचारियों के कल्याण, कार्य क्षमता तथा कार्य के स्तर में सुधार से सम्बन्धित सभी मामले आते हैं, किन्तु शर्त यह है कि :

(1) भर्ती पदोन्नति तथा अनुशासन के सम्बन्ध में परामर्श सामान्य सिद्धान्तों के मामलों तक सीमित रहेगा, और

(2) इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत मामले नहीं आएंगे। यह योजना अभी लागू है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० के० चन्दा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

1411. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के विभिन्न संचार माध्यमों के कार्य का अध्ययन करने के लिए 1966 में श्री ए० के० चन्दा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार का विचार उसकी सिफारिशों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने का है; और

(ग) पिछली सरकार ने इसकी कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था तथा वर्तमान सरकार इसकी सिफारिशों को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां। सीमति 1964 में स्थापित की गई थी।

(ख) और (ग) जो सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुई हैं उनके बारे में स्थिति का पुर्नविलोकन किया जा रहा है और सूचना सदन क-`मेज पर रख दी जाएगी।

कोल इण्डिया लिमिटेड

1412. **श्रीमति मृणाल गोरे** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया को वित्तीय संकट का सामना है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मु तथा कश्मीर में मन्तालई स्थित आश्रम में से गोला बारुद पकड़ा जाना

1413. श्री जी० एस० बनतवाला
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि जम्मू कश्मीर में मन्तालाई स्थित स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम से गोला बारूद पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में गोला बारूद पकड़ा गया है;

(ग) क्या स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने ऐसे गोला बारूद को रखने के लिए कोई लाइसेंस लिया था; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह रिपोर्ट मिली है कि निम्नलिखित हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया गया है :—

आग्नेस्त्र

(1) जापान में बनी (के० एफ० सी० "स्पीन") नं० 12-70,
.12 बोर तोड़ेदार एक नाली बन्दूक, पी-206781 पाइन और उसके तीनों टुकड़े ।

(2) एक .32 रिवाल्वर

(3) एक .22 राइफल

गोला बारूद

(1) .12 बोर गोली वाली बन्दूक के लिए 18 कारतूसें

(2) .32 रिवाल्वर के लिए 117 कारतूस

(ग) स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को निम्नलिखित समेत चार हथियार रखने के लिए लाइसेंस सं० 17/जे० ए० एन०/कोटला मुबारकपुर/दिल्ली जारी किया गया है :—

(1) एक .12 बोर गोली वाली बन्दूक

(2) एक .32 रिवाल्वर

(3) एक .22 बोर राइफल

.12 बोर गोली वाली बन्दूक आयात की गई थी और सीमा शुल्क विभाग के क्लियरेंस के बाद शस्त्र लाइसेंस में प्रविष्टि की जानी थी। इसे एक अर्द्ध स्वचालित हथियार पाया गया और शस्त्र लाइसेंस के विरुद्ध इसको रखने का अनुरोध दिल्ली प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया। रिवाल्वर के मामले में जिसके 17 कारतूस बरामद हुए हैं, लाइसेंस में एक बार में अधिक से अधिक 25 कारतूस रखने की अनुमति है। लाइसेंस का नवीकरण समय पर नहीं

कराया गया था और लाइसेंस की तारीख समाप्त होने के बाद नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। मामले की आगे जांच की जा रही है।

(घ) तथ्यों की आगे जांच को ध्यान में रखते हुए और जैसा कानून के अधीन आवश्यक होगा शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

बम्बई में खराब शराब पीने से हुई मौतें

1414. **श्री जी० एस० बनतवाला**
श्री स्करिया थामस } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1977 के पहले सप्ताह में बम्बई में खराब शराब पीने से अनेक व्यक्ति मौत के शिकार हुए;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मौतें हुई; और

(ग) क्या सरकार ने कोई निवारक उपाय लिये हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इसके परिणामस्वरूप 49 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(ग) राज्य सरकार शराब की चोर बाजारी की गतिविधियों के खिलाफ छापे मारने की कार्रवाई कर रही है और मैंथल एलकोहल की अनधिकृत बिक्री तथा संचय और जहरीली शराब के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थों की जांच के लिए गोदामों को चैक करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को हुई हानि

1415. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री ओम प्रकाश त्यागी } : क्या **उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने के प्रयास में दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को 25 लाख रुपये की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच करवाने का है?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

DECISION TAKEN IN NINE STATES BEFORE IMPOSITION OF PRESIDENT RULE

1416. SHRI G. S. TOHRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Government of India have or propose to recommend to the Governors of those 9 States, where the respective Chief Ministers took certain decisions in a haste just a few weeks before the imposition of President's Rule there, that they should annul as many decisions out of them as they can and especially those decisions which were taken in utter disregard of financial and administrative propriety; and

(b) If so, main features thereof ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) & (b) Immediately after the Proclamation under Article 356 the Governors concerned were advised that important decisions taken in the recent post should be reviewed to ascertain whether they conformed to highest traditions of financial and administrative propriety and remedial action taken where feasible. They were also advised to make a quick review of the transfer of officers particularly connected with district administrative, law and order and elections, to ensure that they were justified on general considerations of public interest.

CBI ENQUIRY FOR LOSS OF PRINTS OF FILM "KISSA KURSI KA"

1417. SHRI G. S. TOHRA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government have asked the CBI to conduct an enquiry to find out the persons responsible for the loss of the film 'Kissa Kursi Ka'; and

(b) if so, the progress made in this regard ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BOADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) es, Sir.
(a) Yes, Sir.

(b) The CBI registered a case on 13-4-1977 under Section 120-B r/w 380 IPC and took up investigation. It has been reported that during the course of investigation, empty cans along with labels indicating storage of rolls of this film in the cans were recovered following a search of the premises of Maruti Factory at Gurgaon on 25-5-1977. The available evidence points to the film having been destroyed by being burnt. Investigation is in the final stage.

छोटी सादड़ी स्वर्ण कांड

1418. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार छोटी सादड़ी स्वर्ण काण्ड मामले को पुन: जांच करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : छोटी सादड़ी स्वर्ण मामले से सम्बन्धित विषय का अन्य मामलों के साथ-साथ, हाल ही में प्राप्त उस ज्ञापन में उल्लेख है, जिसमें राजस्थान के भूत-पूर्व मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप दिए गए हैं। इन पर सामान्य कार्यविधि के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

प्रतापगढ़ स्थित ट्रैक्टर कारखाना

1419. **श्री मुक्तियार सिंह मलिक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है।

(ख) ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत क्या होगी और प्रतिवर्ष कितने ट्रैक्टरों का उत्पादन किया जायेगा; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि आवंटित की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जैसा कि मै० आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने बताया है जोकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, भूमि ले ली गई है, बाड़ लगाने का कार्य वास्तविक रूप से पूरा हो गया है, फील्ड हास्टल का निर्माण कार्य चल रहा है और प्रमुख

(न्यूक्लिग्रस) डिजाइन/इंजीनियरी प्रक्रिया/सामान के प्रबन्ध के लिए स्टाफ वहां पर मौजूद है।

(ख) फर्म द्वारा लगाये गए अनुमान के मुताबिक ट्रैक्टर की कारखाने से निकलते समय की कीमत 37,000 रुपये होगी। उनकी योजना उत्पादन शुरू करने के प्रथम पांच वर्षों में 500, 1500, 2500, 4000 और 6000 ट्रैक्टर बनाने की है।

(ग) राज्य सरकार ने अब तक 50 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों को हानि

1420. **श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम को अपनी बसों पर भारी हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम के पास कितनी बसें हैं और प्रत्येक बस पर प्रतिमास कितनी हानि होती है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिल्ली परिवहन निगम को हानि हो रही है।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के पास औसत 2247 बसों का बेड़ा था और उसे प्रति बस प्रति मास 4,116 रुपये की अनुमानित हानि हुई।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लागू की गई समान किराया प्रणाली

1421. **श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लागू की गई सामान किराया प्रणाली दिल्ली परिवहन निगम को हानि से बचाने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) समान किराया प्रणाली से अनुमानित परिणाम नहीं निकले हैं।

(ख) दो मंजिली किराया प्रणाली शुरू करने के कारण राजस्व में वृद्धि वित्तीय हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं रही है। हानि को कम करने के लिए अब उपचारात्मक कार्यवाही दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्ध के विचाराधीन है ताकि संगठन वित्तीय रूप से सक्षम बन सके।

1422. श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम में बहुत समय से उच्च पद रिक्त पड़े हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी हां। अतिरिक्त महाप्रबन्धक का पद 1-9-76 से और महाप्रबन्धक का पद 11-2-77 से खाली हुए हैं।

(ख) अतिरिक्त महाप्रबन्धक श्री अब्दुल बारी को 1-9-76 से छः महीने के लिए अस्थायी तौर पर दिल्ली परिवहन निगम का महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया। अतिरिक्त महाप्रबन्धक के पद को भरने की कार्यवाही 28-2-77 तक स्थगित कर दी गई क्योंकि श्री बारी उसके बाद किसी भी समय अपने स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित हो सकते थे। यह प्रश्न कि क्या अतिरिक्त महाप्रबन्धक का पद भरा जाए, अथवा मितव्ययता के रूप में खाली रखा जाए, अब दिल्ली परिवहन निगम के विचाराधीन है।

श्री बारी के छुट्टी पर जाने और बाद में अपने मूल संगठन को प्रत्यावर्तित होने से महाप्रबन्धक का पद, जो 11-2-77 को खाली हुआ, को भी नहीं भरा गया है क्योंकि यह निश्चय किया गया है कि अध्यक्ष और महाप्रबन्धक का पद एक कर दिया जाए। इस संयुक्त पद के जल्दी भरे जाने की सम्भावना है।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के संयुक्त सचिव, श्री बी० बी० महाजन 2-4-77, जिस तारीख को पदधारी अपने पद की प्रत्यावर्तित होने से पहले छुट्टी पर गए, से दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाले हुए हैं।

जमींदारों द्वारा हरिजनों पर की गई ज्यादतियां

1423. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री एस० जी० मुरुगय्यन : } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों में जमींदारों द्वारा हरिजनों, कृषि कर्मचारियों, पिछड़े वर्गों और दुर्बल वर्गों पर हाल ही में की गई ज्यादतियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों में हरिजनों का इस प्रकार दमन इस वर्ष मार्च-अप्रैल में किया गया, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) : सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में रिपोर्ट देखी है। क्या ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में सूचना सभी सरकारों से एकत्र की जा रही है।

(घ) राज्य सरकारों को जोर देकर कहा गया है कि उन सभी मामलों की, जिनमें हरिजनों पर किसी प्रकार की हिंसा की गई हो, तुरन्त तथा कुशलता पूर्वक जांच-पड़ताल की जाए और जिन व्यक्तियों पर ऐसे अपराध करने का सन्देह हो, उन्हें कानून के अनुसार दंड दिया जाए। राज्य सरकारों को यह भी जोर देकर कहा है कि जब कभी ऐसी घटनायें उनके ध्यान में आयें तो प्रभावित व्यक्तियों में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए कारगर तथा पर्याप्त उपाय किए जायें तथा निरोधात्मक उपायों को दृढ़ किया जाए।

मोपलाह विद्रोह में भाग लेने वालों को पेंशन

1424. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में प्रसिद्ध मोपलाह विद्रोह में भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में कोई शीघ्र निर्णय लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) मामला अभी तक विचाराधीन है।

कोंकण तटीय यातायात के लिए यात्री स्टीमर

1425. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण तटीय यातायात के लिए एक और यात्री स्टीमर खरीदने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है,

(ख) क्या महाराष्ट्र और गोआ सरकार उक्त अतिरिक्त यात्री स्टीमर के लिए जोर डाल रही है, और

(ग) क्या सरकार ने भारत के पश्चिम तट पर तटीय यातायात के बारे में सामी समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) संभवतया उल्लेख उस समिति के सम्बन्ध में है जो कोंकण तट पर परिचलन के लिए कम डुबाव के दो अतिरिक्त छोटे जहाजों की प्राप्ति के प्रश्न का अध्ययन करने हेतु मुगल लाइन लि० के प्रबन्ध निदेशक श्री जे० जी० साम्मी की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। समिति ने 18 मार्च, 1975 को अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत की। महाराष्ट्र सरकार से इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए भारत सरकार का इस रिपोर्ट पर निर्णय कराने का प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई न्हावा शेवा हार्बर परियोजना

1426. **श्री डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में कम धन मिलने के कारण बम्बई में न्हावा शेवा हार्बर प्रोजेक्ट पर धीमी प्रगति हो रही है,

(ख) यह परियोजना कब पूरी होगी और प्रत्येक चरण के लिए क्या प्रावधान किया गया है; और

(ग) सरकारी वित्त पोषक निगमों द्वारा कितना धन दिया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देशाई) : (क) मामले में अभी तक पूंजी लगाने का निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उद्योगों पर अनिवार्य अनुसंधान उपकर

1427. **श्री चित्त बसु :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं लोक सभा में दिनांक 26 मार्च, 1976 को तत्कालीन योजना मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि उद्योगों पर, अनिवार्य अनुसन्धान उप-कर की व्यवस्था करने वाला विधेयक लाया जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 24 मार्च, 1976 को एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्कालीन योजना मन्त्री ने लोक सभा में यह ब्यान दिया था कि सरकार, अनुसन्धान एवं विकास के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अधीन, उद्योगों पर उपकर लगाने का इरादा रखती है।

(ख) इस स्कीम का जो ब्यौरा तैयार किया गया है, उस पर सरकार विचार कर रही है।

"प्राईवेट सेक्टर टु बी एनकरेंज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1428. **श्री चित्त बसु :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के स्टेट्समैन दिल्ली संस्करण में "प्राइवेट सैक्टर टु बी एनकरेज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो "डिस्क्रीट आबजैक्टिब्ज रिगार्डिंग नेशनलाइजेशन" और व्यक्ति और नौकर शाही के एकाधिकार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 2 अप्रैल, 1977 के 'दि स्टेटसमैन' के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार में दिया गया वक्तव्य बाद में वापस ले लिया गया था। इस विषय में सरकार की नीति अन्तिम निर्णय कर लिए जाने के बाद यथा समय घोषित कर दी जायेगी।

इन्सोब ओटो लिमिटेड

1429. **श्री चित्त बसु :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, भारत में रूसी सहयोग की एक परियोजना इन्सौव ओटो लिमिटेड की स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री श्री बृजलाल वर्मा : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के आदेशों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के अन्तर्गत मैं० इन्सोव आटो लिमिटेड के कार्यों की जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट से कम्पनी के प्रबन्ध द्वारा किए गए अनाचारों और अनियमितताओं के अनेक मामले प्रकाश में आये। बाद में 24-1-1977 के आदेश द्वारा कम्पनी ला बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत कम्पनी के कार्यों की जांच करने के लिए कलकत्ता के एक एडवोकेट को निरीक्षक नियुक्त किया है और उस से 31 दिसम्बर, 1977 को या इससे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जांच रिपोर्ट मिलने पर आगामी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

मैथ्यू आयोग का प्रतिवेदन

1430. **श्री चित्त बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच श्री एल० एन० मिश्र की हत्या के बारे में मैथ्यू आयोग का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री श्री (चरण सिंह) (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड में इक्विटी भागीदारी

1431. **श्री पी० के कोडियान :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए जनता द्वारा धनराशि जमा करने अथवा इक्विटी भागीदारी सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ सहयोग करार

1432. श्री **पी० के० कोडियन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में किसी भारतीय कम्पनी को बहुराष्ट्रीय नियमों के साथ सहयोग करार करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहयोग करारों की संख्या क्या है ;

(ग) किन भारतीय कम्पनियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच करार हुए हैं; और

(घ) करारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) से (ख) वर्ष 1975 और 1976 के दौरान विदेशी कम्पनियों के साथ अनुमति दिए गए विदेशी करारों की संख्या नीचे दी गई है :—

1975 : 271

1976 : 277

अनुमोदित किए गए सहयोगों की विस्तृत तिमाही सूचियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इन सूचियों में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोग का नाम तथा निर्माण की जाने वाली वस्तु की जानकार दी गई है। वर्ष 1975 में अनुमोदित किए गए 271 मामलों में से तथा वर्ष 1976 में अनुमोदित किए गए 277 मामलों में से क्रमश: 40 और 39 मामलों में विदेशी इक्विटी में साझे की अनुमति दी गई थी। बाकी मामलों में केवल तकनीकी सहयोग के लिए ही अनुमति दी गई थी।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

1433. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घोषित किया गया है कि अमरीका पाकिस्तान के बीच में एक गुप्त समझौता विद्यमान है जिसके अनुसार अमरीका ने पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करने का आश्वासन दिया हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अमरीका और पाकिस्तान के बीच ऐसे किसी गुप्त समझौते के बारे में सरकार को कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूषण के बारे में शिकायतें

1434. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्द्रप्रस्थ और राजघाट बिजली घरों द्वारा दूषण फैलाने के बारे में शिकायतों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस खतरे को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र से प्रदूषण मुख्य रूप से, सन्यन्त्र में लगे धूल संग्राहक उपस्करों द्वारा अपर्याप्त कार्य-निष्पादन के कारण होता है। राजघाट ताप विद्युत केन्द्र से प्रदूषण नगण्य है।

(ग) वर्तमान उपस्करों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए ह। इनमें, राख निकालने की प्रणाली में सुधार, प्रिसिपिटेटरों की लपेटन (रैंपिंग) यांत्रिक व्यवस्था में सुधार, यांत्रिक धूल संग्राहकों के चक्रवातों (साइक्लोन) में सुधार किया जाना शामिल है। विद्युत केन्द्र के लिए कम राख वाले कोयले की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदूषण को कम करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन भी किया गया था। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

(क) यूनिट- I के यांत्रिक धूल संग्राहकों के स्थान पर नए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर की व्यवस्था की जाना;

(ख) अन्य यूनिटों के वर्तमान इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटरों के स्थान पर उपयुक्त डिजाइन के नए प्रिसिपिटेटर लगाए जाना;

(ग) इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र को 20-25 प्रतिशत राख वाला कोयला सप्लाई किए जाने की व्यवस्था नियामक आदेशों द्वारा किया जाना;

(घ) प्रिसिपिटेटरों के कार्य निष्पादन पर गैस के प्रतिबंधित किए जाने के प्रभाव का अध्ययन करने और प्रिसिपिटेटर नियन्त्रक उपस्कर की इष्टतम सैटिंग का और इसके लिए उन्नत प्रचालन क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए लो-सल्फर भारतीय कोयले के सम्बन्ध में पूरे पैमाने वाले प्रिसिपिटेटरों के व्यवहार के सम्बन्ध में आधार सामग्री का संग्रह करने के लिए अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी कार्यवाही की जाना।

विशेषज्ञ दल की सिफारिशें दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

SCHEMES TO REMOVE UNEMPLOYMENT

1435. SHRI KARPOORI THAKUR : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether according to Government declaration, unemployment will be removed from the country within the next ten years;

(b) if so, the schemes being formulated by Government in this regard; and

(c) the time by which implementation of these schemes would commence and the period prescribed for the implementation of various schemes in this regard ?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a), (b) & (c) : The Planning Commission have been asked to formulate the Sixth Five Year Plan with a very high employment content. They shall be proposing concrete policies and programmes to this effect.

आयुध और शस्त्र कारखानों की क्षमता

1437. श्री **सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध और शस्त्र कारखानों की कोई फालतू क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटे शस्त्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में प्रवेश करने पर विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री **जगजीवन राम**) : (क) जी नहीं। हथियार तथा गोला-बारूद बनाने वाले आयुध कारखानों में उपलब्ध क्षमताओं का पूर्ण उपयोग इस समय तीनों सेवाओं और पैरा मिलीटरी सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किया जा रहा है।

(ख) जब कभी हमारे पास फालतू क्षमता होती है, तो मित्र देशों को छोटे हथियार निर्यात करने के प्रश्न पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। उनके ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

पत्रकारों के मनोरंजन पर किया गया व्यय

1438. श्री **सत्यनारायण सिन्हा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में मन्त्रालय में मनोरंजन के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति दी तथा कितनी धनराशि खर्च की।

(ख) क्या उक्त मनोरंजन में एक मुफ्त शराब की व्यवस्था करने का उपबन्ध है, और

(ग) पत्रकारों के मनोरंजन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) :

	स्वीकृत की गई धनराशि	खर्च की गई धन राशि
	(रुपये)	(रुपये)
(क) 1975-76 .	3,65,800.00	1,61,917.40
1976-77 . .	3,59,700.00	2,13,131.15
(ख) : जी, नहीं।		
(ग) : 1975-76		41,234.20
1976-77 . . .		1,06,448.16

सरकार के सचिवों को कम करना

1439. श्री **के० मालन्ना** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत सरकार के सचिवों की संख्या में कोई कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार में सचिवों/विशेष सचिवों के छह पद कम कर दिए गए हैं।

7—522LSS/77

आदिवासी उपभोक्ताओं के लिए नियतन

1440. श्री **के० मालन्ना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में देश के पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कुछ धनराशि निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि को, राज्यवार, विकास कार्यों की किन परियोजनाओं पर खर्च किया जायेगा।

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी उप-योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 55 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।

यह राशि मूल आदिवासियों के कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों, सहकारिता, उद्योग तथा खनिज, परिवहन तथा संचार, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं और कल्याण के अन्तर्गत आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिए प्रयोग की जाएगी।

केन्द्र द्वारा दी गई सहायता का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

1977-78 के दौरान विभिन्न राज्यों को 55 करोड़ रुपये का आवंटन

(करोड़ में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटित की गई राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.08
2.	असम	2.57
3.	बिहार	7.70
4.	गुजरात	4.63
5.	हिमाचल प्रदेश	0.90
6.	केरल	0.14
7.	कर्नाटक	0.19
8.	मध्य प्रदेश	14.41
9.	महाराष्ट्र	3.28
10.	मणिपुर	1.24
11.	उड़ीसा	7.58
12.	राजस्थान	2.59
13.	तमिलनाडु	0.28

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटित की गई राशि
14.	त्रिपुरा	0.83
15.	पश्चिम बंगाल	2.05
16.	उत्तर प्रदेश . .	0.14
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.17
18.	गोआ, दमन और दीव	0.11
		50.89
	मूल आदिवासियों के लिए कार्यक्रम . . .	3.00
	अप्रत्याशित कार्यक्रमों के लिए बिना आबंटित किया गया आरक्षण	1.11
	कुल जोड़	55.00 (करोड़)

तकनीकी उद्यमियों द्वारा चलाये जा रहे छोटे कारखानों में संकट

1441. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी उद्यमियों द्वारा चलाये जा रहे बड़ी संख्या में छोटे औद्योगिक कारखाने वित्तीय तथा अन्य प्रचार की सहायता के अभाव में बन्द होने वाले हैं।

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया है।

(ग) क्या इण्डियन इंजीनियर्ज जिन्होंने विदेशों में लाभप्रद कार्यों को छोड़कर भारत में विभिन्न कारखाने खोले थे अब अपने काम को छोड़ने तथा अपनी पसन्द के विदेशों में वापस जाने की योजना बना रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) गुजरात के तकनीशियन एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा कारखाने का निर्माण

1442. **श्री समरेन्द्र कुण्डु** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेयर अर्थ्स लिमिटेड छतरपुर, जिला गंजम, उड़ीसा द्वारा बनाये गए कारखाने का पूंजीनिवेश, रोजगार सम्भावनाएं और निर्माण कार्यक्रम क्या है; और

(ख) क्या निर्माण सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रम में कई बार परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) जबकि आरम्भिक अनुमान के अनुसार इस परियोजना पर 32.30 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था, भारतीय परामर्शदाताओं के द्वारा तैयार किए गए परियोजना-प्रतिदिन के अनुसार अब इस पर लगभग 85.67 करोड़ रुपये का व्यय आने का अनुमान है। व्यय में वृद्धि होने के मुख्य कारण हैं—पूर्वानुमान में शामिल मदों के लिए की गई व्यवस्था में वृद्धि तथा कुछ नई मदों का शामिल किया जाना, सन् 1973 के तेल-संकट के परिणामस्वरूप उपकरणों की कीमतों तथा सिविल निर्माण कार्यों पर आने वाले व्यय में वृद्धि होना और बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा परिवहन आदि सम्बन्धी व्यय के लिए अतिरिक्त व्यवस्था का किया जाना। इस परियोजना के लिए लगभग 1170 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। गोपालपुर बन्दरगाह के सम्भावित विकास तथा उस विकास के फलस्वरूप, मत्स्य उद्योग एवं समुद्र पर आधारित अन्य उद्योगों जैसे कार्यकलापों को मिलने वाले प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से और लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। परियोजना का निर्माण-कार्य काम के शुरू होने के सम्भवत: 3-4 वर्ष के अन्दर पूरा हो जायेगा। इस बात को ध्यान में रख कर कि परियोजना पर आने वाले भारी व्यय की तुलना में साधनों की कमी है, इस परियोजना का पुनरीक्षण योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करके किया जा रहा है।

निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का नियतन

1443. **श्री समरेन्द्र कुण्डु** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि नियत की गई तथा इसमें से वित्तीय वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी राशि नियत की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) कुछ विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं जिनमें विभिन्न राज्यों द्वारा सूचित किए गए न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पांचवीं योजना के प्रावधान, 1975-76 और 1976-77 वर्षों के लिए अनुमोदित परिव्यय और व्यय तथा 1977-78 के लिए अनुमोदित परिव्यय बताए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 478/77]

शाह और रेड्डी जांच आयोग

1444. **श्री हरि विष्णु कामथ** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमश: श्री जे० सी० शाह, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति और श्री जगमोहन रेड्डी, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित दो जांच आयोगों के कार्य के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इनकी सार्वजनिक सुनवाई होगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) शाह आयोग में कुछ आधारभूत कर्मचारी पहले ही नियुक्त हैं और ऐसे सभी लोगों से जो जांच में वक्तव्य देना चाहते हों ऐसे वक्तव्य आमंत्रित करने के लिए प्रारम्भिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

श्री जगमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में नियुक्त दो जांच आयोगों की नियुक्ति तथा उनके विचारार्थ विषयों के बारे में अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। इन आयोगों के कार्यालय स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अनुसार अपनी प्रक्रिया का विनियमन आयोग स्वयं करेगा। इसमें इस बात का फैसला भी शामिल है कि आयोग सार्वजनिक रूप से सुनवाई करे या निजी तौर पर।

भारतीय वायुसेना के लिये बोइंग-737 विमानों की खरीद

1445. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के वी० आई० पी० स्क्वैड्रन के लिये दो बोइंग विमानों की खरीद के बारे में सरकार पुनरीक्षण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) बी० आई० पी० स्कवैड्रन के लिए दो बोइंग विमानों की खरीद के बारे में पिछली सरकार के निर्णय की समीक्षा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि इन विमानों को न खरीदा जाए।

इन्टेग्रेडिट सर्किट्स के लिये प्रौद्योगिकी

1446. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्टेग्रिडिट सर्किट्स की अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में कोई प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) भारत इलेक्ट्रोनिकी लिमिटेड बंगलौर द्वारा लघु पैमाने के अंकीय तथा रेखिक एकीकृत परिपथों (डिजिटल एण्ड लीनियर स्माल स्केल इंटेग्रडिट सरकिट्स) का शीघ्र ही उत्पादन किया जाएगा। उनके अंकीय उत्पादों में टी० टी० एल० किस्म के लघु पैमाने के अनेक एकीकृत परिपथ आ जाते हैं (जिसमें से कुछ तो टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान द्वारा देश में ही विकसित तकनीकी जानकारी पर आधारित हैं) जबकि उनके रैखिक (लीनियर) उत्पादों के अंतर्गत दूरदर्शन सेटों में प्रयुक्त

होने वाले वोल्टेज रेगुलेटर, प्रचालन प्रवर्धक (आपरेशनल एम्पलीफायर), और लघु पैमाने के एकीकृत परिपथ आ जाते हैं। उनके द्वारा उत्पादित एकीकृत परिपथों में से कई टाइपों को रक्षा मंत्रालय के प्रयोग के लिये भी अनुमोदित किया गया है। भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड संचार प्रणालियों के लिये भी एकीकृत परिपथ विकसित कर रहा है। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा शीघ्र ही सी मेटल आक्साइड सेमीकंडक्टर टाइप के लघु पैमाने के एकीकृत परिपथ भी तैयार किए जाने की संभावना है। मेसर्स कांटीनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, मेसर्स सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड तथा मेसर्स हिन्दुस्तान कंडक्टर्स भी आयात किए गए सेमीकंडक्टर 'चिपों' से लघु पैमाने के एकीकृत परिपथों का संयोजन करने के काम में सलग्न हैं। हाल ही में आंध्रप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में मेसर्स सालिड स्टेट इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी बनाई गई है जिसे द्विध्रुवीय प्रौद्योगिकी (बाइ-पोलर टेक्नोलोजी) पर आधारित शाटकी बैरियर टाइप के लघु पैमाने के एकीकृत परिपथ निर्मित करने की अनुमति दी गई हैं। इसमें उच्च आवृति (हाईफ्रीक्वेंसी) तथा उच्च शक्ति वाली युक्तियों (डिवाइसेस) का निर्माण भी शामिल है।

जहां तक बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों (एल० एस० आई०) के अपेक्षाकृत प्रोन्नत-क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार ने इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत एक सेमीकंडक्टर उद्योग समूह (काम्प्लैक्स) की स्थापना के लिये अपना अनुमोदन दे दिया है। इस उद्योग समूह का उद्देश्य मेटल धात्विक आक्साइड प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर अत्यंत परिकृत किस्म की युक्तियों (डिवाइसेस) का उत्पादन करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोप की अनेक कंपनियों से प्रौद्योगिकी जानकारी देने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का फिलहाल मूल्यांकन किया जा रहा है जिससे सेमीकन्डक्टर उद्योग समूह के लिए सर्वांगपूर्ण/समकालीन प्रौद्योगिकी/उत्पाद मिश्र का चुनाव किया जा सके।

स्वदेशी बाजार के लिए हाथ में लिए गए इन कार्यक्रमों के अलावा सान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिक निर्यात संसाधन क्षेत्र में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी कार्यक्रम शुरू किये गए हैं जिसमें सी किस्म के धात्विक (मेटल) आक्साइड प्रौद्योगिकी पर आधारित बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों का उपयोग किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना आरंभ कर दिया गया है।

इन औद्योगिक कार्यक्रमों को आरंभ करने के साथ-साथ इलेक्ट्रानिकी विभाग ने समकालीन एकीकृत परिपथ प्रौद्योगिकी को अपना कर उनका उपयोग करने के उद्देश्य से अनेक संवार्धनात्मक कार्यकलापों को भी शुरू किया है। इन कार्यकलापों की परिधि में दिल्ली तथा कानपुर स्थित भारतीय औद्योगिकी संस्थानों में एकीकृत परिपथ प्रौद्योगिकी के विकास और उसके प्रयोग में विशेषज्ञता प्राप्त उच्च स्तरीय विज्ञानी-कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभाग द्वारा रूपरेखा बनाकर धन की व्यवस्था करने से लेकर सूक्ष्म संसाधित्रों (माइक्रो प्रोसेसरों) पर कार्यशाला का आयोजन करना सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म संसाधित्र बड़े पैमाने की एकीकृत अंकीय प्रौद्योगिकी (डिजिटल एल० एस० आई० टेक्नालाजी) के क्षेत्र में आजकल बड़ी क्रान्तिकारी भूमिका अदा कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में परमाणु बिजली घर की स्थापना

1447. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **परमाणू ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान को चुना गया है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए उपर्युक्त स्थल चुनने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, अनेक स्थलों की जांच की है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

अन्तरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए सुविधाएं

1448. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान कार्य करने के लिये श्री हरिकोटा में सुविधाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) श्रीहरिकोटा एक राकेट जांच और उपग्रह प्रमोचन रेंज है। इस रेंज में अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कोई अनुसंधान नहीं किया जाता; उन अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों को केवल तकनीकी और लाजिस्टिक सहायता प्रदान की जाती हैं, जो कि श्रीहरिकोटा से छोड़े जाने वाले राकेटों में प्रायोगिक नीतभार रखते हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेनीगुंटा में उद्योग समूह

1449. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा नामक स्थान पर उद्योग समूह आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कम ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) रेनीगुंटा में पहले से ही एक औद्योगिक समूह है।

(ख) 1975-76 ।

जिला आयोजना को लागू करना

1450. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **योजना मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला आयोजना को लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख): सरकार जिला स्तर पर योजना आरंभ करने के महत्व पर समय-समय पर बल देती रही है। इससे जिला स्तर पर योजना के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन मिलेगा।

युद्ध-पोतों का निर्माण

1451 **श्री सकारिया थामस** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ही तैयार डिजाइनों वाले युद्धपोतों का निर्माण करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस परियोजना के लिए स्थान का चुनाव कर लिया है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि निश्चित की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) : अपने देश में डिजाइन किए गये सीवार्ड डिफेंश बोट और लैंडिंग क्राफ्ट जैसे छोटे युद्धपोतों का पहले से ही देश में निर्माण हो रहा है । अब यह प्रस्ताव किया गया है कि मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई में छह लींडर क्लास फ्रीगेटों के निर्माण के वर्तमान कार्यक्रम के क्रम में ही स्वदेश में डिजाइन किए गये फ्रीगेटों का भी निर्माण किया जाए । नौसेना के लिए युद्धपोतों का स्वदेश में निर्माण करने के लिए धन के आवटंन का निर्णय समय समय पर रक्षा की जरूरतों के लिए उपलब्ध संसाधनों और तीनों रक्षा सेवाओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पारस्परिक अग्रता को ध्यान में रख कर किया जाता है । इस बारे में आगे और कोई ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

DEVELOPMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES IN RAJASTHAN

1452. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL :

SHRI CHATURBHUJ :

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the measures taken by Government to speed up the setting up of small scale industries in the backward districts of Rajasthan including Jhalawar district during last 3 years and the results achieved therefrom ,

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA) : Measures taken by the Government to speed up industrialisation of backward districts of Rajasthan including Jhalawar are as follows :—

Industrial Potential Surveys conducted; Candidate industries identified; Development of Infrastructure facilities; Concessional rate of finance by RFC; Low rate of interest of RIP districts; and

Preparation of pre-investment notes and detailed feasibility reports on resource based industries.

As a result of these measures, 1539 units were set up providing employment to 8564 persons during 1976-77.

उद्योग मंत्रालय में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का कार्यकरण

1453 **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का वर्ष 1976-77 के दौरान उत्पादन के मूल्य तथा उसकी मात्रा की दृष्टि से कार्यकरण कैसा रहा और इससे पहले वर्ष की तुलना में कितना कम या अधिक रहा ;

(ख) प्रत्येक एकक में क्षमता का कितना-कितना उपयोग हुआ; और

(ग) क्या उत्पादन में कमी हुई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा प्रबंधित कम्पनियों ने वर्ष 1976-77 में कुल 828.78 करोड़ रुपये का उत्पादन किया है जो 1975-76 में 751 करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में 10% की वृद्धि प्रदर्शित करता है और 1974-75 में 568 करोड़ रुपये के उत्पादन से 46%(अधिक है । उत्पादन में यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्यमान क्षमता का अच्छी तरह उपयोग करके और न्यूनाधिक रूप में स्थिर मूल्य पर प्राप्त की गई है । इन उपक्रमों द्वारा निर्मित उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार होते हैं, जो यूनिट साइज, जटिलता और कार्यपरिणाम में वर्ष प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए मात्रा के अनुसार पण्यावर्त लागू नहीं होता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत बताई गई बात अर्थात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन का यूनिट साइज, जटिलता और कार्य-परिणाम में विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्षमता का उपयोग वास्तविक रूप से बता सकना बहुत कठिन है । फिर भी, वर्ष के लिए नियत किए गए लक्ष्यों के संबंध में, जिनमें उनके सामने आने वाली रुकावटें और क्रयादेश स्थिति को ध्यान में रखा गया है, एककों का कार्यकरण संलग्न विवरण में दिया गया है — (अनुबध) ।

(ग) 1976-77 में 828.78 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ जबकि लक्ष्य 852.01 करोड़ रुपये का था, इस प्रकार उत्पादन में 23.23 करोड़ रुपये की कमी हुई । उत्पादन में कमी मुख्यत: बिजली में कटौती, आयातित और स्वदेशी हिस्से पुर्जों के समय पर न मिलने, धन की कमी और अपर्याप्त मांग के कारण हुई।

2. औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 1975-76 और 1976-77 के उत्पादन के आंकड़े बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबंध)II) । इस अनुबंध से यह पता चलेगा कि इस वर्ष 122.80 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ था जबकि 1975-76 में 98.45 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ था । यद्यपि गत वर्ष की तुलना में उत्पादन सामान्य तौर पर कुल मिलाकर अधिक हुआ है, लेकिन कुछ मामलों में पण्यावर्त मामूली सा कम था । यह बिजली में कटौती, क्रयादेशों की कमी आदि जैसी कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है।

[मंत्रालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 479/77)

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए क्रयादेश

1454. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1977 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की **क्रयादेश** संबंधी स्थिति क्या थी ;

(ख) कितने मूल्य के क्रयादेश हाथ में हैं और इन क्रयादेशों को कितने समय में पूरा करने का अनुमान है; और

(ग) उपर्युक्त क्रयादेशों के पूरे होने के पश्चात इस उपक्रम को इसकी वर्तमान क्षमता का उपयोग करते हुये कार्यरत रखने के लिये अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) तथा (ख) 1-4-1977 को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास कुल मिलाकर 1178 करोड़ रुपये मूल्य के क्रयादेश थे। वर्तमान उत्पादन दर पर अधिकांश क्रयादेशों को पूरा करने में दो वर्ष से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा लेकिन यहां तक कि इस समय कुछ उत्पादों जैसे 110 और 120 मे० वा० के थर्मल जनरेटिंग सेटों के लिए क्रयादेशों की कमी है ?

(ग) इस स्थिति पर काबू पाने हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरुप, 1976-77 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को 2820 मे० वा० के थर्मल सेटों के लिए क्रयादेश दिए गए थे। विद्युत जनित्न योजनाओं के लिए अधिक संसाधनों का आवंटन करने पर जोर दिया जा रहा है जिससे देश की बिजली की कमी का सामना न करना पड़े और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नए क्रयादेश प्राप्त कर सके। इसके साथ-साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकलस लिमिटेड ने उत्पादों के युक्तिकरण और विविधीकरण की योजनाएं भी शुरू की हैं ? उदाहरण के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रामचन्द्र-पुरम स्थित संयंत्र ने, जहां 110 मे० वा० के सेटों का उत्पादन किया जा रहा है, अब औद्योगिकि टर्बाइनों और कम्प्रेशरों और आयल ड्रिलिंग रिग की कुछ वस्तुओं का निर्माण शुरु किया है। इसके अलावा अन्य देशों से क्रयादेश प्राप्त करने के भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के जोरदार निर्यात अभियान में सरकार इसे हर प्रकार की सहायता दे रही है जिसके परिणामस्वरूप भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाल ही में न्यूजीलैंड (दस हाइड्रो-जनरेटर), मलयेशिया (तीन बायलर,) लीबिया (2×120 थर्मल टर्बो सेट का पूरा विद्युत संयंत्र) और सऊदी अरब) ट्रांसफारमरों स्विचगियरों आदि समेत पांच आल्टरनेटर) से प्रमुख निर्यात क्रयादेश प्राप्त किये हैं।

भारी इंजीनियरिंग निगम के लिये क्रयादेश

1455. **श्री एस० आर० दामाणी** :
श्री शिव सम्पत : } क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक एक अप्रैल, 1977 को भारी इंजीनियरिंग निगम की प्राप्त क्रयादेशों की स्थिति क्या है ;

(ख) कितने मूल्य के क्रयादेश हाथ में है तथा क्रयादेशों को कब तक पूरा करने का अनुमान है; और

(ग) उपर्युक्त क्रयादेशों को पूरा करने के पश्चात यूनिट को कार्यरत रखने के लिए अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) तथा (ख) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के पास 1 अप्रैल, 1977 को लगभग 210 करोड़ रुपये के मूल्य के क्रयादेश थे । विकसित की गई क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए इस समय कम से कम 300 करोड़ रुपये के क्रयादेश होने चाहिए । वर्तमान क्रयादेशों को पूरा करने का कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

1977-78	89.49 करोड़ रुपये
1978-79	68.05 करोड़ रुपये
1979-80	36.00 करोड़ रुपये
1980-81	16.00 करोड़ रुपये

(ग) हैवी इंजनीयरिंग कारपोरेशन और क्रयादेश प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी उत्पादन रूप-रेखा जिसमें भारी खनन उपकरण, सीमेंट संयंत्र उपकरण और काफी मात्रा में समान लादने उतारने के उपकरण शामिल हैं में विविधीकरण कर रहा है । निर्यात क्रयादेश प्राप्त करने के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं । ये प्रयास सफल रहे हैं और हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने हाल ही में सोवियत रूस के माध्यमस तीसरें देश में उपकरण की स्पलाई करने के लिए 30 करोड़ रुपये के मूल्य का क्रयादेश प्राप्त किया है । देश में ही उपकरणों का निर्माण करने के लिए भी जिनका कि अभी तक आयात किया जा रहा है, कदम उठाए गये हैं ।

डायरेक्टर जनरल इन्सपैक्शन (रक्षा मंत्रालय) के सुपरवाइजरों के वेतनमान

1456. **श्री दिनेश चन्द्र जोरदार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डायरेक्टर जनरल इन्सपैक्शन (रक्षा मंत्रालय) के सुपरवाइजरों के वेतनमान तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब तक पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस श्रेणी के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के लिए रक्षा मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) डायरेक्टर जनरल आफ इन्सपैक्शन के संगठन में सुपरवाइजरों के दो ग्रेड हैं, - सुपरवइजर ग्रेड-III (तकनीकी) और सुपरवाइजर ग्रेड-II (तकनीकी) । ग्रेड-III के सुपरवाइजरों के लिए तृतीय वेतन आयोग ने जिन वेतनमानों की सिफारिश की थी, उन्हें पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, परन्तु सुपरवाइजर ग्रेड-II के वेतनमान को अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

(ख) तृतीय वेतन आयोग ने उपर्युक्त (क) में दिए गये सुपरवाइजरों के दोनों ग्रेडों को मिला कर एक करने की सिफारिश की थी, परन्तु सुपरवाइजर्स एसोसियेशन ने इसे

स्वीकार नहीं किया । अतः सुपरवाइजर ग्रेड-II (तकनीकी) के वेतनमानों के संशोधन के मामले को रोके रखा गया ।

(ग) सरकार ने हाल ही में आयुध कारखानों के उस कोटि के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान की घोषणा की है, जिन्हें सुपरवाइजर ग्रेड (क) (तकनीकी) कहा जाता है और जो डायरेक्टर जनरल आफ इंस्पेक्शन के सुपरवाइजर ग्रेड-II (तकनीकी) के समकक्ष हैं । इस वेतनमान को डायरेक्टर जनरल आफ इंस्पेक्शन के सुपरवाईजर ग्रेड-II (तकनीकी) पर भी लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा चूल्हों का चुनाव

1457. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न उपभोक्ताओं ग्रामीण, अर्द्ध-ग्रामीण और नगरीय, की जेब के उपयुक्त चूल्हों के कुछ डिजाईन बाजार में लाने हेतु चूल्हों का चुनाव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : जी हां । कोल इंडिया लिमिटेड ने एक ऐसे चूल्हे की डिजाइन का विकास करने की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता की थी जिसमें निचले ग्रेड का कोयला तथा साफ्ट कोक भली प्रकार तथा बिना धुंए के जलाया जा सके । चार डिजाइनें चुनी गई थीं और इनके आदर्शरूप का विकास किया जा रहा है ।

सुपर तापीय बिजली घर का निर्णय

1458. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तापीय बिजली घर निगम द्वारा इस वर्ष देश के सब से प्रथम सुपर तापीय बिजली घर का निर्माण प्रारम्भ करने की संभावना है ;

(ख) क्या निगम की विभिन्न प्रदेशों में भी सुपर तापीय बिजली घर स्थापित करने की योजना है ;

(ग) यदि हां, तो उन पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(घ) ये किन-किन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सिंगरौली में स्थापित किए जा रहे पहले सुपर ताप विद्युत् केंद्र पर पहले ही कार्य शुरू कर दिया है ।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि जब भी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए तब उसके अनुसार निगम केंद्रीय सैक्टर में स्थापित किए जाने वाले ताप विद्युत केन्द्रों तथा सुपर ताप विद्युत् केन्द्रों का कार्यान्वियन तथा प्रबन्ध करे ।

(ग) और (घ) : चूंकि भविष्य में निर्माण किए जाने वाले सुपर ताप विद्युत केंद्रों के लिए कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इस समय भविष्य में निर्माण किए जाने वाले सुपर ताप विद्युत केंद्रों के स्थान तथा लागत के विवरण देना संभव नहीं है।

तामिलनाडु में कार्बन परियोजना

1459 : **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में 5.6 करोड़ रुपयों की लागत की विशेष कार्बन परियोजना स्थापित करने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे देश में अपने किस्म की पहली परियोजना होने का दावा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इसे किस तिथि तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) से (ग) : 31 दिसम्वर 1974 को सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य के एक पिछड़े जिले में कैथोड ब्लाकस, इलेक्ट्रोग्राएफिटाइज्ड कार्बन, टैलीफोन कार्बन और विशेष इलेक्ट्रोनिक कार्वन का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी । विदेशी सहयोग के लिये स्वीकृति देते समय यह परिकल्पना की गई थी कि परियोजना पर 19 लाख रुपए का निवेश किया जायगा यद्यपि इस योजना के चालू होने के समय तक परियोजना की लागत और अधिक हो जाएगी । टेलीफीन कार्बन और विशेष इलेक्ट्रोनिक कार्बन को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं देश में ही बनाई जा रही हैं ।

(घ) अब तक बताई गई प्रगति के अनुसार इस योजना का क्रियान्वयन छठी योजनावधि (1980-81) के दौरान होने की सम्भावना है ।

नौ राज्यों में प्रशासन

1460. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि

(क) क्या नौ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात् से उनका प्रशासन अस्त-व्यस्त है और कार्यालयों में कोई कार्य नहीं हो रहा है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में प्रशासन को सुधारने तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) और **(ग)** – प्रश्न नहीं उठता है ।

जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर हुई घटनाएं

1461. श्री **आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में हाल ही की अव्यवस्था के कारण जम्मू तथा कश्मीर सीमा पर भारी सैनिक गतिविधियां हुईं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ सीमा सम्बन्धी घटनाएं भी हुईं ;

(ग) यदि हां, तो मार्च और अप्रैल, 1977 में ऐसी कितनी घटनायें हुईं; और

(घ) उनका भारतीय सेना ने किस प्रकार मुकाबला किया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) जहां तक सरकार को जानकारी है, जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर हाल में कोई भारी सैनिक गतिविधि नहीं हुई है और न इस वर्ष मार्च और अप्रैल में सीमा सम्बन्धी कोई बड़ी घटना ही घटी है । हमारी सुरक्षा सेनाएं सीमाओं पर सतत् निगरानी रख रही हैं और उन्हें आदेश हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ठोस कार्रवाही की जाय ।

छोटी कार

1462 श्री **पी० के० देव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार बनाने के लिये 'मारुति' को लाइसेंस कब दिया गया था ;

(ख) किस समय सीमा के अन्दर इस कार का निर्माण हो जाना चाहिये था; और

(ग) इसमें बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) यात्री कारों का निर्माण करने के लिये मै० मारुति लिमिटेड को मंजूर किया गया आशय पत्र 25 जुलाई, 1974 को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया था ।

(ख) 2 वर्षों के भीतर, अर्थात् 24 जुलाई, 1976 ।

(ग) मै० मारुति लिमिटेड ने 7 जुलाई, 1975 से उत्पादन शुरू करने की सूचना दी ।

SCHEMES FOR DEVELOPMENT OF BACKWARD AND NEGLECTED AREAS

1463. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Janata Party have in their Election Manifesto emphasized the need to formulate special schemes for the development of backward and neglected areas;

(b) whether the area of Bihar is proposed to be covered under such schemes; and

(c) if so, the main features of the schemes ?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : While formulating the policies and Plans, the needs of all such areas including those of Bihar will be kept in view.

COMPULSORY RETIREMENTS

1464. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of I.P.S. officers retired compulsory during the emergency in different States. State-wise :

(b) the State-wise number of I.A.S. officers retired compulsory during the same period; and

(c) the total number of officers and staff of the Home Ministry retired compulsorily in the whole country ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Twelve IPS officers were retired compulsorily from service during the emergency. The State-wise break-up is given in Column 2 of the statement attached. Of these, one officer belonging to the Madhya Pradesh Cadre has been subsequently reinstated.

(b) Eleven I.A.S. officers were compulsorily retired from service during the emergency. The State-wise break-up is given in Column 3 of the statement attached.

(c) Information is being collected and will be placed on the Table of the House on receipt.

STATEMENT

Name of the State	Number of IPS officers retired compulsorily	Number of IAS officers retired compulsorily
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	2	2
Gujarat	—	3
Madhy Pradesh	3	1
Maharashtra	1	1
Orissa	—	1
Punjab	3	—
Rajasthan	—	1
Tamil Nadu	3	1
West Bengal	—	1
Total	12	11

बसों के कल पुर्जों आदि की खरीद के मामले में दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धकों द्वारा की गई अनियमिततायें

1465. श्री रामानन्द तिवारी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बसों के कल पुर्जों आदि की खरीद के मामले में दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धकों द्वारा की गई अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अनियमितताओं की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, उसके तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : बसों के कलपुर्जों की खरीद के मामले में दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धक द्वारा की गई कुछ अनियमितताएं बताई गई हैं, रोगन, छपाई कागज इत्यादि जैसे मदों की दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड की भंडार और क्रय समिति द्वारा जांच की जा रही है। जहां तक टायर और बायलर की खरीद के बारे में आरोप का संबंध है केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है।

गुजरात में अहमदाबाद में नये टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

1466. श्री **पी० जी० मावलंकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में अहमदाबाद में एक नियमित नया टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर शिपयार्डों का निर्माण

1467. श्री **पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर नए अतिरिक्त शिपयार्डों का निर्माण करने के बारे में अब ठोस निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमा सुरक्षा दल को तैनात करना

1368. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा दल में कुल कितने पुलिसमैन तथा अधिकारी नियुक्त हैं और देश के विभिन्न भागों में गत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष, 1974, 1975, 1976) इनके कार्यों का स्वरूप तथा वास्तविक स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सीमा सुरक्षा दल को तैनात करने और उसके उपयोग के बारे में कोई नई नीति तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1974-75 और 1976 के वर्षों में सीमा सुरक्षा दल के रख-रखाव के लिये राजकोष से कुल कितना खर्चा किया गया?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (घ) सीमा सुरक्षा दल की स्वीकृत संख्या और 1974-75 तथा 1976 के दौरान उस पर किये गए व्यय को बताने वाला विवरण संलग्न है इन वर्षों में सीमा सुरक्षा दल मुख्य रूप से अंतरर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा सुरक्षा के काम तैनात रहा। हां, कभी-कभी राज्य सरकारों के अनुरोध पर विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने में उनकी सहायता के लिये भी दल की सेवाएं यदा-कदा उपलब्ध कराई गई।

(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 257 क में जो परिवर्तन, सीमा सुरक्षा दल तथा अन्य अर्धसैनिक दलों की तैनाती के बारे में किये गये हैं, उन पर यथा समय संविधान के 42वें संशोधन की अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ पुर्नविचार किया जायेगा।

विवरण

तिथि	अधिकारी	अधीनस्थ अधिकारी तथा अन्य वर्ग
1-1-1974	1427	82,395
1-1-1975	1425	82,444
1-1-1976	1524	82,636

वर्ष	व्यय (हजार रुपयों में)
1974-75	6,11,445
1975-76	6,94,016
1976-77	7,19,393

सूरत में नए आकाशवाणी केन्द्र/वाणिज्यिक अनुभाग की स्थापना

1469. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में सूरत में वर्ष 1977 में नये आकाशवाणी केन्द्र अथवा वाणिज्यिक अनुभाग अथवा दोनों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, नहीं। गुजरात का सूरत जिला पहले ही अहमदाबाद के उच्च शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की सुरक्षा पर होने वाला व्यय

1470. **श्री ब्रज भूषण तिवारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है; और

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान इस व्यय में शत प्रतिशत वृद्धि हुई है और हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की सुरक्षा पर दिल्ली में किया गया वार्षिक व्यय अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की सुरक्षा पर दिल्ली में किया गया वार्षिक व्यय निम्नलिखित है :—

रु० में

	1974-75	1975-76	1976-77
1 प्रधान मंत्री	5,61,402.14	5,73,598.00	6,79,252.70
2. मंत्रीगण	23,87,900.80	26,46,244.00	26,90,527.00

आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तथा अदालती जांच

1471. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा और अदालतों द्वारा राज्यवार कितनी जांचों के आदेश दिये हैं और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) क्या मारुति फर्म से संबंधित दस्तावेज गायब हैं जैसा कि समाचार-पत्रों में आरोप लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इन मामलों से संबंधित दस्तावेजों को सील कर देने के आदेश दिये हैं ताकि सौद्देश्य जांच कराई जा सकें ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार नें आपात स्थिति के दौरान की ज्यादतियों की जांच करने के लिये शाह जांच आयोग, मारुति ग्रुप के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए माथुर जांच आयोग, नागरवाला मामले की जांच करने के लिये रेड्डी जांच आयोग

और श्री बंसीलाल के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये न्यायमूर्ति रेड्डी के अधीन एक अन्य आयोग नियुक्त किये हैं । केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो की भी कुछ जांच शुरू की गई हैं। किन्तु इस अवस्था में ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) सरकार को मारुति फर्म से संबंधित कागज पत्रों के गुम होने के बारे में कोई सूचना नहीं है जैसा कि समाचार पत्रों में बताया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) : राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों से अनुरोध किया गया है कि सभी सम्बद्ध कागज-पत्रों, फाइलों और दस्तावेजों को सुरक्षित हिरासत में रखा जाय ।

कर्नाटक में बिजली की कमी

1472. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बिजली की बहुत अधिक कमी है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस बारे में केन्द्र सरकार से सहायता देने और बार को टर्बाइन्स लेने, जिन्हें राहत कार्य के रूप में देने के लिये पश्चिम जर्मनी की एक फर्म सहमत हो गई है, के लिये कहा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) इस समय कर्नाटक में बिजली की कमी है।

(ख) और (ग) एक गैस-सह-वाष्प संयंत्र के लिये कर्नाटक सरकार ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजी थी। इसमें 25 मैगावाट गैस टर्बाइन सैटों की चार यूनिटें और गैस टर्बाइन से अपशिष्ट ऊष्मा का इस्तेमाल करने वाले 20 मैगावाट के वाष्प टर्बाइन की चार यूनिटें होंगी। कर्नाटक सरकार ने यह सूचित किया है कि इन यूनिटों की सप्लाई के लिये पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म ने प्रस्ताव किया है।

कर्नाटक सरकार से प्राप्त व्यवहार्यता रिपोर्ट का तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया गया है और यूनिट का सर्वाधिक मितव्ययी साइज व वाणिज्यिक दृष्टि से आकर्षक तथा प्रतियोगी कीमतों को ध्यान में रख कर इस प्रकार की टर्बाइनें प्राप्त करने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त स्रोतों की जांच करने के लिये एक तदर्थ तकनीकी समिति नियुक्त की गई है। भविष्य में इस प्रकार के उपस्करों का निर्माण स्वदेश में ही हो सके इस दृष्टि से यह समिति भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्राविधिकी का हस्तांतरण किए जाने सम्बन्धी पहलू का भी ध्यान रखेगी।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा रख-रखाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना

1473. **श्री डी० चन्द्रगौडा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रख रखाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर नई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में सम्मिलित की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में गांवों को बिजली दी जानी है, और

(ग) लाईनमैन के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के बारे में राज्य-वार, ब्यौरा क्या है और अभी तक राज्य-वार, कितने ऋण दिये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां । राज्यों में लाइनमेन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये निगम ने एक स्कीम शुरू की है ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की जा रही ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की वित्तीय सहायता के लिये सभी 22 राज्य पात्र हैं। निगम ने अब तक निम्नलिखित 21 राज्यों की 1,567 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं :—

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू और कश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. मणिपुर
13. मेघालय
14. नागालैण्ड
15. उड़ीसा
16. पंजाब
17. राजस्थान
18. तमिल नाडु
19. त्रिपुरा
20. उत्तर प्रदेश
21. पश्चिम बंगाल

लाइन मैन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये सभी 22 राज्य निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) लाइनमेनों के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये निगम ने निम्नलिखित वित्तीय सहायता स्वीकृत की है :---

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	प्रशिक्षण केन्द्र (राज्य)	अनुदान	ऋण
1.	बारापाणि (मेघालय)	5.79	--}*
2.	जोरहाट (असम) .	5.11	--}
3.	रांची (बिहार)	1.31	4.671
4.	लुधियाना (पंजाब)	--	5.69
5.	अमृतसर (पंजाब) .	--	5.69
6.	करनाल (हरियाणा)	--	6.539
7.	थन्जावूर (तमिल नाडु)	--	5.957
8.	तिरुनेलवेल्ली (तमिल नाडु)	--	5.957
	कुल . .	12.21	34.504

*ये केन्द्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा राज्यों के लिये कार्य करेंगे ।

बारापाणि (मेघालय) स्थित केन्द्र ने कार्य शुरू कर दिया है।

बिजली की कटौती के कारण कर्नाटक में औद्योगिक हानि

1474. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में बिजली की कटौती के कारण औद्योगिक हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी हानि हुई; और

(ग) राज्य को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा है तथा विभिन्न उद्योगों में बिजली में कटौती करनी पड़ी थी । इससे कुछ उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । फिर भी, बिजली की ही कमी के कारण हुई हानि का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है क्योंकि अन्य कई कारण जसे; कच्चे माल का न मिलना, वित्त तथा मांग आदि की कमी से भी औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) कर्नाटक सरकार ने कुछ समय पहले अपनी विद्युत संबंधी मांग को केरल से पूरी करने की व्यवस्था के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। तदनुसार तमिलनाडु से संपर्क करने के बाद, केरल से मिलने वाली बिजली का कुछ अंश अर्थात् प्रतिदिन

अधिकतम 1 मेगावाट बिजली देने के लिये तमिलनाडु द्वारा सहमति दी गई थी । 23 सितम्बर, 1976 से 17 मई, 1977 तक कर्नाटक को तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा लगभग 142 मेगावाट बिजली दी गई थी । कर्नाटक को महाराष्ट्र से भी राहत देने की व्यवस्था की गई थी । आगामी 3-4 वर्षों के भीतर 965 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पन्न क्षमता चालू हो जाने की आशा है ।

आसाम में गांवों का विद्युतीकरण

1475. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के कितने और कौन-कौन से गांवों का 1975-76 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया गया; और

(ख) वर्ष 1977 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) 1975-76 के दौरान असम में 190 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था । विद्युतीकृत गांवों के नामों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड का कार्यक्रम 1977-78 के दौरान असम में 700 गांवों के विद्युतीकरण का है ।

पोरबन्दर से राजकोट तक पुलों का निर्माण

1477. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ पर पोरबन्दर से राजकोट तक कितने पुलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सारा कार्य वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पूर्व पूरा कर लिया जायेगा, और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) राष्ट्रीय राजपथ के गुजरात में पड़ने वाले अंश के लिये गुजरात को अब तक कितना अनुदान दिया गया है और कितनी राशि अभी दी जानी है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पंद्रह छोटे पत्तन निर्माणाधीन हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष, 1976-77 के लिये विकास कार्यों के लिये गुजरात सरकार को 7,74,000/- रु० की राशि समस्त पुल कार्यों के लिये तथा 43,89,005/- रु० की दूसरी राशि सड़क कार्यों के लिये आवंटित की गयी । जहां तक वर्ष 1977-78 के लिए धन के आवंटन का संबंध है, राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि अप्रैल, से जुलाई, 1977 तक की अवधि के दौरान एक करोड़ रु० तक की धनराशि सम्पूर्ण राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति पर व्यय करने के लिये उपलब्ध है । जहां तक अगस्त, 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार को और राशि आवंटित करने का प्रश्न है, संसद् द्वारा बजट पारित होने के बाद इसकी सूचना भेजी जाएगी ।

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला

1478. **श्री के० लकप्पा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने अपने विकास कार्यक्रम के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन द्वारा देश की करोड़ों रुपयों की राशि बचाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लाटरियां चलाना

1479. **श्री धर्मवीर वशिष्ट**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी पैसा जमा करने के लिये स्रोत के रूप में लाटरियां चलाने के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) क्या किसी राज्य अथवा राज्यों ने लाटरियां चलाना बन्द कर दिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) राज्य और संघ शासित क्षेत्र अस्पताल, औषधालय, जैसी परियोजनाओं के विकास तथा कल्याण के लिये पैसा जमा करने के लिये सरकार की अनुमति से लाटरियां चला रहे हैं।

(ख) 12 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हो गई है। स्थिति इस प्रकार है :---

(1) हरियाणा, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और दिल्ली ने लाटरियां चलाई हैं, जो जारी हैं।

(2) गुजरात, मेघालय, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मिजोरम, पांडिचेरी ने कोई लाटरी नहीं चलाई है।

(3) निम्नलिखित राज्यों ने अपनी लाटरियां स्थगित कर दी हैं:--

(1) **आन्ध्र प्रदेश** : अगस्त, 1974 में आरम्भ की, किन्तु 13-7-75 को सातवें ड्रा के बाद बन्द कर दी ।

(2) **बिहार** : 1970 में चलाई और अप्रैल, 1976 में स्थगित कर दी।

(3) **हिमाचल प्रदेश** : अक्तूबर, 1971 में चलाई और जून, 1976 में स्थगित कर दी ।

(4) **जम्मू व कश्मीर** : 1969 में चलाई और 1971 में स्थगित कर दी ।

(5) **तमिल नाडु** : अगस्त, 1968 में चलाई और सितम्बर, 1975 में स्थगित कर दी अगस्त, 1976 में फिर शुरू कर दी किन्तु जून 1977 में स्थगित कर दी ।

इंडियन फोटो इन्टरप्रेटेशन इन्स्टीट्यूट को सर्वे ग्राफ इंडिया से अलग करना

1480. **श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन फोटो इन्टरप्रेटेशन इन्स्टीट्यूट को सर्वे ग्राफ इंडिया से अलग करने और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ इसका विलय करने का है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या देश की सुरक्षा की दृष्टि से पंजीकृत संस्था के साथ विलयन वांछनीय होगा, और

(घ) क्या सरकार विलयन से पूर्व उक्त विलयन अथवा अन्तरण के बारे में प्रस्तावकों के मत के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र मत प्राप्त करने की संभावना पर विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इंडियन फोटो इन्टरप्रेटेशन इन्स्टीट्यूट का 1 जुलाई, 1976 से नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ विलय किया गया था ।

(ख) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी दूर संवेदन तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए देश के प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण करने और फसलों के रोगों की चौकसी करने वाला मुख्य संगठन है। हवाई फोटोग्राफी के निर्वचन का दूर संवेदन से सन्निकिट सम्बन्ध है तथा यह इसका ही अभिन्न अंग है । इनके कार्यकलापों में सन्निकट पारस्परिक क्रिया और समन्वय की स्थापना के लिये और व्यय में कटौती करने के लिये यह अधिक वांछनीय समझा गया था कि इंडियन फ़ोटो इन्टरप्रेटेशन इन्स्टीट्यूट, जो हवाई फोटो के निर्वचन की तकनीकों में प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करता है, को नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ विलय कर दिया जाए।

(ग) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का प्रशासन और नियन्त्रण एक संचालन संस्था में निहित है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष विभागों, रक्षा और वित्त मंत्रालयों तथा एयर हैडक्वार्टर्स के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त तीन ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्हें दूर संवेदन प्रौद्योगिकी और इसके उपयोगों के क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त है । इस संचालन संस्था के अध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभारी मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री हैं । एजेंसी को वर्गीकृत सूचना से व्यवहार करना होता है और ऐसी सूचना के भण्डार, व्यवहार संचालन और प्रसार में सभी आवश्यक सुरक्षात्मक एहतियात बरती जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मिलिटरी लैण्ड्स एण्ड कैन्टोनमेन्ट्स सर्विस में श्रेणी III की सेवा से श्रेणी II की सेवा में पदोन्नति के लिए परीक्षा

1481. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलिटरी लैण्ड्स एंड कैन्टोनमेन्ट्स सेवा श्रेणी III के कर्मचारियों को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवा की श्रेणी II में पदोन्नति के लिये परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का अन्य विभागों प्रचालित प्रथा के अनुसार इस आयु समूह के लोगों को प्रवरता के आधार पर कुछ प्रतिशत पदोन्नति देने की वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

PAPER MILL AND PLYWOOD FACTORY IN BAHRAICH

1482. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Bahraich is one of the most backward districts of Uttar Pradesh but grass and wood grow in abundance there;

(b) if so, whether Government propose to set up paper mill and plywood factory; and

(c) if so, the date by which Government would start work in this direction ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) Government are aware that the northern parts of Uttar Pradesh, where Bahraich, an industrially backward district, is located, possess forest raw materials including grasses.

(b) and (c) : Government have no proposal at present to set up a paper mill or plywood factory in Bahraich District.

CHARGES AGAINST FORMER CHIEF MINISTER OF BIHAR

1483. SHRI RAMANAND TIWARI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a memorandum demanding inquiry into the charges of corruption, nepotism and misuse of office and dignity against the former Chief Minister of Bihar, Dr. Jagannath Mishra was submitted to the Government of India by the President of Patna Sachivalaya Anusachiviya Karamchari Sangh (Patna Secretariat Ministerial Employees Union); and

(b) if so, whether Government have investigated those charges and if so, whether a copy of the inquiry report shall be laid on the Table?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) In accordance with the usual procedure, the matter has been referred to the Governor of Bihar for ascertaining facts.

हरिजनों पर अत्याचार

1484. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में हरिजनों पर अत्याचारों की संख्या में वृद्धि हो रही है और आपात स्थिति के दौरान भी बहुत से राज्यों में हरिजनों की हत्या की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, हरिजनों पर अत्याचारों के कितने मामलों का पता लगाया गया ; और

(ग) सरकार का हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों को रोकने के लिये क्या ठोस उपाय करने का विचार है और उनकी मुख्य बातें क्या है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1974, 1975 और 1976 के दौरान हरिजनों पर तथाकथित अत्याचार (हत्याओं समेत) के मामलों की संख्या क्रमश: 8,860, 7,781 और 5,887 थी ।

(ग) राज्य सरकारों पर जोर दिया गया है कि ऐसे सभी मामलों की तुरन्त तथा कारगर जांच पड़ताल की जाये जिनमें हरिजनों के विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा अंतर्ग्रस्त है और जिन व्यक्तियों के ऐसा अपराध करने का संदेह है उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्य-वाही की जाये। राज्य सरकारों पर यह भी जोर दिया गया है कि जहां उनके ध्यान में ऐसी घटनाएं आती हैं, वहां प्रभावित व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के और निरोधात्मक प्रबंधों को मजबूत करने के कारगर तथा पर्याप्त उपाय किये जाएं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मुख्य पत्तनन्यास अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत पत्र, व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1976 आदि

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1968 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1973-74 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 424/77]

(चार) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(पांच) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-425/77]

(छ) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(सात) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-426/77]

(आठ) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-427/77]

(नौ) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।
[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-428/77]

(दस) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।
[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-429/77]

(ग्यारह) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।
[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-430/77]

(बारह) मुरमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।
[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-431/77]

(2) व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि, नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 15 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० 93 में प्रकाशित हुए थे ।
[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-432/77]

(3) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1284 में प्रकाशित हुई थी ।
[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-433/77]

(ख) (1) व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम 1976 जो दिनांक 13 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1602 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) व्यापार पोत परिवहन (व्यापार नौसना में इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 30 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) व्यापार पोत परिवहन (यात्रा पर जाने वाले जहाजों का पंजीयन) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 5 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 300 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 388 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 389 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 562 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-434/77]

(2) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मोटर यान (राष्ट्रीय परमिट) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 29 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-435/77]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखेपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-436/77]

(दो) (क) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-437/77] ।

(तीन) (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-438/77]।

(चार) (क) इलेक्ट्रानिक ट्रेड तथा टेक्नोलाजी डवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड तथा टेक्नोलाजी डवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-439/77]।

(पांच) (क) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-440/77]।

(छः) (क) केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त मद (6) (छः) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-441/77]।

(5) नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1976 कार्यकरण पर वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-442/77]।

(6) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी, सिकन्दराबाद का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, सिकन्दराबाद के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-443/77]।

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अतर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1-क पर स्थित बटोटे नामक स्थान से दोदा को किश्तवार से मिलने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-444/77]।

संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1976 अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं, तामिलनाडु सरकारी भाषा (संशोधन) अधिनियम, 1976 आदि

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 318 (क) के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1331 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 445/77]

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा (3) की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 550 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 551 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 1977 जो दिनांक 3 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 261 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 3 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 262 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 1977 जो दिनांक 3 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 263 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 446/77]

(3) तमिलनाडु राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 41) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 12 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 447/77]

(5) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1063 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 448/77]

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 14 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 610 में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त मद (15) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 449/77]

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण अडवानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 450/77]

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 1 मई, 1975 से 31 मार्च, 1976 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (17) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 451/77]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद (13वां संशोधन) नियम, 1977

वित्त और राजस्व तथा बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 733 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जून, 1970 की अधिसूचना संख्या 128/ सी० ई० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 452/77]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 238 (ङ) जो दिनांक 12 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 268 (ङ) और 269 (ङ) जो दिनांक 6 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 270 (ङ) जो दिनांक 6 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं० एल० टी० 453/77]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1977 की एक प्रति जो दिनांक 9 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 273 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 454/77]

बिहार विद्युत् संभरण उपक्रम (अर्जन) दूसरा अध्यादेश, 1977 दामोदर घाटी निगम का 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अधीन, बिहार, विद्युत संभरण उपक्रम (अर्जन) दूसरा अध्यादेश 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो बिहार, के राज्यपाल द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 455/77]

(2) दामोदर घाटी अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर, घाटी निगम के वर्ष 1975—76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उसके लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त मद (23) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं० एल० टी० 456/77]।

Detailed Demands for Grants of Ministry of External Affairs for 1977-78.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants of Ministry of External Affairs (Hindi and English version) for 1977-78.

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 457/77]

नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपा नगर की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली आदि और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्निलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपा नगर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपा नगर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 458/77]

(दो) (क) हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 459/77]

(तीन) (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कम्पनी लिमिटेड, ऊटाकमण्ड के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कम्पनी लिमिटेड, ऊटाकमण्ड का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 460/77]

(चार) (क) टनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) टनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 461/77]

(2) उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 242 (ङ) जो दिनांक 18 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध पर नियंत्रण जारी रखने के बारे में है।

(दो) सां० आ० 311 (ङ) जो दिनांक 2 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और मैसर्स स्मिथ, स्टेनिस स्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध पर नियंत्रण जारी रखने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 462/77]

हरियाणा और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के निरसन की उद्घोषणा

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अधीन निम्नलिखित उद्घोषणाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 21 जून, 1977 की उद्घोषणा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य के संबंध में उनके द्वारा 30 अप्रैल, 1977 को जारी की गयी उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 21 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 389 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 22 जून, 1977 की उद्घोषणा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य के संबध में उनके द्वारा 30 अप्रैल, 1977 को जारी की गयी उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 22 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० सां० नि० 390 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 469/77]

राजनैतिक बंदियों की रिहाई के बारे में याचिका

PETITION RE. RELEASE OF POLITICAL PRISONERS

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं राजनैतिक बंदियों की रिहाई के बारे में पश्चिम बंगाल के श्री पीयूष डे और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं । हजारों व्यक्ति रिहाई की प्रतिक्षा में हैं ।

समितियों के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं--

"कि व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुर्नविलोकन करने वाली समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें जो उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में इस बारे में सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन पेश करेगी ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुर्नविलोकन करने वाली समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें जो उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में इस बारे में सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन पेश करेगी ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कालावधि के लिये कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कालावधि के लिये कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 21 जून, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 21 जून, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इलायची (संशोधन) विधेयक

CARDAMOM (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलायची अधिनियम, 1965 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"इलायची अधिनियम, 1965 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मोहन धारिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

YOGA UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : Sir, I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the taking over of the management of the undertakings of the two Yoga Societies for a limited period in the public interest and in order to secure the proper management thereof and for matters connected therewith or incidental thereto."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दो योग सोसायटियों के उपक्रमों का लोकहित में और उनका समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिये प्रबन्ध ग्रहण का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

SHRI RAJ NARAIN : I introduce the Bill.

योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश 1977 के बारे में विवरण

STATEMENT REGARDINGS YOGA (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE, 1977

SHRI RAJ NARAIN : Sir, In 1958, a Vishwayatan Yogashram, a registered institution was set up in Delhi. I lay on the Table an explanatory statement (Hindi & English version) giving reasons for immediate legislation by the Yoga undertakings (Taking over of Management) Ordinance, 1977.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

RE-CALLING ATTENTION MOTION

श्री वसंत साठे (अकोला) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी चाहते हैं कि इसे 2 बजे विचार के लिये लिया जाए।

श्री वसंत साठे : यह प्रथा रही है कि हमें पहले ही वक्तव्य मिल जाता है जिससे अच्छी तरह चर्चा में भाग लिया जा सके ।

श्री शान्ति भूषण : मैं 2 बजे वक्तव्य दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे परिचालित नहीं कर रहे ।

श्री बसन्त साठे : जिस सदस्य ने सूचना दी है उसे कम से कम आधा घंटा पहले वक्तव्य मिल जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वक्तव्य तैयार नहीं । वे कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं । इसलिये उसे परिचालित कैसे किया जा सकता है ?

श्री वसंत साठे : मुझे उसपर 2 बजे विचार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं ।

सामान्य बजट-1977-78—सामान्य चर्चा (जारी)

GENERAL BUDGET 1977-78—GENERAL DISCUSSION—contd.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar) : Sir, The people were expecting a dynamic and good budget from the Janta Party. But we are dismayed. They have presented a capitalist budget although the Socialist Party is also one of its constituents. Actually the Janta Party is a conglomeration of many parties.

The Finance Minister in his speech only tried to attack the former Finance Minister. The former Congressmen who today form the Janta Party are blaming the Congress for all the ills of the country. They should be a little more responsible.

राजनीति में कोई मतदान नहीं होता । वहां तो केवल आत्म हत्या होती है ।

Our leader Shri Y. B. Chavan assured constructive cooperation in the first session of this Lok Sabha. He also said that we will function as a responsible opposition. I would request the ruling party to work with a sense of responsibility. We are ready to cooperate with them. They are going to set up commissions after commissions and raise issues against Smt. Indira Gandhi and Shri Sanjay Gandhi.

SHRI MADHU LIMAYE (Banka) : They caused the death of hundreds of people.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : That is why we are on this side.

I would request the ruling party to behave with a sense of responsibility because they have to do a lot of service to the country.

In so far as economic policy is concerned, we have not committed mistakes but we have of course committed certain political mistakes. No individual should be blamed for these mistakes, we are collectively responsible for the same. People have not rejected the economic policy of the Congress. Our party handed over a sound economy to the present Government and it is for them to maintain the same. Even the Finance Minister has admitted that over economy underwent improvement during the last two days. The Congress Government left 18 million tons of foodgrains. This is not an ordinary thing.

It is surprising that there is no mention about land reforms and labour wages in the budget. The Government has only provided consessions to the big industrialists. Why the former socialists who happens to be in the Janta Party, are keeping silent ? The Government should not forget that is they fail to improve the plight of the poor, there will be revolution in the country and they will be thrown out by the people. This budget will help to remove poor instead of removing poverty.

The budget is also silent over the menace of smuggling. Government has not so far taken any action against smugglers and blackmarketeers.

The budget has highlighted agriculture, roads, poultry farms, vegetables, sericulture, drinking water etc. etc. The congress government did a lot for rural development. The budget has not touched land reforms. Government should pay due attention towards land reforms.

70 percent of cultivable land is still unirrigated. As suggested by Dr. K. L. Rao, Ganga and Cauvery should be linked so that maximum area could come under irrigation.

Some of the river water disputes are still pending. Government should try to settle them at the earliest.

A provision of 56 crores for defence expenditure has been made. There is a cut of Rs. 21 crores in the budget which will affect the laying of new rail lines in the new areas.

A proposal for nuclear power station has been received from Andhra. In this connection Government should see the report of expert committee.

Steps should also be taken to complete automobile types project Mangalagiri. Government have reduced the provision for the agricultural sector by Rs. 400 crores as compared to budget of the previous government.

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पार्टी, निश्चित समय के अनुसार बोल चुकी है। जनता पार्टी का एक घंटे तथा 44 मिनट का समय अभी बचा है। उस दल के सदस्य यदि पांच-पांच मिनट ले लें तो अधिकाधिक सदस्यों को अवसर मिल सकेगा।

श्री० ओ० बी० अलगेशन : हम में से कुछ लोगों को बोलने से वंचित कर लिया गया है। आप हम कुछ और समय दे दें।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक सी० पी० आई० तथा ए० आई० डी० एम० के० के सदस्य नहीं बोले हैं। अब मैं सी० पी० आई० के श्री गोविन्द नैयर को बोलने के लिये बोलता हूं।

श्री हरिविष्णु कामथ : हमें समय सम्बन्धी 1952 से 1972 तक की परम्परा को पुनः लागू करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पिछले कल कार्य मंत्रणा समिति ने इन सब बातों पर विचार किया था तथा इस समय-सारणी को स्वीकार किया था।

श्री एम० एम० गोविन्द नैयर (त्रिवेन्द्रम) : जनता पार्टी केन्द्र तथा राज्यों दोनों स्तरों पर सत्तारूढ़ हो गयी है। अब इसे लोगों से किये गये वायदा पूरे करने के लिये पूरे अवसर प्राप्त हो गये हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि उनके द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद, दल बदल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लोक-सभा राज्य सभा और विधान सभा सदस्य दल बदल करके जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह प्रधान मंत्री के उस स्पष्ट वक्तव्य के सर्वथा प्रतिकूल है जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह दल बदल को बढ़ावा नहीं देंगे। अब जो कुछ हो रहा है, वह निन्दनीय है। इस प्रकार के दल बदल को रोकने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। यदि कोई सदस्य दल बदल करना चाहता है, तो पहले उसे विधान सभा का या संसद की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे और फिर दूसरे दल में शामिल हो।

जनता पार्टी के बजट में कांग्रेस पार्टी के बजट से कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है, उसमें मामूली सा ही हेर-फेर किया गया है। जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वे गरीबी और बेरोजगारी को दूर करेंगे। ग्रामीण लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करेंगे। लेकिन इसके लिये उन्होंने कितना प्रावधान किया है? खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये 35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और हथकरघे के लिये 20 करोड़ रु०। सहकारी समितियों और बुनकरों के पास ही 20 करोड़ रु० से अधिक का माल पड़ा है। माननीय गृह मंत्री के सुझाव को

क्रियान्वित करने से तो हथकरघा उद्योग और वस्त्र उद्योग दोनों ही समाप्त हो जायेंगे। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है।

हम यह दावा करते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि प्रधान है, परन्तु आगामी 30 वर्ष बाद आज भी हम अनाज, खाद्य तेलों, और दालों के लिये अन्य देशों पर निर्भर हैं। इस स्थिति में बदलाव आना चाहिये। जनता पार्टी के नेता कृषि के बारे में बड़ा जोर दे रहे हैं, परन्तु कृषि के विकास के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं रखी गई है। अगर कृषि का विकास करना है तो उसका आधुनिकीकरण होना चाहिये, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, उर्वरकों की व्यवस्था होनी चाहिये और सुधरे किस्म के बीजों की व्यवस्था होनी चाहिये और इसके लिये पर्याप्त धन राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। रेल मार्गों, नई सड़कों और पहुंच मार्गों का निर्माण करने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिये जिसमें ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सके। बजट में भूमि सुधारों का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। जब तक क्रान्तिकारी ढंग से भूमि सुधार नहीं किया जाता, तब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो ही नहीं सकता।

जब देश के बाहर अन्य राष्ट्रों में जातिगत भेदभाव की बात उठती है, तो सभी जोर जोर से आवाज उठाते हैं, परन्तु देखने की बात तो यह है कि हमारे अपने गांवों में क्या हो रहा है ? क्या हम अपने गांवों के पिछड़े लोगों और हरिजनों को बराबरी का दर्जा देते हैं ? बिहार में पिछड़े डेढ़ वर्षों के दौरान सरकारी सूत्रों के अनुसार 100 हरिजनों की हत्या हुई और 75 हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्ष 1972 में हरिजनों पर अत्याचार की घटनायें 98 हुई थीं, जो 1976 में बढ़कर 1200 हो गई। इसी वर्ष 1977 में बिहार के एक गांव में हरिजनों को जिन्दा जला देने की घटनायें हुई हैं। यदि हम समाज में परिवर्तन चाहती हैं, तो इन पिछड़े और दलित लोगों के स्तर को उठाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पहले तो भूमि सुधार लागू करना चाहिए। दूसरे ग्रामीण समाज को लोकतान्त्रिक बनाया जाय और तीसरे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए।

गांधीवादी अर्थव्यवस्था की बात की गई है। गांधीजी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक प्रणाली के विरुद्ध आह्वान किया था और लोगों से आत्म-निर्भर होने को कहा था। वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहते हैं, तो केवल ग्रामोद्योगों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। आधुनिक उद्योगों की भी स्थापना की जानी चाहिए और सहायक उद्योगों की स्थापना गांवों में हो सकती है।

लघु उद्योगों का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है परन्तु उसके लिए बजट में रखी गई धनराशि अपर्याप्त है। जनता पार्टी ने इस देश की जनता को जो आश्वासन और वचन दिये थे, इस बजट में प्रतिबिम्बित नहीं होते। अगर हमारे समग्र दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होता, तो हमारा देश आर्थिक संकट में फंस जायगा।

अध्यक्ष महोदय : हम इस चर्चा का समय बढ़ा रहे हैं। मंत्री महोदय कल लगभग साढ़े तीन बजे बहस का उत्तर देंगे।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA (South Delhi) : Some of the Members have criticized this budget as, according to them this budget does not reflect the assurances and promises made by the Janta Party. No intelligent person would expect from this budget

complete reflection of the assurances of Janta Party as the work on this budget had started in September or October, 1976 and the work on the budget was completed in January this. Hence any radical changes could not be effected. During the fourth year of the plan, any radical changes are not possible. The carry-over schemes could not be left in the middle. These schemes have to be completed. This is a Congress budget, but the Honourable Minister has given it a new direction for which I would like to congratulate him.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER, *in the Chair*]

The most important thing of this budget is the reduction of deficit from Rs. 632 crores to Rs. 72 crores. This shows that the Janta Government is bent upon doing away with the deficit financing so that prices could be controlled.

Shri Subramaniam and other Members have criticized this budget as a capitalist budget and also that the socialism brought about by Congress should not be ended by the Janta Government. I would like to ask them whether it is not a fact that the big capitalists like Tatas and the Birlas, who had only 50 crores of rupees in 1950, have now 1800 crores of rupees. Whereas forty percent of the people have gone below the poverty line. In 1969, when Congress was split, there were 31 lakhs of people on the live register of employment exchanges. These figures of unemployed persons rose to 97 lakhs and 84 thousand in 1976. 5,20,000 villages had no drinking water facility and more than 30 crores of people did not have any Primary Health Centre in the radius of 20 miles. The Janta Government is bent upon doing away with such disparities.

Our friends from Congress Party and Communist Party have criticized the Honourable Home Minister as he has said that the consumer items should be manufactured by small industries and cottage industries and their production by big industries should be banned. I know why these people are supporting the big industries, because they are getting crores of rupees from big capitalists.

In the First Five Year Plan, almost equal provision was made for the Small Scale Industries and the big Industries, but in 1976-77, a provision of Rs. 95 crores was made for the Small Scale Industries, but a sum of Rs. 2185 crores was provided for the big industries. The nationalized banks provided 90 per cent of the loans to big industries, whereas small industries got only 10 per cent of the total loans advanced by the Banks. During the year 1975-76, import licences worth 87 crores of rupees were given to small industries, whereas import licences worth 620 crores of rupees were given to big industries. 60 percent of the employment is provided by small industries, whereas big industries provide only 40 percent of the employment. The rich are growing richer, whereas the poor are becoming poorer. The only way to do away with these disparities is that consumer items should be produced by small industries and cottage industries.

The rate of growth in the year 1976-77 has been only 2 percent. Unless the rate of growth is raised to 6 or 7 percent per annum, the unemployment cannot be removed within ten years.

The policy of giving lump sum grants to States should be changed. The Harijans, weaker sections, slum dwellers and tribal people have suffered because of this policy. There should be specific allocation for these classes and the states should be asked to spend the amount only for those specific purposes only. No specifi allocation has been made for the removal of slums in the metropolitan cities. At present, the Municipal Corporations cannot make any improvement in the slums on the Government land. This loan should be removed. A Metropolitan Fund should be established. A capital region fund should also be created

so that area within 40 miles around Delhi could be developed. If we have to check influx of people to Delhi, the area around Delhi should be developed by respective States.

The Sales Tax should be abolished throughout India and instead it should be merged with the Excise Duty. This would benefit both consumer as well producer and would eliminate Corruption. It should also be considered whether tax on expenditure could be imposed instead of on Income.

There should be specific provisions for the youths, sports, social service as also art and culture.

India has been given an opportunity to hold Asian games in 1982, but nothing has been done in this regard during the last two years.

The facilities given to powerlooms would destroy the Handloom industry. The handloom industry has to give protection.

The tax exemption limit on donations to charitable institutions has been from two lakhs of rupees to five lakhs of rupees. This concession should not be misused.

The provision for making infra-structure for agriculture and especially for drinking water has to be welcomed.

Overall it is a realistic budget and has been prepared with utmost care. But next year there should be radical changes in the budget.

श्री वेणुगोपाल गौंडर (वांडीवाश) : ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री ने समुचित ध्यान दिया हैं, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। यह कहा जाता रहा है कि कृषकों के लिए बहुत कुछ किया गया है परन्तु आंकड़े देखने से पता चलता है कि वास्तव में ऋण सहायता आदि के रूप में जितना लाभ उद्योगों ——छोटे, बड़े और मध्यम सभी प्रकार के उद्योगों—को मिला है, उतना कृषकों को नहीं मिला है। सरकार को इस तरह से योजना बनानी चाहिए जिससे वास्तविक लाभ खेतिहरों को मिले, तभी कृषि-उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

किसानों के सामने एक अन्य समस्या है बाजार की। उद्योगपति तो अपने उत्पाद का मूल्य निश्चित करने की स्थिति में हैं, जबकि कृषक ऐसी स्थिति में नहीं हैं सरकार मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार करे, जिससे कृषकों को लाभ हो। उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलना चाहिए। यदि बाजार मूल्य कम है, तो सरकार को उचित मूल्य पर खरीद करने में हिचकना नहीं चाहिए और इस प्रकार खरीद करके सरकार को अपना वृहद् भण्डार बनाना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है उर्वरकों का वितरण करने का। पिछले दो वर्षों के दौरान उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। उनकी कीमतों में कमी की जानी चाहिए। अगर उर्वरकों का वितरण सहकारी एजेन्सियों अथवा पंचायतों के माध्यम से किया जाय, तो बेहतर होगा।

तमिलनाडु मानसून की कृपा पर आश्रित है। तमिलनाडू और कर्नाटक में कावेरी जल के वितरण के बारे में जो विवाद चल रहा है, उसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। देश में नदियों के जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर देना चाहिए, जिससे इस प्रकार के अन्तर्राज्यीय विवादों से बचा जा सके।

तमिलनाडु के प्रत्येक गांव को प्रति वर्ष छः महीने तक बिजली की कटौती का सामना करना है, तो उन्हें भारी परेशानी होगी। उन्हें बिजली की कटौती से छूट मिलनी चाहिए।

SHRI U. S. PATIL (Letur) : The Finance Minister has rightly said in his budget speech that the budget is an instrument to reflect the shape of society emerging out in future. It is true that Congress gave several slogans for bringing socialism in the country, but in spite of them the monopolistic industries have increased resulting in poverty, unemployment and inflation. During the emergency numerous concessions were given to big industrialists. Not only Indian industrialists but also foreign industrialists, multi-national cooperatives were united to invest in this country. A slogan land for the tiller was also raised but the statistics of 1961-71 indicate that the number of labourers has increased. The Congress has declared decentralisation of economy but one could see that there is more and more of centralisation. The Finance Minister has reiterated the Gandhian idea of creating self-reliant rural community but the fact could not be ignored that about 40 per cent of our rural population is migrating to big industrial centres. The small and marginal farmers are today unable to maintain themselves because they do not get any profit from their agricultural production. Unless they are provided with facilities of finance marketing and inputs agricultural economy cannot make much headway.

The measures prepared in this Budget to curb inflation are the same which were adopted by the Congress during the last 30 years.

In our country small farmers are facing with several handicaps. There is an acute scarcity of water for irrigation purposes. There is no effective system of banking to advance loans to farmers. Then, the farmers were also the victims of exploitation in regard to the marketing of their agricultural produce. The Congress rule during the last 30 years had shattered our agricultural economy. If a large part of the income is given to 10 per cent people 90 per cent have to suffer in poverty.

The measures prepared to be adopted to check inflation are not new ones. The Reserve Bank effects credit squeeze and balance is maintained in imports and exports. Such measures have been adopted by Western countries but without any results. The prices of a few commodities came down for 5-6 months but there was no significant fall in the prices of industrial commodities. Janta Government may not check inflation with these measures.

Irrigation and shortage of water are greatest problems of small farmers. The farmers have to face highest exploitation in marketing. If any industry does not yield profits it become a matter of concern from the Government. But a farmer cannot give up his profession.

Unemployment has increased a good deal rural areas. The Government should give loan to such farmers who possess 5-6 acres of land at low rate of interest, recoverable in 15 to 20 instalments. The farmers should be able to earn 15 per cent profit on their produce. Such scheme can go a long way in solving the problems of unemployment.

If we could take resort to intensive cultivation, we could create ten times more employment opportunities. We have to bring about an increase in the income of poor peasants and marginal farmers. A labourer must be ensured minimum daily wage ranging between five to ten rupees. We should adopt such measures as may enhance the purchasing power of the farmers. At present we are importing edible oil and cotton and we try to export our produce to other countries.

SHRI LAXMAN RAO MANKAR (Bhandora) : The Finance Minister has pointed out in his speech that numerous defects of planning during the past 30 years Prices have gone up and unemployment. I agree that the provisions made for differed items is insufficient, but the direction given by the Minister is commendable.

Certain Congress members have criticized the budget for unadequate provision agricultural labour. The provision for this item was 26 crores whereas the allocation in this budget is 46 crores. We have avoided deficit financing. The Congress Government adopted deficit financing for the last so many years.

It is said that state sector has not not been given due attention. In fact we have increased provision for Bhilai Steel in order to encourage public sector. The budget provides for Agricultural based and finest based industries. It also provides for employment for rural sector. But a number of restrictions have been imposed on these persons who depend for their likelihood on forest produce.

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेंगे। आप उसके बाद जारी रख सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू तथा कश्मीर में चुनाव से पूर्व की राजनीतिक स्थिति और विधान सभा चुनावों के स्थगित किए जाने का समाचार

श्री चित्त बसु (बारसाट): मैं विधि न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचन, जम्मू-कश्मीर के संविधान के उपबन्धों के अधीन बनाई गई विधि के अधीन किए जाते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कृत्यों का विस्तार राज्य विधान सभा के निर्वाचन पर भी है। मतदान की तारीखों को स्थगित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। आयोग जम्मू कश्मीर लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1957 की धारा 155 के अधीन ऐसे कारणों के लिए जो उसे पर्याप्त प्रतीत हों अधिसूचना द्वारा ऐसा कर सकता है। अब स्थिति यह है कि राज्य विधान सभा के निर्वाचन 30 जून और 2 तथा 3 जुलाई को होने वाले हैं। ये तारीखें जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 41 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई थीं।

चुनाव प्रचार के दौरान कश्मीर घाटी में हिंसा की बहुत सी वारदातें इधर हुई हैं। प्रतिस्पर्धा राजनैतिक दलों में अनेकों मुठभेड़ें हो चुकी हैं।

अव्यवस्था की यह वारदातें तब शुरू हुई जब शेखअब्दुल्ला ने अप्रैल के शुरू में घाटी में प्रवेश किया। काजी कुण्ड से श्रीनगर तक श्री शेख अब्दुल्ला को छोड़ने के लिए बसों में लाए गए बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों के और अनन्तनाग डिग्री कालेज के विद्यार्थियों के बीच, जो उनके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, मुठभेड़ हुई। इस प्रकार के कथन किए गए कि पुलिस ने और नेशनल काफ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने कालेज के परिसर के भीतर घूसकर छात्राओं और कर्मचारियों को पीटा। इन कथनों की न्यायिक जांच की जा रही है। शेख साहब के श्रीनगर में पहुंचने पर उनके पक्ष और विपक्ष में प्रदर्शन हुए जिनमें श्रीनगर के शहरी भाग में कुछ हिंसा भी हुई। जैसे जैसे चुनाव का टैम्पो बढ़ता गया अव्यवस्था की वारदातें श्रीनगर में बढ़ती गईं। और यह मुख्यत: शेख साहब के अनुयाइयों और मौलवी फारूक के अनुयाइयों के मुठभेड़ों के रूप में थी। एक मुख्य वारदात में जनता प्रत्याशी डा० जगत मोहिनी को नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने हड्डी तोड़कर गम्भीर चोट पहुंचाई। एक और घटना 11 जून को हुई जब अवामी एक्शन कमेटी के मौलवी फारुक अनन्तनाग गए। अनन्तनाग में उनके लोगों और स्थानीय नेशनल कांफ्रेंस के समर्थकों में मुठभेड़ें हुई और ऐसी ही मुठभेड़ें रास्ते में दो या तीन स्थानों पर उनके लौटते समय हुई। अवन्तीपुर में आगजनी की घटना भी हुई जिसका अन्वेषण किया जा रहा है। समय-समय पर विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

निर्वाचन आयोग के सामने निर्वाचनों की तारीखों को मुल्तवी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । न तो राज्य सरकार ने और न किसी अन्य व्यक्ति ने निर्वाचन आयोग को निर्वाचन स्थगित करने के लिए कहा है । जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 138 के अधीन निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है । इसलिए निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षा है कि वह स्थिति पर नजदीक से निगाह रखेगा जिससे निर्भय और निष्पक्ष निर्वाचन हो सकें ।

केन्द्रीय सरकार विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी सम्भव सहायता देती रही है । दोनों सरकारें चाहती हैं कि ऐसी शान्तिपूर्ण स्थिति बनी रहे जिसमें निष्पक्ष और निर्भय निर्वाचन हो सकें दोनों सरकारों का यही प्रयास है कि हिंसा को मजबूती से दबाया जाय और निष्पक्ष और निर्भय निर्वाचन सुनिश्चित किए जाएं ।

श्री चित्त बसु : वक्तव्य में कहा गया है कि काश्मीर की निर्वाचन पूर्व स्थिति बहुत गम्भीर थी । जहां दूसरे राज्यों में स्थिति सामान्य रही है काश्मीर में व्यापक अव्यवस्था, हिंसा, हत्या, आगजनी की घटनाओं का बोलबाला है । राष्ट्रीय एकता के हित में काश्मीर की परिस्थिति का अध्ययन किया जाना आवश्यक है । मंत्री महोदय बतायेंगे कि काश्मीर के हालात बिगड़ने के क्या निम्न कारण हैं, जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता द्वारा भारत के संविधान से धारा 370 को निकालने का सुझाव, काश्मीर के लोगों को चावल के लिए राज-सहायता का सहसा बंद किया जाना, कुछ साम्प्रदायिक व्यक्तियों का जनता पार्टी में लिया जाना, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उत्तेजनात्मक भाषण और काश्मीर के लोगों का चुनाव में भारी संख्या में गड़बड़ किए जाने का भय ।

क्या सभी राजनीतिक दलों ने कोई निर्वाचन आचार संहिता स्वीकार की थी और ऐसी संहिता क्या थी और उस संहिता के उल्लंघन करने का दायित्व किनका था । क्या राज्य के राज्यपाल ने कोई प्रतिवेदन भेजा है । यदि हां, तो उसे सभा पटल पर रखा जाये ।

क्या सरकार काश्मीर की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये राज्य की तथा देश की सभी राजनीतिक पार्टियों का एक सम्मेलन बुलायेगी ताकि काश्मीर की स्थिति सामान्य बन सके तथा स्वतंत्र चुनाव कराये जा सकें ?

काश्मीर की स्थिति केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं सुलझाई जा सकती । इसे राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : माननीय सदस्य ने बहुत सी बातों की ओर उल्लेख किया है जिनके कारण जम्मू काश्मीर की परिस्थिति बिगड़ी है । सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिया जा चुका है कि धारा 370 के समाप्त किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । पता नहीं क्यों नेशनल कांफ्रेंस अपने निर्वाचन अभियान में धारा 370 का इतना महत्व क्यों देती है ।

विदेश मंत्री, गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने सरकार की ओर से इस बारे में वक्तव्य दिया है ।

चावल के बारे में राज-सहायता राज्य सरकार ने उस समय समाप्त की गई थी जब वहां पर रखे शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी ।

इस प्रकार भारत सरकार इसके लिए उत्तरदायी नही है । कुछ झगड़े विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्य के बीच हुए है । यह झगड़े जनता पार्टी के आन्तरिक झगड़े नहीं है ।

जहां तक निर्वाचन में गड़बड़ी किये जाने के भय का प्रश्न है मैं सरकार को बता सकता हूं कि जिस प्रकार राज्य में लोक सभा के चुनाव हुए थे उस पर न केवल भारत को बल्कि सारे विश्व को नाज है ।

इस प्रकार ऐसा भय ना तो देश में न ही किसी अन्य देश में व्यक्त किया जा सकता है कि निर्वाचन में गड़बड़ की जायेगी ।

राज्यपाल से राज्य की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं ।

जहां तक सभी राजनीतिक दलों के सम्मेलन बुलाये जाने का प्रश्न है, परिस्थिति पर ही निर्भर करता है । इस बारे में कोई एक पार्टी कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकती ।

निर्वाचन ग्राचरण संहिता के बारे में बातचीत चली थी परन्तु विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में समझौता नहीं हो सका । सरकार के लिए ग्राचरण संहिता सभी राजनीतिक, पार्टियों का सम्मेलन बुलाना सम्भव नहीं है ।

श्री वसंत साठे (ग्रकोला) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी शेख ग्रब्दुल्ला पर डाली है ।

इस समय जब भी जम्मू काश्मीर राज्य में केन्द्र का शासन है तब कानून ग्रौर व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के लिए कोई उत्तरदायी है । क्या ग्राज यह दायित्व निर्वाचन ग्रायोग पर डाल सकते हैं । इस प्रकार ग्राप ग्रपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते । कानून ग्रौर व्यवस्था बनाये रखने का पूरा दायित्व सरकार का है सरकार इस दायित्व को निभाने में सर्वथा विफल रही है । मुझे भय है कि ऐसी स्थिति जानबूझ कर पैदा की जा रही है । कहा नहीं जा सकता कि निर्वाचन ग्रायोग इस पर क्या निर्णय लेता है । मुझे भय है कि दाल में कुछ काला ग्रवश्य है । यदि वहां पर कानून ग्रौर व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है तो निर्वाचन ग्रायोग क्या कर सकता है । गृह मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं । मैं चाहता हूं कि वह इसबारे में स्पष्ट वक्तव्य दें । यदि निर्वाचिन स्थगिन किये जाते हैं तो यह लोकतन्त्र के लिए घातक होगा ।

श्री शान्ति भूषण : श्री साठे ने कहा कि मेरे वक्तव्य से यह प्रकट होता है कि झगड़ों का दायित्व शेख ग्रब्दुल्ला पर है । स्पष्टत: कुछ ग्रारोप लगाये गये हैं । मेरे पास कुछ फोटो चित्र भी है । माननीय सदस्य यदि चाहें तो उन्हें देख सकते हैं । इन सभी मामलों की न्यायिक जांच की जा रही है । जो कोई भी व्यक्ति दोषी होगा उसे दण्डित किया जायेगा । सरकार के प्रवक्ता को ग्रनुच्छेद 370 के बारे में सरकार की नीति की घोषणा करनी होती है । जब स्वयं प्रधान मंत्री ने ग्रनुच्छेद 370 के बारे में घोषणा कर दी है, तब इस बात को विवाद का विषय बना कर चुनाव ग्रभियान में उपयोग करना युक्त नहीं है । यह भी ग्रारोप लगाया गया है कि जनता पार्टी के विभिन्न घटकों के मध्य टिकटों के बंटवारे के मामले पर यह झगड़ा शुरू हुग्रा है ।

जहां तक जम्मू ग्रौर काश्मीर का प्रश्न है, वहां पर राज्यपाल राज्य का प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी है । जब भी राज्य सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए सहायता की ग्रावश्यकता होती है राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त कर सकती है ।

श्री वसन्त साठे : राज्यपाल किस प्राधिकार के ग्रन्तर्गत काम करता है ?

श्री शान्ति भूषण : इस सम्बन्ध में उपबन्ध भिन्न है । जब जम्मू ग्रौर काश्मीर विधान सभा भंग की गई थी ग्रौर राज्यपाल का शासन लागू किया गया था तो इस उपबन्ध में मिलता पर विचार किया गया था । वहां पर राज्यपाल के शासन सम्बन्धी उपबन्ध हैं । वहां पर ग्रन्य राज्यकी तरह भारत सरकार प्रशासन नहीं चाहती । संवैधानिक स्थिति ही ऐसी है । यदि ग्राप संवैधानिक स्थिति को न मानकर किसी

गैर-संवैधानिक स्थिति को मानते हैं तो बात और है । जहां तक हमारी बात है हम तो केवल संविधान तथा संवैधानिक प्राधिकारों को ही मानते हैं ।

श्री सौगत राय : हम पूछ रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और कौन उसे प्राधिकार देता है ?

श्री शान्ति भूषण : राज्यपाल की नियुक्ति सरकार करती है । उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सरकार द्वारा की जाती है । परन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि वे स्वतन्त्र प्राधिकारी नहीं रहते क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है। अत: सरकार उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय के लिये भारत सरकार ही उत्तरदायी होगी । अत: मेरा यह कहना है कि जहां तक चुनाव स्थगित किये जाने का सम्बन्ध है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य या जम्मू और काश्मीर सरकार चुनाव आयोग से इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकता है । परन्तु जहां तक जम्मू और काश्मीर में चुनावों को स्थगित करने सम्बन्धी गृह मंत्री के तथाकथित निर्णय का सम्बन्ध है, मैं सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है । गृह मंत्री ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहते हैं कि चुनाव समय पर होंगे । परन्तु मेरा यह कहना है कि सरकार चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । चुनाव आयोग ही चुनाव की तारीख निर्धारित कर सकता है और चुनाव स्थगित कर सकता है ।

श्री वसन्त साठे : आप हमें केवल यह आश्वासन दें कि आप चुनाव आयोग से चुनाव को स्थगित करने की सिफारिश नहीं करेंगे ।

श्री शान्ति भूषण : मैं अपनी ओर से अपने इष्ट साथियों की ओर से तथा सरकार की ओर से आश्वासन देता हूं कि सरकार चुनाव स्थगित करने के लिये चुनाव आयोग से कोई सिफारिश नहीं करेगी ।

श्री वसन्त साठे : मुझे आशा है कि इसमें राज्यपाल भी शामिल होंगे ।

श्री शान्ति भूषण : जी नहीं, यह राज्यपाल का काम है । मैं केवल भारत सरकार की ओर से वक्तव्य दे रहा हू और मुझे आशा है कि वहां पर समय पर चुनाव होंगे ।

सामान्य बजट, 1977-78—सामान्य चर्चा—(जारी)

GENERAL BUDGET 1977-78—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

SHRI LAXMAN RAO MANKAR (Bhandara) : I am talking about village industries. The Central Government have made a provision of Rs. 35 crores for the Khadi Gramodyog Commission. I do not accept it as provision for the commission.

I feel that agriculture—based and forest based industries deserve more attention because a large number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes depend on these industries for their livelihood. I will also suggest that these industries should be de-licensed so that more and more enterpreneurs be attracted to establish such industries.

There is no case for an increase in excise duty on bidis. This will affect poor bidi workers in the villages.

Levy on khandsari has been increased considerably over the years. By April, 1974 this levy was Rs. 1180 per tonne. It was raised to Rs. 2360 per tonne w.e.f. 1st May, 1974 and again it was increased to Rs. 5900 per tonne w.e.f. 1st March, 1975. It was a labour intensive industry. Therefore, it should not be taxed heavily. Khandsari mills should be opened in the rural sector only.

The functioning of khadi and village Industries Board is far from satisfactory. Steps should be taken to improve it.

Agriculture accounts for 50 percent of our gross national income. Still necessary attention has not been paid to this sector. Although the prices of agricultural inputs have been steadily rising, the producer has not been given fair price for his produce. Government should fix a fair price for his produce. It is also necessary that all the schemes undertaken for small and marginal farmers should be implemented vigorously.

So far as export is concerned, you have exported oil cakes to the tune of Rs. 141 crore resulting in its shortage in the country itself. You have fixed the price paddy at Rs. 74/- whereas the prices of husk has gone upto Rs. 100/-. The price of oil cakes, which you have exported, has gone upto Rs. 250—300. I, therefore, request that essential items, which are required for consumption in our own country should not be allowed to be exported. Our export policy should be modified accordingly.

Small and marginal farmers, who have uneconomical holdings of less than 6 acres have hardly any money to invest on their land for purchase of agricultural equipments or for digging wells, etc. They should be given interest free loan for a period of 3 years and after that period a marginal interest can be charged.

In the end I would like to say that unless production is not increased, the problems of price rise and unemployment cannot be solved and inflation cannot be checked. Hence we should make all our efforts to utilise the entire available resources and increase production. Only then we can achieve success.

With these words I support the budget proposals.

SHRI MANOHAR LAL (Kanpur) : I rise to support the budget present by the Finance Minister. I agree that there is poverty, unemployment, corruption and disparity among various classes in our country. But who is responsible for this sad state of affairs ? The Congress Party ruled this country for all these years. Therefore, they are the people who should be blamed for it. Now for the first time in 30 years, a Government which is committed to the principles enunciated by Gandhiji has come at the Centre.

(श्री सोनू सिंह पाटिल पीठासीन हुए)

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

I hope Janta Party will redeem the pledge it has made at the time of elections.

Now, as regards the budget, it is a commendable exercise by the Janta Government. In the first ever budget by the new Government an effort has been made to provide drinking water to villages, give facilities to agriculturists and develop backward and under developed areas.

There is large scale unemployment in our country. Even educated and skilled persons find it difficult to find jobs. I will, therefore suggest that 10 percent total jobs in both private and public sectors should be reserved for those who are educated and possess technical qualifications.

Proper attention has not been paid to agricultural sector. In the past huge amount of money has been invested in heavy industries at the cost of small scale and cottage industries with the result that the rural sector has remained backward. This policy should be revised.

The population of our country has been steadily increasing. It should also be our endeavour to see that the burden on the land is reduced. More and more people should

be pulled out from agriculture and should be absorbed in small scale and cottage industries. Therefore, such industries should be established in rural sector in a large number.

There should be a basic change in our policy on education. The Congress Government had totally failed to change our educational system. The Janta Government should change it according to the needs of our country.

Inflation is a legacy of the Congress regime. There is unusual rise in prices. Therefore, the inflation should be checked at all cost. Efforts should be made to eliminate the creation of black money. So long as this is not done, it will be difficult to hold the price line. I hope the confidence shown by people in the anta Party will not be belied and the policies framed by us will be for the welfare of people, for the upliftment of farmers, and for development of villages.

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई-दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कठिनाई से ये बजट प्रस्ताव तैयार किये हैं और उनके पास पर्याप्त समय भी न था। किन्तु इन प्रस्तावों पर विचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जनता की स्थिति क्या है। वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी मुद्राव्यवस्था स्थिर हो। हमारी मुद्रा व्यवस्था ही मूल्यों के बढ़ने का मूल कारण है।

यह मुद्रा व्यवस्था हमें कांग्रेस सरकार से विरासत में मिली है। यह एक अस्वस्थ व्यवस्था है अत: इसके सुधार की आवश्यकता है। जनता पार्टी जोकी एक विशेष सामाजिक तथा आर्थिक नीती है उस की व्याख्या की जानी चाहिये? जनता पार्टी देश के किस दिशा की ओर से जाना चाहती है। संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिये। उन के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला, उसे आजीविका के समुचित साधन दिये जाने चाहिये। जब तक आर्थिक व्यवस्था को इस दिशा के अनुरूप नहीं बनाया जाता तब तक जनता हमेशा निर्धनता के अभिशाप से ग्रस्त रहेगी। अत: जीविका के समुचित साधन देना अत्यन्त आवश्यक है।

पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाएं बनाना राज्य सरकारों का काम है। पर राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी जिला परिषदों पर छोड़ देती हैं और जिला परिषदें वह काम पंचायतों पर डाल देती हैं। इस प्रकार जिम्मेदारी को एक दूसरे पर टाला जा रहा है। सरकार को आगे आकर यह जिम्मेदारी सम्भालनी चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो उसे जनता के साथ विश्वासघात माना जायेगा।

रक्षा बजट भी बजट के अन्दर एक बजट का रूप धारण कर रहा है। प्रतिरक्षा व्यय म भारी वृद्धि की जा रही है। 1950 में हमने रक्षा बजट में 260 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और आज यह बढ़ कर 2646 करोड़ रुपये हो गया है। सीमाओं की रक्षा तो अवश्य की जानी चाहिये लेकिन इस बजट में कटौती होना जरूरी है। जो कुछ कटौती की गई है वह स्वागत योग्य है पर और भी कमी जरूरी है। बेहिसाब बढ़ोतरी रोकी जाये।

राज सहायता 460 करोड़ रुपये की दी जानी है। क्या इस सहायता से उपभोक्ताओं को कुछ लाभ हो सकेगा। राज सहायता का लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिये। खाद्य सहायता ग्रामीण जनता को मिलनी चाहिये। हमारे समाज के निर्धन वर्ग के लिये बजट में अलग से व्यवस्था होनी चाहिये। गांवों में पेय जल की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जनता सरकार को चाहिये कि वह 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के अपने नारे को मूर्त रूप प्रदान करे।

श्री आर० वेंकटरामन (मद्रास-दक्षिण) कल मेरे मित्र श्री कामथ ने संसद के अधिकारों सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही थी कि कई वर्षों से बजट पर दिये जाने वाले समय में निरन्तर कमी हो रही है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों से यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। इससे गम्भीर शिकायत एक और भी है कि गत कुछ वर्षों में संसद को प्राप्त होने वाली जानकारी में भी बहुत कमी हुई है। पहले बजट पेश करने के साथ-साथ समाप्त हुए वर्ष का लेखा विवरण पुनरीक्षित प्राक्कलन का विवरण तथा आगामी के वर्ष बजट प्रस्तावों का विवरण भी रखा जाता था। पर गत कुछ वर्षों में समाप्त हुए वर्षों का लेखा विवरण देना छोड़ दिया गया है जिस कारण समाप्त हुए वर्ष के आंकड़ों के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन के आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती। यदि ये दोनों ही उपलब्ध हों तो पता चल सकेगा कि क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन ठीक बनाये गये थे। क्या आंकड़े आपस में मेल खाते हैं।

वित्त प्रबन्ध के बारे में जानकारी लेना संसद का विशेषाधिकार है। यह देखना उसका कर्तव्य है कि स्वीकृत राशि को उचित ढंग से व्यय किया गया है या नहीं।

इस वर्ष तो वित्त मंत्री जी एक कदम और आगे बढ़ गये। बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्रावकलनों के अन्तर के कारण ही उन्होंने नहीं बताये। वित्त मंत्री जी कह सकते हैं कि वह इस वैषम्य के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उस समय वह प्रभारी न थे। लेकिन मंत्री चाहे बदल जाये, प्रशासन तो चलता रहता है। अध्यक्ष महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भविष्य में बजट पेश करते समय संसद के साथ ऐसा उपेक्षापूर्ण बर्ताव न किया जाये।

वित्त मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि जनवरी, 1977 तक समाप्त हुए वर्ष में मुद्रा सप्लाई 17.1 प्रतिशत बढ़ी है जिससे मुद्रा-स्फिति हुई और मूल्य बढ़ गये। यदि तथ्य देखें तो पता चलेगा कि मुद्रा सप्लाई में वृद्धि तो देश की समृद्धि की द्योतक है। 1 करोड़ 40 लाख टन खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार था जिसका वित्त पोषण बैंक द्वारा किया जाना था। कल यह प्रश्न उठाया गया कि देश को केवल 1 करोड़ 10 लाख टन गेहूं की जरूरत थी तो उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख टन गेहूं का सुरक्षित भंडार को बनाया। पर यदि हमने ऐसा न किया होता तो हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह क्षत-विक्षत हो जाती। गेहूं के मूल्य बहुत गिर जाते हैं और किसानों को भारी हानि होती।

दूसरे यदि सरकार ने खाद्यान्न न खरीदा होता तो और गैर-सरकारी व्यापारी उसे कम मूल्य पर खरीद कर भारी लाभ पर बेच देते। इसीलिए हमें उसे खरीदना पड़ा।

अगली बात द्रुत विकास दर की है। जब तक बचत और निवेश को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तब तक विकास दर नहीं बढ़ सकती और आप के बजट में जिन नीतियों का उल्लेख है उससे बचत और निवेश को बढ़ावा नहीं मिल सकता। हमारे देश में बचत राष्ट्रीय आय का केवल 14.5 प्रतिशत है जबकि जापान में यह 37 प्रतिशत हैं। बैंक जमाराशि पर ब्याज दर 5 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत करके सरकार ने बचत को हतोत्साहित किया है। बैंक दर में कमी का परिणाम यह होगा कि लोग बैंकों से धन निकाल कर गैर-सरकारी कम्पनियों में लगा देंगे जो ब्याज की अच्छी दर देते हैं। फिर ये कम्पनियां मूल राशि कभी नहीं लौटाती।

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich) : The Finance Minister deserves congratulations for presenting this Budget. It is a vigorous step to fulfil the target fixed by the Janta Party.

He has tried to set right the blunder which was continued to be committed right from the times of Pt. Jawahar Lal Nehru. Our economy was being planned on the European

Model whereas the conditions in India were quite different. Our policy should have been labour based.

Secondly we laid emphasis only on the development of Industry. We tried to achieve material prosperity and in the process lost moral force.

The real India lives in its villages but their share in prosperity is much less.

It is regrettable that adequate attention has not been paid to agriculture in all the plans. Very little percentage of the plan allocation i.e. only 22.5 percent has been spent an agriculture and the result is the ruination of villages and exhodus of the people to the cities which in its turn created the problem of Jhuggi Jhompari.

Social amenities have been provided in cities only. 80 percent population of India lives in villages. Only 30 percent of hospital beds and 20 percent of doctors have been provided for them. The rest are in cities. A provision of Rs. 189.48 crore was made for house building during the Fourth Plan. But only Rs. 17.8 crore have been allocated in rural areas. An amount of Rs. 125 crore has been given for water supply in villages out of the total of Rs. 401 crore earmarked for this purpose in 1.16 lakhs villages.

Injustice has been done to rural areas so far as trade is concerned. Government gave protection to industries set up in urban areas whereas they neglected the rural areas and imposed restriction on movement of their products from one zone to another. Power supplied to the farmer is more costly as compared to the rate at which it is supplied in cities. In this way Government have neglected the rural areas.

When we started the Five Year Plans in 1950-51 the per capita income in villages was Rs. 197.80. But in 1976-77 it has come down to Rs. 196.50. As against it the per capita income in urban areas was Rs. 399 in 1950-51 and it has increased to Rs. 811 in 1976-77. It is because of the utter neglect of the rural areas in all spheres, whether it is power, water, medical facilities or trade. This mistake has got to be rectified.

The number of persons living below the poverty line has increased from 172 lakhs to 245 lakhs resulting in accumulation of stock in textile mills because the purchasing power of persons mostly living in village has gone down. Hence several mills became sick and were closed down. Unemployment is increasing constantly. In 1951 the number of unemployed persons was 3 lakh whereas it has increased to 71 lakhs in 1972-73. In our country per capita average of land holding is 2.30 hectare and population density per sq. kilometre is 178 and our per capita income is Rs. 54/- only. We have copied U.S.A. where average land holding is 158, population density is only 22 per sq. km. and number of workers per one thosand hectares is only 17. We have copied U.S.A. and not Japan where national average of workers per one thousand hectares is 2031 whereas in India it is only 881. We should have followed the economic policy of Japan instead of U.S.A.

We had hoped that after Independence castism, provincialism and linguism would come to an end. But it did not happen. Instead bribery, dishonesty and corruption went on increasing. It is because we do not pay adequate attention to education which alone can raise the moral stature of a man. It is high time the Finance Minister should pay more attention to education and make greater allocation for it than what has been made in this budget.

The Finance Minister has increased the excise duty on bidi, which is used by the poormen. This is not proper. Instead he should have levied more duty on liquor.

The Finance Minister has given exemption from income tax upto Rs. 10,000. But along with this he has provided that if the income goes above Rs. 10,000 then he exemption will be available only upto Rs. 800. This is not proper. All should get uniform benefit upto Rs. 10,000.

Government have imposed tax on handtools. I have no objection to it if they are built in big factories. But in Punjab etc. these handtools are being manufactured in small scale industries in rural areas. So, no tax should be imposed on them.

There is a large amount of black money in the country. It is because of the present faulty system of income tax. It is good that the Finance Minister has given an assurance that he will simplify it.

The rural areas are very backward. It would be a great relief to the rural people if the tax on fertilizers is reduced.

I congratulate the Finance Minister for having presented a very good budget.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN (Aligarh) : It is not correct to say that there has been no development in the country during the last 30 years. There has been considerable development. Perhaps those who say that nothing has happened say so out of anger over what has been witnessed in the country during the last two years.

So far as this budget is concerned, what is more important is that whatever amount is collected by the Government by way of taxes should be properly spent. If this is not ensured things will not improve. The Finance Minister should pay attention to this matter.

Government should give first priority to give water and power to the farmers. Unfortunately there is much corruption in the matter of distribution of power. A high power committee should be appointed to go into this question. It must submit its report within a period of one month. The Committee should find out the extent of shortage and suggest ways to make it up. Many wrong things were done during emergency. Government employees were pressurized from above to put these factories into commission. They burnt diesel into the plant chimnies simply to show that they have been put into commission The result was their turbine tubes were burst and they suffered heavy losses. All these things should be investigated.

The problem of increase in population needs careful consideration. We may disapprove forced sterilization but certainly some other methods will have to be adopted to solve this problem.

The radio and television can play a very vital role in the all round development of the country. Unfortunately there is much corruption in our Television Department. During emergency some people were appointed not on the basis of their qualifications but on some other consideration. This should be inquired into and the guilty punished.

More attention should be paid to the health of the people. More hospitals should be opened and steps should be taken to eradicate malaria.

There is great need to bring about radical changes in the system of education. The previous Government had passed the Aligarh Muslim University Act. This created resentment among the entire Muslim population of the country. I want that this act should be withdrawn.

With these words I welcome the budget.

***श्री पी०एस० रामलिंगम** (नीलगीरीस) : एक ओर तो सत्तारूढ़ दल गांधीवादी आर्थिक विचारों के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहा है और दूसरी ओर विद्युत करघों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है। यह बात समझ नहीं आई है। एक ओर तो हथकरघे संकट की स्थिति में हैं और दूसरी ओर विद्युतकरघों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त रखकर उनकी स्थिति मजबूत की जा रही है।

---

*तमिलभाषा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

(श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए)

(Shri Dhirendranath Basu in the Chair)

हमारे देश के लोग आर्थिक परिवर्तन लाने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब को सहन नहीं करेंगे। खेद की बात है कि बीड़ी, जो गरीब आदमी पीते हैं, पर बजट में काफी कर लगाया गया है।

रेडियो तथा ट्रांजिस्टर, जो कभी विलासिता की वस्तुएं मानी जाती थीं, आम आदमी की आवश्यकता हो गई हैं। मैं इन पर कर लगाने का तथा 500 रुपये की सीमा निर्धारित करने का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

आकाशवाणी ने हाल के चुनावों में भाषा के मामले में घातक भूमिका निभाई है। तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा तमिल के बारे में बहुत संवेदन शील होते हैं। नई सरकार को तमिलनाडु के लोगों को अपनी भाषा के प्रति प्रेम की सराहना करने में हिचक नहीं दिखानी चाहिये और इसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अशुद्ध भाषा की समस्या फिर उत्पन्न न हो।

खेद की बात है कि नई सरकार आम आदमी की सहायक होने का दम भरती है, परन्तु उसने स्कूटरों तथा अन्य पुर्जों पर कर बढ़ा दिये हैं। यह आवश्यक है कि आवश्यक वस्तुओं तथा जनसाधारण की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर कर न लगाया जाये। इसके बदले में विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जा सकता था। आम आदमी को आराम से दो जून रोटी मिलनी ही चाहिये।

आयकर की छूट सीमा 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है परन्तु खेद की बात है कि इस से ऊपर आय वालों को 8,000 रुपये से ऊपर के लिये कर देना होगा। यही नहीं अधिभार भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। यह असंगत तथा अन्यायपूर्ण है। वित्त मंत्री को इस असंगति को दूर कहना चाहिये।

बजट में सरकार की श्रम नीति का पता नहीं चलता। इसी प्रकार भूमि सुधार नीति के बारे में भी कोई संकेत नहीं है। खुशी की बात है कि वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि अनिवार्य जमा योजना की राशि की अगली किस्त अगले वर्ष दी जाएगी। नई सरकार को पता होना चाहिए कि पिछली सरकार इस लिए गिरी कि उसका रवैया लोगों के प्रति ठीक नहीं था और उसने कई गलत काम किए। मुझे आशा है कि नई सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी और सही दिशा में प्रयास करेगी।

श्री ओ० वी० अलगेशन (आरकोनम) : मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने आकाशवाणी तथा दूर दर्शन पर प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश में प्रजातंत्र मजबूत होगा।

कुछ ही दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने मंत्रियों तथा प्रतिपक्षी दलों का एक सम्मेलन बुलाया था और प्रधान मंत्री ने हमें स्वयं कहा था कि वह दल बदल विरोधी विधेयक पास करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस इसमें हिचकिचा रही है। लेकिन आज के समाचारपत्रों से पता चलता है कि जनता सरकार ने 17 दल बदलुओं के लिए राज्य सभा तथा लोक सभा के दरवाजे खोल दिए हैं। यह एक विचित्र बात है।

इससे भी गम्भीर एक और बात हुई है। इस महीने के शुरू में रेलवे कर्मचारियों का सम्मेलन मद्रास में बुलाया गया, जिसमें माननीय रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री ने भाषण दिए। मेरे पास जानकारी है कि ओलावकोर, बंगलौर, मदुरै, त्रिचिरापल्लि और गुन्टागुल से मद्रास के लिए विशेष गाड़ियां चलाई गईं ताकि लोग इसमें भाग ले सकें। यह सम्मेलन दक्षिण रेलवे मजदूर संघ ने आयोजित किया जो अखिल भारतीय रेलवे मेन्स फेडरेशन से सम्बद्ध है। इसी

यूनिट ने 1974 में रेलवे हड़ताल को प्रेरित किया था। इन विशेष गाड़ियों में प्रत्येक गाड़ी 17 पहले दर्जे और दूसरे दर्जे के डब्बे थे और इन में डीज़ल इंजन लगाए गए थे। यात्रियों ने कोई टिकट नहीं खरीदे और हजारों लोगों ने बिना टिकट यात्रा की। रेलवे को इससे राजस्व का भारी घाटा उठाना पड़ा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में यह तर्क दिया है कि वह कई कठिनाइयों के कारण पूरी तरह जनता बजट पेश नहीं कर सके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित नहीं कर सके हैं। वे प्राथमिकताएं कौन सी है? उन्होंने कहा है कि चालू परियोजनाओं के बारे में लम्बे चौड़े वायदे किए गए थे। ऐसा लगता है मानो ये सभी परियोजनाएं गलत थीं और अब वे समाप्त नहीं की जा सकती और इसलिए वह इन परियोजनाओं पर जबरदस्ती व्यय जारी रखे हुए हैं। वित्त मंत्री हमें यह बताएं कि ऐसी कौन सी चालू परियोजनाएं हैं जो जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार प्राथमिकताओं के पुनःनिर्धारण के मार्ग में कठिनाई थीं। उन्हें हमें यह सब स्पष्ट बताना चाहिए। क्या यह कोई सिंचाई परियोजना है?

मैं जानना चाहूंगा कि कौन-सी परियोजनाएं आड़े आती हैं जिनके कारण कि माननीय मंत्री को वरीयता क्रम में परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह बजट आधा कांग्रेसी बजट है और आधा जनता बजट है। अतः वित्त मंत्री इसमें अपनी पूरी बात नहीं रख सके उन्हें हमें बताना चाहिए कि वह अग्रताओं में कहां परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या कृषि उद्योग अथवा सरकारी क्षेत्र में वह कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। पिछली सरकार सदा कृषि क्षेत्र में सुधारों एवं ग्रामीण विकास की बात करती थी परन्तु वास्तविक कार्य न के बराबर ही हो पाया।

वित्त मंत्री ने कुल व्यय का 30.4 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए उपबन्धित किया है। पिछले वर्ष लगभग 3741 करोड़ रुपए जो कि कुल परिव्यय का 44 प्रतिशत बैठता है, आ-वंटित किया गया था। कृषि तथा ग्रामीण विकास की ओर शीघ्र ध्यान देना आवश्यक है।

वास्तव में वर्तमान वित्त मंत्री भूतपूर्व वित्त मंत्री के मार्ग पर ही चल रहे हैं। इस वर्ष के बजट में कुछ अनुच्छेद पिछले के बजट से ही लिए गए हैं। आप अग्रताओं में परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं? निजी क्षेत्र को बहुत सी रियायतें दी गई हैं। इन रियायतों का कर-दाताओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

हमारा इस्पात उत्पादन बढ़ गया है, परन्तु पूरा हम इस्पात बेच नहीं पाते। हमें भय है कि अग्रताओं का पुनः निर्धारण करते समय जनता सरकार सरकारी क्षेत्र का कार्य कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देगी। कहा जाता है कि इस देश में सम्पूर्ण क्रांति के उत्प्रेरक श्री जय प्रकाश नारायण हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि इसके पितामह राजा जी हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वामपंथ की ओर बढ़ रही है। अतएव उन्होंने दक्षिण पंथ के रूप में एक वैकल्पिक पार्टी पर बल दिया। उनका यह स्वप्न उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो सका, जो आज फलीभूत हुआ है।

खिचड़ी दल के घटकों में स्वतन्त्र पार्टी का नाम नहीं है परन्तु श्री पटेल के बजट में निजी क्षेत्र को जो रियायतें दी गई हैं उनमें स्वतन्त्र पार्टी की विचारधारा की झलक है।

1976-77 में हमारी विदेशी मुद्रा 28.63 करोड़ रुपए थी, जो कि आज 3360 बतायी गयी है। आप उसमें से 800 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं। कहा गया है कि यह धन और पोत तथा ट्राउलरस् खरीदने के लिए लगाया जाएगा।

दक्षिण में तीन इस्पात कारखानों के लिए पर्याप्त राशि का आश्वासन दिया गया था। परन्तु उनके लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया।

सेलम इस्पात संयंत्र के लिए 13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कलपाक्कम प्रमाणु संयंत्र के लिए पिछले वर्ष से भी कम राशि की व्यवस्था की गई है। हमें बताया गया है कि पहला कारखाना 1980 से तथा दूसरा 1982 से उत्पादन करने लगेगा। उन्हें शीघ्र कार्य करने के लिए अधिक धन देना चाहिए।

ऊर्जा मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हथकरघा बुनकर बहुत बड़ी संख्या में हैं। यह सब लोग कमजोर वर्ग के हैं। उन्हें शुल्क के मामले में अधिक छूट दी जानी चाहिए। शक्तिचालित करघों को अधिक छूट देने पर हमें आपत्ति नहीं है। दोनों प्रकार के करघों के मामले में मुकाबले की भावना नहीं होनी चाहिए। परन्तु हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

SHRI RAMJI LAL SUMAN (Ferozabad) : The budget presented by the Finance Minister is one of the best budgets. It fulfills the premises made by the Janta Party.

The amalgamation of sick industries with healthy industries is not beneficial. These industrialists do not modernise their industries but invest their profits in other industries. Consequently the original industries became sick.

A Provision of Rs. 85.67 crores has been made for education. Of which Rs. 4.35 crores is for school education. If the expenditure on school education continues in this manner it would not be possible to provide education for all even in 22 years.

A sum of Rs. 83.14 crores has been allocated for Health of which 11.48 crores is for medical treatment. But the allocation for Indian system and homeopathic system the allocation is only Rs. 2.53 crores. There is no chemical laboratory for the manufacture of Ayurvedic medicines. It is very much necessary that this may be attended to as eighty percent population live in villages.

"Janta Party had promised in its election manifesto that it would provide alternative accommodation to the persons whose huts were demolished. Janta Party should attend to the difficulties of those persons who were displaced in the name of beautification.

A sum of Rs. 83.20 crores has been allocated for village and small industries. A provision for Rs. 35 crores for Khadi and Village Industries and another Rs. 16.75 crores for handloom industries has been made. We can provide employment to only 5% with this amount.

A sum of Rs. 40 crores only has been allocated for road construction. The Government should increase this amount so that road construction may be taken up urgently.

A sum of Rs. 40 crores has been allocated for the provision of drinking water. It is necessary that centre should direct the states to implement it properly.

I am sorry that this budget has not done justice to the Harijans. Allocation has not been made for their education and learning.

The increase in wealth tax is insufficient. It should be 3/4 per cent on wealth of 2.5 lakh rupees.

With these words I support this budget.

SHRIMATI CHANDRAVATI (Bhiwani) : I Support this budget. It is correct that our aspirations have not been fulfilled. In case the purchasing power of the people is enhanced there is no harm in imposing more taxes.

If the budgets are implemented these can do a lot of good for the people. Their proper implementation depends on State Governments as well. The fertilizer is very costly.

Moreover the peoples do not contain the quantity they are supported to contain. The farmers have to pay the full price. The Government should see that the farmers get the full quantity of fertilizer they pay for. They should be supplied sufficient power and water so that they can increase production.

A scheme for small farmers was introduced. If the State Government are asked to furnish accounts it would be found that the entire funds have been surrendered.

The prices of mill products are decided by the millowners themselves. The prices of mill products do not fall on over production. Whereas in the case of farm products the prices fall at times when the produce comes into the hands of the growers. Is there any remedy for that ? The Government should look into it. The rates create another problem for the farmers.

A big wheat seed scandle took place during 1972-73. The matter was referred to Bombay. What ultimately happened is required to be investigated.

There should be no privileged class. Wrist watches should be available to every one in the market.

During the last 10 years the girls education, technical education and sewing schools have all degenerated. Corruption is rampant in Administration Sources. Corrupt politicians have been removed by the people but how would the corrupt officers be improved ?

We should put a ban on buidings.

So far as irrigation water is concerned, we started a Dam on Beas river. The project was to be completed in 1973 but it has not as yet been completed and consequently water is flowing to Pakistan. The former Congress Government is responsible for the delay.

Transfertation can play an important rate in our lives of the people. If we can improve our transport system and free it from corruption, it would be an achievement. Aeroplanes should be the means of transportation in our country. It would provide us with more planes for Defence purposes.

The Hayana State at Bhivani alone I counted 27 ghost factories. These factories sell raw material in black market.

The Finance Minister may please see as to how many ghost factories exist there. If these factories are actually set up and they start production they can provide employment to a large number of persons. I am not in favour of indirect taxes nor I am for mixed economy. We should take care of consumers alongside with production. There should be competition in machine making.

I wish that refrigerators worth Rs. 500/- may be manufactured for common people. I remember television worth 40 crores of rupees were required to enhance the image of one person. The power production in country is 1/8 of Japan which is a small country. Power failure is very common in our country. Corruption and inefficiency combine is responsible for this.

Forests have an important rate to play in our country. If there are more forests the rivers would not change their direction. Our country can progress only of our villages and our farmers progress. When weavers install handloom factories then only we can say that this budget is village oriented.

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : मैं वित्त मंत्री के इस बजट के पेश करने के लिए बधाई देता हूं ।

बजट में वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास का ज़िक्र तो किया है लेकिन भूमि सुधारों के सम्बन्ध में कहीं कुछ नहीं कहा ।- भूमि सुधार के बिना कृषि का विकास नहीं किया जा सकता ।

बजट में केवल 72 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। यह गोलमाल है क्योंकि उन्होंने 800 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा कोष से निकाल लिया है। पिछली सरकार कम से कम इस उपलब्धि का दावा कर सकती है जिससे जनता सरकार इतना रुपया निकाल सकी।

लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों में अनेकों अस्थायी कर्मचारी हैं जबकि वे लम्बे वर्षों तक सेवा कर चुके हैं। उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए।

विभागों के कर्मचारियों के वेतन में भी अन्तर है। एक बैंक कर्मचारी को अधिक वेतन मिलता है जबकि वही काम करने वाले अन्य विभाग के कर्मचारी को कम मिलता है। इस असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष भत्ता नहीं दिया जाता। अरुणाचल प्रदेश में प्रत्येक सरकारी कमचारी को विशेष भत्ता दिया जाता है। अतः अंडमान और निकोबार के कर्मचारियों को भी विशेष भत्ता दिया जाए, चाहे वे कहीं भी काम करें और रहते हों।

उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के कल्याण हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता है। राजस्व की वसूली को व्यवस्थित करने के लिए उत्पाद शुल्क विभाग के कार्य को सुगठित किया जाए। पूर्वी बंगाल के हजारों शरणार्थी भरना शिविर में सड़ रहे हैं तथा उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया गया है। उनके पुनर्वास के लिए कुछ कदम उठाए जाएं।

अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र पर अभी भी नौकरशाही का शासन है। अनेक बार वहां के निवासियों ने यह मांग की है कि उन्हें भी अरुणाचल प्रदेश, पांडिचेरी तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के समान लोकप्रिय सरकार बनाने का लोकतांत्रिक अधिकार दिया जाए। सरकार वहां लोकप्रिय सरकार स्थापित करने की व्यवस्था करे।

बजट में पिछड़े ज़िलों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष बढ़ावा नहीं दिया गया है। सरकार इसकी व्यवस्था करे। अंडमान और निकोबार के पिछड़े संघ राज्य के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना से मुक्त किया जाए। वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी समितियों को एक लाख रुपए तक आयकर से छूट दी जाए।

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : This is a people's government. National problems should be solved on priority basis. The rainy season is coming. The Ghagra river in Bihar should be controlled and utilised for irrigation.

We should fulfil the promises made to the people during election. The Government deserve to be congratulated for fixing the prices of wheat at Rs. 110/- per quintal. It is also good that ban on inter-state movement of wheat has been removed.

Payment at the rate of Rs. 12/- per quintal was made to the growers for sugarcane. Reasonable prices should be paid to the grower. Sugar should be decontrolled. Why is it being exported. Millowners owe lakhs of rupees to the growers.

System of education should be changed. School syllabus and curriculum should be universal throughout the country.

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री की ओर से वक्तव्य देंगे।

आप अपना भाषण कल जारी रखें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं श्री चरणसिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

"संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 जून, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 30 अप्रैल, 1977 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 22 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 391(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** सं० एल०-टी० 469क/77]।

दिल्ली में बिजली बन्द रखने और बदरपुर तापीय बिजली घर के यूनिट संख्या 1 के बन्द किए जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. POWER SHEDDING IN DELHI AND THE CLOSURE OF UNIT NO. 1 IN BADARPUR THERMAL POWER STATION

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : बदरपुर ताप विद्युत परियोजना के कामगारों के एक वर्ग ने तारीख 18 जून को सवेरे अचानक हड़ताल कर दी । परिणामस्वरूप 100 मैगावाट की प्रचालनाधीन एकमेव मशीन बन्द करनी पड़ी । कामगारों की मांगे यूनियन को मान्यता दिए जाने, वेतन और भत्तों में सुधार, मस्टर रोल के और कार्यप्रभारित कर्मचारियों को नियमित बनाने और कुछ बरखास्त कर्मचारियों की बहाली, आदि से सम्बन्धित थी ।

दिल्ली की विद्युत् सम्बन्धी आवश्यकताएं दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के केन्द्रों द्वारा किए गए उत्पादन से पूरी की जाती है और बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र के उत्पादन से उनकी अनुपूर्ति की जाती है। बदरपुर से होने वाले उत्पादन पूर्णतयः बन्द हो जाने से दिल्ली में बिजली की कमी सम्बन्धी स्थिति और बिगड़ गई और परिणास्मवरूप लोड शेडिंग करना आवश्यक हो गया ।

स्थिति सामान्यतः शान्तिपूर्ण रही और सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मेरे साथी श्री रवीन्द्र वर्मा, श्रम और संसदीय कार्य मंत्री के हस्तक्षेप से प्रबन्धकों और कामगारों के बीच एक समझौता हो गया है । हड़ताल अब वापस ले ली गई है और यूनिट को पुनः चालू करने के लिए कार्यवाहीं शुरु कर दी गई है ।

SHRI HAKAM CHAND KACHWAI (Ujjain) : It would have been better to remove the difficulties which lead to strike. Their demands should have been met with a view to avert the strike. The Government should accede to the demands of the employees whenever such notices for strikes are received in future.

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहने के लिए कल मंत्री से मिलें ।

श्री सौगतराय (बैरकपुर) : नार्थ एवन्यू स्थित संसद सदस्यों के मकानों में भी आज सुबह पानी नहीं आया । मैं यह बात ऊर्जा मंत्री की सूचना में ला रहा हूं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वक्तव्य देने के बाद संसद सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है ।

SHRI BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : Congressmen should be asked to surrender the houses because we are not getting the houses.

इसके बाद लोक सभा गुरुवार 23 जून 1977/2 आषाढ़ के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June, 23rd, 1977/ Asadha 2, 1899 (Saka)

522LSS/77—200—29-9-77—GIPF.

P.L.S. 48. II. 10/77(N)
200

© 1977 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के
नियम 379 और 38 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।

© 1977 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (SIXTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD